लोक-सभा
वाद-विवाद

मंगलवार,
२२ मार्च, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न लिये जायेंगे । श्री गिडवानी अपने स्थान पर नहीं हैं । दूसरा प्रश्न ।

श्री गिडवानी : संख्या १२९५.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं हैं अब मैं दूसरा प्रश्न लूंगा । माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं थे और अब वह उस स्थान से संख्या बोल रहे हैं जो उन का अपना स्थान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को सड़क निर्माण के लिये अनुदान

*१२९६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकार किया गया १२५ लाख रुपयों का अनुदान किन-किन सड़कों पर व्यय किया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य पुलों को बनाने के लिये लगभग ५० लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बनाये जाने वाले पुलों का ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जिन सड़कों पर भारत सरकार का १२५ लाख रुपये का अनुदान व्यय किया जायेगा उस की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया गया है लेकिन ५० लाख रुपये का एक ऋण विशेष सड़क के पुलों के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को देना प्रस्तावित किया गया है ।

(ग) निर्माण किये जाने वाले पुलों का कार्यक्रम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण सदन की मेज़ पर रखा गया है, इस से मालूम होता है कि यह १२५ लाख रुपये उत्तर प्रदेश की ३३ सड़कों के लिये दिये गये हैं और इस से यह भी ज्ञात होता है कि जब कि बहुत से ज़िलों में एक मील भी सड़क नहीं बनेगी, कुछ ज़िलों के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर इस का

निश्चय किया गया और इस निश्चय करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर है या केन्द्रीय सरकार पर है ?

अध्यक्ष महोदय : गांवों में सड़कें बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को १२५ लाख रुपये दिये गये हैं. . . . . .

श्री भक्त दर्शन : पक्की तथा कच्ची सड़कों के लिये ।

अध्यक्ष महोदय : किस की सलाह पर यह रकम निर्धारित की गई थी ?

श्री अलगेशन : यह सड़कें राज्य सरकार द्वारा चुनी गई थीं ।

श्री भक्त दर्शन : इस का अर्थ यह है कि यह जो सड़कों का निर्णय किया गया उन के लिये उत्तरप्रदेश की सरकार ने जो प्राथमिकता सूची जो प्रायरिटी की लिस्ट बनाई क्या उस के ही आधार पर यह तय किया गया है या केन्द्रीय सरकार ने भी इस में परिवर्तन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर किया गया है ?

श्री अलगेशन : विवरण से प्रकट है कि २५० लाख रुपये की कुल लागत की ३३ योजनाएं हैं ।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि सड़कों की प्राथमिकता का प्रश्न किस ने तय किया था ? क्या केन्द्रीय सरकार का इस में हाथ था ?

श्री अलगेशन : इन मामलों में हम राज्य सरकार की सलाह के अनुसार काम करते हैं ।

श्री भक्त दर्शन खड़े हुए—

परिचर्या सम्बन्धी समिति

*१२९७. **श्री डाभी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा स्थापित परिचर्या व्यवसाय सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिपारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन के पृष्ठ २५-२७ पर सिपारिशें संक्षिप्त रूप में दी गई हैं । प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी गई हैं ।

श्री डाभी : मैं वे मुख्य सिपारिशें जानना चाहता हूं जो स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गई हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सिपारिशें राज्यों के पास भेज दी गई हैं और उन को यथासंभव शीघ्र क्रियान्विति करना राज्यों पर निर्भर है । स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उन से प्रार्थना की कि वे उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करें । केन्द्र द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सिपारिशें विचाराधीन हैं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

*१२९८. **श्री झूलन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि होमियोपैथिक व्यवसाय सम्बन्धी विषयों पर परामर्श के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई तदर्थ समिति की सिपारिशों पर फरवरी १९५४ को राजकोट में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा

पारित संकल्प को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : होमियोपेथी के अवर स्नातक प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संकल्प राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

होमियोपेथी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के बारे में पश्चिमी बंगाल और बम्बई की सरकारों को कहा गया है कि वे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बतायें कि संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है या उन का क्या कार्यवाही करने का विचार है। पश्चिमी बंगाल ने इस सम्बन्ध में कलकत्ता होमियोपेथिक चिकित्सा सम्बन्धी कालिज और हस्पताल को उच्च श्रेणी में रखने के लिये एक प्रस्थापना भेजी है जिस पर विचार किया जा रहा है । बम्बई के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

श्री झुलन सिंह : जिन अन्य राज्यों को यह संकल्प भेजा गया है उन का क्या उत्तर आया है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें उन की ओर से अभी उत्तर नहीं मिला ।

पत्तन निरोधा उपाय

*१२९९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्वारंटाइन सांसर्गिक रोगों को विदेशों से भारत में प्रवेश न होने देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन देशों से सहायता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) भारत सरकार ने उन बन्दरगाहों व हवाई अड्डों पर जहां से अन्तर्राष्ट्रीय यात्री भारत में सीधे प्रवेश करते हैं, पोर्ट (पत्तन) स्वास्थ्य संस्थाओं की संस्थापना की है । वे संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (International Sanitary Regulations) में बताये गये स्वास्थ्य उपायों का पालन करती हैं। जैसे स्वास्थ्य परीक्षा, सांसर्गिक रोग से पीड़ित या जिस पर रोग लगने की शंका हो, उसे अलग रखना, हवाई व सामुद्रिक जहाजों की सफाई और पोशाकों व असबाबों को रोग रहित करना ।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को किसी अन्य देश से मदद नहीं मिलती है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्वारंटाइन बीमारियां क्या क्या होती हैं और उन के क्या लक्षण होते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्लेग, हैज़ा, कमल रोग, पित्तिया रोग और पुनः हुए बुखार के ऐसे रोग हैं जिन के संक्रामक होने के कारण रोगियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन बीमारियों को रोकने के लिये कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही और कहां कहां पर काम कर रही हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : भारत में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और विशाखा-पटनम के बड़े पत्तनों में सफाई का प्रबन्ध है। कांडला और छोटे पत्तनों में भी जहां सीधे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात होता है वहां पर प्रबन्ध है।

रद्द किये गये रेल के डिब्बे और इंजन

*१३००. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे के यार्डों और शेडों में जो रद्द किये गये इंजन, डिब्बे और माल के डिब्बे पड़े हैं उन का कुल मूल्य क्या है; और

(ख) क्या उन का अत्युत्तम प्रयोग करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय रेलों में १-२-१९५५ को जो रद्द किये गये इंजन, डिब्बे और माल के डिब्बे पड़े थे उन का मूल्य क्रमशः ४७ लाख, ७ लाख और ५८ लाख रुपये थे ।

(ख) हां श्रीमान् । उत्सर्जन करने के पूर्व सारी काम आने वाली सामग्री निकाल ली जाती है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : १९५३ और १९५४ वर्षों में ५५६ छोटी लाइन के और ४२० बड़ी लाइन के इंजनों की मुरम्मत होने वाली थी । उन में कितनों को रद्द कर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं ? इस का उत्तर देना बहुत कठिन है । माननीय सदस्य ने कहा है कि इतने इंजनों की मुरम्मत होने वाली थी और वे पूछते हैं कि उन में से कितनों को रद्द कर दिया गया है मैं इस प्रश्न का उत्तर पूर्व-सूचना के बिना नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रद्द किये गये डिब्बों और इंजनों में से जो काम की सामग्री मिल सकती है उस का रेलों में प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो क्या काम आने वाली सामग्री का मूल्य उन की मरम्मत की लागत से कम है ?

श्री अलगेशन : रद्द किये गये इंजनों और डिब्बों में से काम आने वाले पुरज़ों और मूल्यवान सामग्री को वर्तमान इंजनों और डिब्बों में प्रयोग के लिये निकाल लिया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि कतिपय रद्द किये गये इंजन डिब्बे इत्यादि कुछ वर्ष शैडों में पड़े रहे हैं और यदि हां तो वे वहां क्यों पड़े हैं ?

श्री अलगेशन : उन्हें नीलामी द्वारा या टेंडर्स मंगवा कर उत्सर्जित किया जाता है । कुछ विशेष मामलों में देरी हो गई हो परन्तु सामान्यतः उन्हें नीलामी या टेंडर्स मंगवा कर बेच दिया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इन रद्द किये गये इंजनों और डिब्बों इत्यादि का जो मूल्य बताया जाता है वह मूल मूल्य होता है या अवक्षयन मूल्य ?

श्री अलगेशन : यह मूल मूल्य नहीं हो सकता है । यह केवल भांडारों का अनुमानित मूल्य है ।

डाक विभाग के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*१३०४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सरकारी धन को गबन करने के लिये डाक विभाग के कितने कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया;

(ख) कितनी धन राशि गबन की गई; और

(ग) जुर्मानों द्वारा कितनी राशि वसूल की गई थी और कितनी उन्होंने स्वेच्छापूर्वक फिर जमा कर दी थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३९५ ।

(ख) ३,८०,९५० रुपये (लगभग तीन लाख अस्सी हज़ार नौ सौ पचास रुपये)

(ग) ४०,५३६ (लगभग चालीस हज़ार पांच सौ छत्तीस रुपये)

सरदार हुक्म सिंह : विभाग के कितने मामलों का निबटारा किया और वे मामले कितनी धन राशि के थे ?

श्री राज बहादुर : वर्ष १९५४ में जिन मामलों की विभाग ने जांच की वे ६५६ थे। विभाग द्वारा १३६ मामलों में दण्ड दिया गया था और न्यायालय द्वारा ७३ मामलों में।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन मामलों का निबटारा करना पदाधिकारियों के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है या इस प्रक्रिया के कुछ नियम हैं जिन के आधार पर अभियोग चलाये जाने वाले और विभाग द्वारा निबटारा किये जाने वाले मामलों का वर्ग विभाजन किया जा सके।

श्री राज बहादुर : प्रत्येक मामले की जांच और निर्णय उस के गुणावगुणों पर की जाती है। यदि सम्बन्धित कर्मचारी का दायित्व स्पष्टतः दण्डनीय हो तो उस पर न्यायालय में अभियोग चलाया जाता है। अन्यथा यदि मामला केवल भूल उपेक्षा या कुछ इस प्रकार का हो तो उस का निबटारा विभाग करता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ नियम हैं या यह सम्बन्धित पदाधिकारी पर छोड़ दिया जाता है कि वह यह निर्णय करे कि अपराध किया गया है या उस के गुणावगुणों के आधार पर मामला पुलिस के हवाले दे देना चाहिये या विभाग को उस का निर्णय करना चाहिये।

श्री राज बहादुर : जैसा मामला होगा वैसी ही कार्यवाही की जायेगी इस के लिये नियम नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन ३९५ कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये उन में से एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एम्प्लायी कितने थे और इस कारण क्या एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्ट प्रणाली में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एम्प्लायी कितने थे इस के आंकड़े तो मैं नहीं दे सकूंगा बिना नोटिस के, किन्तु यह निश्चित बात है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एम्प्लायीज की संख्या अधिक है।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कम से कम रकम क्या थी और ज्यादा से ज्यादा रकम क्या थी जिस के लिये प्रासिक्यूशन किया गया ?

श्री राज बहादुर : मैं किसी एक केस की बात तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो मजमुई रूप से सारी रकम थी वह यह है। सन् १९५३-५४ में जिस रकम का अनुमान है वह ६,०३,४२५ रु० है जिस में से ७६,०६४ रु० वसूल हो गया, १४७६ रु० खारिज हो गया और ५,३७,८८५ रु० ऐडजस्ट नहीं हो सका।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*१३०६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री १५ दिसम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी-सौराष्ट्र रेलवे के चार गजेटिड पदाधिकारियों द्वारा १३ लाख रुपये के गबन के मामले की जांच करने वाली जांच समिति के प्रतिवेदन में क्या निर्णय दिये गये हैं;

(ख) क्या इन पदाधिकारियों को उन के निलम्बन की कालावधि में निर्वाह भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विदित अनुशासन संबन्धी कार्यवाही के पूरा होने पर, जो आरम्भ की जा चुकी है, इस मामले का निर्णय किया जावेगा।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६**]

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों पर लगाये गये आरोपों के विवरण उन्हें दे दिये गये हैं और यदि हां, तो वह कब दिये गये थे और क्या उन के उत्तर भेजने के लिये कोई काम-सीमा विदित की गई है ?

श्री अलगेशन : मुझे उन तिथियों का ठीक पता नहीं है जब उन आरोपों सम्बन्धी विवरण दिये गये थे । उन्हें स्पष्टीकरण के लिये लिखा गया है और उस के अनुसार उन्हें स्पष्टीकरण करना होगा और फिर उन्हें दण्ड के बारे में पूछा जायेगा फिर उन से यह कारण पूछा जायेगा कि उन्हें अमुक दण्ड क्यों न दिया जाये । इन सब प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विवरण से मुझे पता चला है कि मद (क) के समक्ष दिखाये गये पदाधिकारी को प्रति मास ७५० रुपये का निर्वाह भत्ता दिया जाता है । इस पदाधिकारी का क्या पद है ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य देख सकते हैं कि १४-५-१९५३ से निर्वाह भत्ता ७५० रुपये मासिक से ५६२-८-० रुपये कर दिया गया है । वह पुरानी-सौराष्ट्र रेलवे का महा-प्रबन्धक था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या उन्हें जो निर्वाह भत्ता दिया जाता है वह वही है जो अधीन कर्मचारियों को दिया जाता है ?

श्री अलगेशन : यह नियमों के अनुसार दिया जाता है । मेरे पास यहां प्रासंगिक नियम नहीं हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इन मामलों के फलस्वरूप लेखों की जांच के लिये कोई कार्यवाही की जाती है यदि हां, तो वह जांच किस प्रकार की होती है ?

श्री अलगेशन : वह रेलवे प्रशासन कार्य का वित्तीय भाग है । हम सब त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

नासूर

***१३०७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में नासूर के रोगियों को क्या सुविधाएं दे सकती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : देश के अधिकतर बड़े सरकारी चिकित्सालयों में शल्य उपचार और (क) रेडियम और (ख) गहरी एक्सरे की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या सरकार को कुछ पता है कि भारत में नासूर के रोगियों की संख्या क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अभी तक कोई सर्वक्षण नहीं किया गया । मैं इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दे सकती हूं ।

श्रीमती ए० काले : उन रोगियों के लिये क्या सुविधाएं हैं जो नासूर के शल्य उपचार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े नगरों में आते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नगरों में सरकारी चिकित्सालय और गैर सरकारी चिकित्सालय भी हैं जो नासूर का उपचार करते हैं ।

श्रीमती ए० काले : मेरा प्रश्न यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : चिकित्सालय हैं । और क्या सुविधायें दी जा सकती हैं ?

डा० रामा राव : क्या सरकार को पता है कि नासूर के रोगियों को जो सुविधाएं मिलती हैं निराशाजनक हैं और अपर्याप्त हैं और कि नासूर के रोगी बहुत होते हैं और कि सारे आंध्र में केवल एक ही चिकित्सालय है जहां कुछ उपचार किया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : सरकार को नासूर के रोगियों के उपचार की अपर्याप्त सुविधाओं का पता है और हम इस अभाव को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

रेलवे कर्मचारी

***१३०९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने रेलवे कर्मचारियों ने पहले पाकिस्तान के लिये विकल्प दिया था और कुछ समय उस देश में सेवा करते रहे और अब भारतीय रेलवे में ले लिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह संख्या लगभग २००० है ।

डा० राम सुभग सिंह : जिन कर्मचारियों ने पहले पाकिस्तान के लिये विकल्प दिया था और जिन्हें पुनः भारतीय रेलों में लगाया जा रहा है, क्या उन्हें वही सुविधाएं प्राप्त हैं जो सुविधाऐं पहले दी जाती थीं और क्या उन की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ?

श्री अलगेशन : जिन्होंने अस्थायी तौर पर पाकिस्तान के लिये विकल्प किया था और जिन्होंने बाद में भारत के लिये विकल्प दे दिया उन्हें सेवा में पुनः लगा लिया गया है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय उपमंत्री बतायेंगे कि इन २००० कर्मचारियों में से कुछ ने यहां पुनः नियुक्त होने से पूर्व पाकिस्तान रेलवे में अधिकतम कितने समय के लिये काम किया था ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि ६ मास के लिये । जिस अन्तिम तिथि से पूर्व उन्हें अपना अन्तिम विकल्प व्यक्त करने के लिये कहा गया था वह १५-२-१९४८ थी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उन सब कर्मचारियों को जिन्होंने भारतीय रेलवे में पुनः नियुक्ति की प्रार्थना की थी, सेवा में लिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : सब को नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या पुनः नियुक्ति के पश्चात् उन में से किसी को भारतीय रेलवे से निकाल दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मुझे पूर्व सूचना चाहिये

श्री केशवैयंगार : उन्होंने किन मुख्य कारणों से इस परिवर्तन की मांग की थी ?

श्री अलगेशन : स्पष्टतः उन्होंने देखा कि वहां की परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं जितनी वे आशा करते थे ।

रेलगाड़ियों में भोजन-व्यवस्था

***१३१३. चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५४ में भारत में भोजन-यान चलाने वाले भोजनव्यवस्था-कर्ताओं से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) सरकार ने उस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; तथा

(ग) आगामी वर्ष में, इन भोजन-यानों में क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भविष्य में दो प्रकार के भोजन-यान होंगे, एक को तो "रेस्तोरां-यान" नाम दिया जायेगा, जो कि पश्चिमी ढंग से भोजन-व्यवस्था करेगा, और दूसरे को "भोजन-यान" नाम

दिया जायेगा, जो कि मुख्य रूप से भारतीय ढंग से भोजन-व्यवस्था करेगा। इन यानों में भोजन बांटने, भोजन पकाने, भोजन-सामग्री को उचित प्रकार से भण्डार में रखने और कर्मचारियों के रहने के लिये ऊंचे स्तर का स्थान प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नये यानों को तैयार किया ही जायेगा, इन के अतिरिक्त वर्तमान यानों को भी नये सामान से सुसज्जित किया जायेगा, ताकि इन्हें ऊंचे स्तर तक लाया जा सके।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कुछ समय पूर्व हमें ऐसा बताया गया था कि इन भोजन-यानों और रेस्तोरां-यानों को शीतक यंत्र संभरित किये जायेंगे क्या अभी तक इन में से किसी यान को शीतक यंत्र संभरित किया गया है ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि इन में से बहुत से यानों में शीतयंत्र लगे हुए हैं। मैं इन की ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता।

डा० रामा राव : रेलवे के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कितनी देर बाद यानों में अथवा स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था करने वाली इन स्थापनाओं का निरीक्षण किया जाता है ?

श्री अलगेशन : इन का निरीक्षण प्रायः होता रहता है। कितने समय बाद होता है, इस के विषय में मैं नहीं कह सकता।

श्री केशवैयंगार : क्या सरकार को ज्ञात है कि इन भोजन-यानों तथा रेस्तरां-यानों के गाड़ी के अन्तिम सिरे पर स्थापित होने के कारण, जनता को महान असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

श्री अलगेशन : हां, कुछ समय हुआ भोजन व्यवस्था-कर्ताओं ने इस कठिनाई की ओर संकेत किया था। परन्तु इसे गाड़ी के मध्य में रखने में भी कई कठिनाइयां हैं, तो भी यदि संभव हो सका तो हम इसे गाड़ी के मध्य में रखने का प्रयत्न करेंगे।

रेलगाड़ियों में सूचनाएं

*१३१४. **श्री केशवैयंगार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग सभी गाड़ियों और विशेषकर ग्रैण्ड ट्रंक एक्सप्रैस के स्नानागारों और उच्चतर श्रेणी के डिब्बों में पुरानी पुरानी और असंगत सूचनाएं लगी हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उन में से कोई भी सूचना असंगत नहीं है। हो सकता है कि उन में से कुछ एक सूचनाएं पुरानी हों। हो सकता है कि कुछ एक रेलगाड़ियों में कई ऐसी सूचनायें लगी हों जो कि रेलों के विभाजीकरण से पूर्व लगी होने के कारण अब समय केअनुकूल न हों।

श्री केशवैयंगार : क्या रेलवे मंत्री हमें ऐसा आश्वासन देंगे कि इस के विषय में तथा इस से सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातों के विषय में रेलों को अभिनव रूप दिया जायगा ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में हम समान प्रथा लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम ने इन सूचनाओं को परिचालित कर दिया है। उन की प्रतियां मेरे पास हैं और यदि माननीय सदस्य इन्हें लेना चाहते हैं तो वह मुझ से ले सकते हैं।

रेलों में डिवीज़न पद्धति

*१३१८. **पण्डित एम० बी० भार्गव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन कौन सी रेलें हैं जिन में इस समय डिवीज़न-पद्धति का प्रवर्तन हो

चुका है, और ऐसी कौन कौन सी रेलें जिनमें इस पद्धति का भविष्य में प्रवर्तन करने का विचार है;

(ख) क्या यह डिवीज़न-पद्धति लाभदायक सिद्ध हुई है और इस से प्रशासन में सुविधा का अनुभव किया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो इस पद्धति का कब तक अन्य रेलों पर भी प्रवर्तन कर दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ग). यह डिवीज़न-पद्धति, उत्तरी रेलवे, और पूर्वी रेलवे के भूतपूर्व-पूर्वी भारत तथा भूतपूर्व बंगाल-आसाम भागों पर पूर्ण रूपेण लागू है और केन्द्रीय रेलवे पर कुछ अंश में लागू है। अन्य रेलों पर भी इस पद्धति को लागू करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) डिवीज़न-पद्धति के कई लाभ हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हर प्रकार की परिस्थितियों के लिये यह सर्वोत्तम है ।

विदेशी हवाई डाक

*१३१९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विदेशी हवाई डाक भारतीय विमानों द्वारा भेजी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं तो, कौन कौन सी विदेशी कम्पनियां डाक को समुद्री जहाज़ों, गाड़ियों अथवा विमानों द्वारा ले जाती हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी विदेशी कम्पनियो से कोई संविदा किया हुआ है; तथा

(घ) क्या हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों अथवा गाड़ियों द्वारा भेजी जाने वाली इस डाक का खर्चा वज़न के अनुसार अदा किया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत से विदेशी डाक ले जाने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली, विदेशी समुद्री तथा हवाई कम्पनियों के नाम बताने वाली एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कम्पनी से कोई संविदा नहीं किया गया है ।

(घ) समुद्री डाक के सम्बन्ध में, संविदा न होने पर भुगतान के आधार ये होते हैं : इस डाक का वज़न, उस का परिमाण तथा वह दूरी जहां तक उसे ले जाना होता है । संविदाबद्ध जहाज़ी सेवाओं के लिये संविदा के अनुसार भुगतान किया जाता है ।

जहां तक ऐसी हवाई डाक का सम्बन्ध है, जो विदेशी हवाई कम्पनियों द्वारा पहुंचाई जाती है, इस पर आने वाले परिवहन खर्चे का दावा उस देश का डाक विभाग करता है जिस देश से वे कम्पनियां सम्बन्ध रखती हैं, और ये परिवहन खर्चे विश्व-डाक-संघ द्वारा निर्धारित किये गये दरों पर निर्भर करते हैं जो कि उस डाक के वज़न, उस के वर्ग और दूरी पर आधारित होते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : विवरण से पता चलता है कि भारतीय हवाई अड्डों से हवाई डाक ले जाने के उद्देश्य से सात विदेशी कम्पनियों का प्रयोग किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस हवाई डाक में से कितनी प्रतिशत डाक विदेशी कम्पनियों द्वारा भेजी जाती है और कितनी प्रतिशत भारतीय हवाई जहाज़ों द्वारा ?

श्री राज बहादुर : ठीक ठीक आंकड़े बताना बड़ा कठिन है । यह तो इस बात पर

निर्भर करता है कि किसी समय कितनी हवाई सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं । जैसे कि आप को ज्ञात है हमारी वायु-सेवाएं और समुद्री सेवाएं अभी तक इतनी विकसित नहीं हुई हैं, अतः हमारा वास्तविक उद्देश्य यही है कि हमारे देश से विदेशों को शीघ्राति-शीघ्र डाक पहुंचाई जा सके ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या ये विदेशी कम्पनियां हमारे देश से डाक को ऐसे देशों को भी ले जाती हैं जहां हमारे हवाई जहाज़ नित्य प्रति जाया करते हैं ?

श्री राज बहादुर : ये कम्पनियां केवल ऐसे अवसरों पर ही डाक ले जाती हैं जब हमारे हवाई जहाज़ नहीं जाते ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिन देशों को हमारे हवाई जहाज़ जाते हैं, वहां भी इन्हीं कम्पनियों को ही डाक ले जाने की अनुमति दी जा रही है ?

श्री राज बहादुर : यदि किसी दिन हमारा जहाज़ किसी देश को जा रहा है और वहीं पर डाक भी भेजी जाने वाली है, तो वह डाक यदि बहुत अधिक नहीं है, तो उसी जहाज़ द्वारा भेजी जायेगी, न कि उन कम्पनियों द्वारा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या ऐसे विदेशों के साथ, जिन की डाक हमारे हवाई जहाज़ अन्य देशों तक ले जाते हैं, कोई ऐसी संविदा है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने अपने उत्तर में इस बात की ओर संकेत किया था कि डाक के परिवहन से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों का निर्णय "विश्व डाक संघ" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय करता है ।

रौवुल्फिया पौधा

*१३२१. **श्रीमती जयश्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि रौवुल्फ़िया पौधे का भारी परिमाण में निर्यात किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : रौवुल्फ़िया सरपेन्टिना तथा रौवुल्फ़िया की अन्य किस्मों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

श्रीमती जयश्री : क्या यह सत्य है कि 'सिबा' नामक एक स्विस फर्म, ब्लड प्रैशर के लिये उपयोग में आने वाली 'सरपासिल' नामक औषधि के निर्माण के लिये इन पौधों का यहां से आयात कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : 'सरपासिल' नामक औषधि का इस समय आयात किया जा रहा है । परन्तु एक भारतीय फर्म ने, जो कि 'सरपिना' नामक बिल्कुल वैसी ही औषधि तैयार कर रही है, हमें ऐसा कहा है कि 'सरपासिल' नामक औषधि के आयात की अनुमति न दी जाये । अतः वाणिज्य मंत्रालय इन दोनों औषधियों का परीक्षण कर रहा है । ये दोनों औषधियां केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ को भेज दी गई हैं । इस परीक्षण का परणिाम प्राप्त होने पर ही आगे कार्य-वाही की जायेगी ।

श्रीमती जयश्री : क्या यह सत्य है कि इस फर्म ने 'सरपिना' नामक हमारी औषधि के विरुद्ध प्रचार करने के लिये जर्मन डाक्टरों को ऐसे पोस्टकार्ड भेजे हैं जिन पर अनेकों आपत्तिजनक चित्र छपे हुये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इसके सम्बन्ध में, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये एक समाचार पत्र-प्रतिवेदन को मैंने अभी अभी देखा है। हम इसके विषय में जांच करेंगे।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार को ज्ञात है कि अमेरिका तथा कान्टी-नेन्टल देशों ने जो पहले भारत से इस बूटी का आयात करते थे, अब इसे ब्राज़ील से प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ़ लिया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इसके सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

नारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

*१३२३. **श्रीमतीरेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल की प्रादेशिक-नियोजन मंत्रणा समिति से कोई ऐसी प्रस्थापना प्राप्त हुई है, कि पश्चिमी बंगाल में एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये जो केवल नारियों को ही प्रशिक्षण दे; तथा

(ख) इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :
(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह जानकारी पश्चिमी बंगाल सरकार की शासकीय समाचार पत्रिका से प्राप्त हुई है। अतः आप के इस उत्तर का कि कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्या अर्थ समझा जाये ?

श्री आबिद अली : चार फर्वरी को मंत्रणा-समिति की बैठक में ऐसा निर्णय किया गया था कि पश्चिमी बंगाल में नारियों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये। परन्तु इस पर अग्रेतर सोच विचार करने तथा इस के विषय में सरकार को प्रतिवेदन भेजने के उद्देश्य से इसे एक उप समिति को निर्देशित कर दिया गया था। उन के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह उप समिति कौन सी है और यह कब तक अपना प्रतिवेदन भेज देगी ?

श्री आबिद अली : यह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्ध रखने वाली उप समिति है जो कि इस मामले पर विस्तृत रूप से सोच-विचार करेगी। इस का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जाना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस प्रशिक्षण-केन्द्र का सम्बन्ध केवल ऐसी ही नारियों से होगा, जो कि कारखानों में काम कर रही हैं, अथवा इस में ऐसी नारियां भी सम्मिलित होंगी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी चाहती हैं ?

श्री आबिद अली : सभी नारियां।

दिल्ली उपनगरीय रेलगाड़ी

*१३२४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पटेल नगर, दिल्ली के पास एक रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना जिस पर कि विचार

किया जा रहा है, कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

श्री अलगेशन : यह उत्तर-रेलवे का विषय है, पश्चिमी पटेल नगर में मीटर लाइन पर एक फ्लैग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। प्रादेशिक परामर्शदात्री समिति के विचार करने के पश्चात् इस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री नवल प्रभाकर : सुनाई नहीं दिया क्या कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : ज़ोनल कमेटी के पास यह योजना भेजी जायेगी। वहां निर्णय होने के बाद इस सवाल का फैसला होगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या उप-नगर की गाड़ियों का आना जाना बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो किस तिथि से ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न मूल प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है। मैं उपनगर की गाड़ियों के आने जाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि वहां पर पर्याप्त गाड़ियां चल रही हैं या नहीं। परन्तु अधिक स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो रेलवे स्टेशन बनेगा, इस का सम्बन्ध विनयनगर से उपनगरीय रेलवे जो चल रही है, उस के साथ होगा ?

श्री अलगेशन : यह मीटर लाइन पर है। मैं नहीं जानता हूं कि इसे मिलाने का विचार है या नहीं।

श्री भागवत झा आज़ाद : सरकार दिल्ली जैसे नगरों को अधिक सुविधायें देने और अपर इंडिया जैसी लाइन समाप्त करने की नीति को योग्य नीति कैसे कह सकती है....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध केवल एक स्टेशन से है।

टैलीफोन के सामान का कारखाना

*१३२५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टैलीफोन के सामान के कितने कारखाने हैं;

(ख) वे किन राज्यों में हैं; और

(ग) क्या देश की सारी मांग उन से पूरी हो जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक।

(ख) मैसूर।

(ग) जी हां।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस कारखाने में कितने लोग नौकर हैं ? क्या इस के आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री राज बहादुर : हो सकता है कि कोई गलती हो पर मेरा अनुमान है ३५०० नौकर हैं। मुझे यह देखना पड़ेगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या पश्चिमी बंगाल में ऐसा कारखाना खोलने के बारे में विचार किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : नहीं। हमारे देश की मांग पूरी करने के लिये यह कारखाना काफ़ी है। अपने उत्पादन के निर्यात के लिये हम विदेशी बाज़ार की खोज में हैं।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार दूसरे देशों के पास टैलीफोन बेचना चाहती है और यदि हां, तो कौन से देश इन्हें खरीदने के लिये राजी हुए हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं ने यही तो कहा है। हम विदशी बाजार की खोज में हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : विदेशों को टैलीफोन का सामान निर्यात करने से पूर्व

सरकार गोडा जैसे सबडिवीज़नल मुख्यालयों को टैलीफोन कनैक्शन कब तक देगी ?

श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र गोडा के बारे में बड़े चिन्तित हैं। गोडा में सार्वजनिक टैलीफोन की व्यवस्था की जा रही है। टैलीफोन के सामान की कमी के कारण विस्तार कार्य नहीं रुका हुआ है इस का कारण तो टैलीफोन ऐक्सचेंज के सामान के कारण है जो इस समय भारत में नहीं बनाया जाता है।

रेलवे विभाग में भर्ती

*१३२६. **श्री तिम्मय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेलों के यन्त्र सम्बन्धी और इंजन विभागों के खलासियों को किस प्रकार भर्ती किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : खलासियों की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित स्थानीय डिवीज़नल (ज़िला रेलवे पदाधिकारी) द्वारा की जाती है। साधारणतया कारखानों के दरवाज़ों पर लटकाये गये सूचना बोर्डों पर लोगों की जानकारी के लिये विज्ञापन लगा दिये जाते हैं। उस के सम्पर्क में जो काम दिलाऊ दफतर होता है उसे सूचना भेज दी जाती है और वहां से भेजे जाने वाले उम्मीदवारों के बारे में उन लोगों के साथ ही विचार कर लिया जाता है जो आम जनता में से आवेदन पत्र भेजते हैं और जिन का पंजीयन रेलवे पदाधिकारियों ने किया होता है। इन विज्ञापनों में पुर की जाने वाली नौकरियों की संख्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित नौकरियों की संख्या दी होती है।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार उन्हें स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगी ?

श्री अलगेशन : चौथी श्रेणी की रिक्तियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करते।

श्री तिम्मय्या : समिति में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं ?

श्री अलगेशन : चीफ़ मकैनिकल इंजीनियर पदाधिकारियों को नियुक्त करता है जो चुनाव करते हैं। पदाधिकारी ज़िला या डिवीज़नल पदवी के होते हैं।

रेलवे आय

*१३२७. **कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या रेलवे मंत्री सभा पटल एक पर विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न जानकारी हो :

(क) वर्ष १९५२-५३ और १९५३-५४ में दक्षिण रेलवे की क्या आय थी; और

(ख) उपरोक्त काल में दक्षिण भारत में कितनी पुरानी लाइनें फिर से चालू की गईं और कितनी नई बनाई गईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८]**

कुमारी एनी मैस्करीन : इन तथ्यों को सामने रखते हुए कि दक्षिण रेलवे का क्षेत्र दूसरी रेलों की तुलना में अधिक बड़ा है और वहां मुसाफरों और सामान के यातायात में बड़ी कठिनाइयां हैं क्या सरकार ने अनुभव किया है कि नई लाइनें बनाने के लिये बहुत कम राशि रखी गई है ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य की सब "सम्भावनाओं" से सहमत नहीं हूं।

कुमारी एनी मैस्करीन : कोई "सम्भावनायें" नहीं हैं।

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य ने देखा होगा कि एरणाकुलम्-किलों की नई लाइन पर काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है । जल्दी ही इस का कुछ भाग खोल दिया जायेगा ।

कुमारी एनी मैस्करीन : मैं निर्माण की गति के बारे में नहीं पूछ रही हूं । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने किसी सम्बन्धित राज्य से मुसाफरों तथा सामान के यातायात के लिये नई लाइनें बनाने के हेतु कोई मांग प्राप्त की है ?

श्री अलगेशन : नई लाइनों के निर्माण के विषय पर हम ने राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है और बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ।

श्री पी० आर० राव : क्या हैदराबाद स्टेट से कोई प्रोपोज़ल पेश हुआ है ?

श्री अलगेशन : उस प्रस्ताव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बलवन्त सिंह मेहता अनुपस्थित । अगला प्रश्न ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : वह उपस्थित नहीं हैं । मुझे कार्यालय ने सूचित किया था कि इस प्रश्न के साथ मेरा नाम भी रखा जायेगा परन्तु ऐसा नहीं है । मुझे लोक सभा सचिवालय का पत्र मिला है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : नाम साथ क्यों रखा जायेगा ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्योंकि मैं ने भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि उन का नाम नहीं है ।

वन प्रशासन

*१३३०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन महानिरीक्षक राज्य सरकारों की चालू वन योजनाओं का निरीक्षण करता है और उन के बारे में अपनी राय देता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष में उस ने ऐसी कितनी योजनाओं का निबटारा किया; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर न में हो तो सरकार पंच वर्षीय योजना के अध्याय २१ की कंडिका २२ में इस विषय में दी गई योजना आयोग की सिफारिशों को कैसे कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) वन महानिरीक्षक इस समय केवल बड़ी बड़ी चालू योजनाओं के संक्षिप्त रूप प्रकारों का निरीक्षण करता है ।

(ख) १५ ।

(ग) सरकार विचार कर रही है कि इन चालू योजनाओं का निरीक्षण करने में वन महानिरीक्षक की सहायता करने के लिये एक अभिकरण स्थापित किया जाये ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या राज्य सरकार की गतिविधियों का समन्वय करने के लिये सरकार किन्हीं अन्य साधनों पर विचार कर रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिये सारे विषय पर विचार किया जा रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं इन की कुछ विशेष बातें जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे जानकारी नहीं है यदि माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न पूछें तो मैं उस का उत्तर दे दूंगा ।

रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता

*१३३२. **डा० रामा राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२-५३ की तुलना में वर्ष १९५३-५४ में भर्ती किये गये रेलवे कर्मचारियों में प्रमुख रोगों, जिन में आंतों का ज्वर भी सम्मिलित है, का प्रकोप बढ़ जाने के कारणों की कोई जांच अथवा अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पता लगा;

(ग) इन में से बहुत से रोग गंदगी के कारण होते हैं। उस गंदगी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आंतों के ज्वर के कारण कितनी दिहाड़ियों की हानि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां । १९५३-५४ में इस की वृद्धि का यह कारण था कि विभिन्न राज्यों में जिन में से रेलें जाती हैं इन रोगों का प्रकोप बढ़ गया था ।

(ग) श्रेणियों के पुनर्गठन और पक्का कर के और निवारक तथा उपचारक साधनों से सफाई की ओर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। एक रेलवे ने बड़े बड़े स्टेशनों पर सफ़ाई परिषद् स्थापित किये हैं जो इस क्षेत्र में बड़ा लाभदायक कार्य कर रहे हैं ।

(घ) आंतों के ज्वर से कितनी दिहाड़ियां बरबाद हुई इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

डा० रामा राव : माननीय मंत्री ने एक सामान्य वक्तव्य दिया है कि रेलवे कर्मचारियों में इस प्रकार की अधिक घटनायें देश के अन्दर ऐसी घटनाओं के आधिक्य की द्योतक हैं । आप हमारा पथ-प्रदर्शन करें । यह एक गलत वक्तव्य है । मैं एक उत्तर का उल्लेख कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह पथ-प्रदर्शक नहीं चाहते हैं । वह मंत्री जी के उत्तर पर टिप्पणी दे रहे हैं ।

डा० रामा राव : ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं ? उन्होंने एक गलत वक्तव्य दिया है जिसे मैं गलत सिद्ध कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कई बार यह प्रक्रिया निर्धारित की है कि जब कोई माननीय सदस्य यह देखे कि एक माननीय मंत्री का वक्तव्य वास्तव में गलत है तो उस सम्बन्ध में यह प्रश्न न उठाया जाये कि वह बात गलत या सही है, बल्कि वह मुझे इस सम्बन्ध में एक पृथक् पत्र लिखें और मेरा ध्यान आकर्षित करे । तब मैं माननीय मंत्री से इस की व्याख्या करने के लिये कहूंगा । यदि वह स्वीकार करेगा कि वक्तव्य गलत है तो प्राकृतिक रूप से माननीय मंत्री सभा में आ कर ठीक वक्तव्य देंगे । यदि वक्तव्य ठीक होगा तो वह माननीय सदस्य से पत्र व्यवहार करेगा कि यह किस प्रकार गलत है । हम माननीय मंत्रियों के वक्तव्यों की सत्यता एवं शुद्धता पर सभा में चर्चा नहीं करते ।

डा० रामा राव : धन्यवाद । आन्तों के ज्वर की अधिक घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार की कोई योजना है कि रेलवे में टी० ए० बी० के टीके लगाने को भी उसी प्रकार से नियमित कर दिया जाये जैसा कि यह सेना में है ?

श्री अलगेशन : रोकथाम के उपायों में टीके लगाना सम्मिलित है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: टी० ए० बी० के टीके उसी समय लगाये जाते हैं जब कि रोग फैला हुआ हो । क्या रेलवे कर्मचारियों के यह टीके सामान्य अवस्था में भी लगाये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : मैं ने कहा है कि ये बातें रोकथाम के उपायों में से हैं ।

कांगड़ा तथा कुल्लू घाटी में विमान पट्टी

*१३३३. **श्री हेम राज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी के ढालून तथा कुल्लू घाटी के भुन्टर अथवा कतरैन में विमान पट्ट निर्माण करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के सर्वेक्षण कब आरम्भ किये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कुल्लू तथा कांगड़ा घाटी में कई स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि वैसे किस समय तक यह सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : इन का अभी परीक्षण किया जा रहा है और अभी इस में कुछ समय लगेगा ।

रेलवे कर्मचारियों का वतन

*१३३४. **श्री वीरस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा सेवा के 'हवालदारों' के वेतन-स्तरों को ३५–५० रुपये से कम कर के ३५–४० रुपये कर दिया गया है और उन के पद का नाम भी बदल कर 'नायक' रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रभावित कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). पुराने सुरक्षा तथा प्रतिपालन संगठन के पुनर्संगठन के परिणामस्वरूप, वेतन-स्तरों तथा पद-संज्ञाओं को प्रमापित कर दिया गया है । दक्षिण रेलवे पर कुछ कर्मचारियों का, जिन्हें हवालदार कहा जाता था, नाम बदल कर अब नायक कहा जाता है और इस से उन के वर्तमान वेतन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । यह कार्यवाही सारी भारतीय रेलों में वेतन-स्तरों, पद-संज्ञाओं तथा कृत्यों की समानता के लिये आवश्यक थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैंगनीज़ की खानों में हड़ताल

*१३४०. **श्री सारंगधर दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज़ बर्ड एण्ड को० द्वारा अपनी उड़ीसा राज्य के क्योंझर ज़िले के बादबील क्षेत्र में ठाकुराहीज़ खानों में नियुक्त एक खनिकों के समूह ने ३ मार्च, १९५५ की सायं को एक स्थानीय खनिक की हत्या कर दी;

(ख) क्या समूह-पदाधिकारी तथा खानों के प्रबन्धक ने उस दंगे में कोई भाग लिया था;

(ग) स्थानीय अधिकारियों ने अपराधियों को पकड़ने की क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह सच है कि ५,००० स्थानीय खनिकों ने विरोध के रूप में काम करना बन्द कर दिया है; और

(ङ) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा उस का क्या करने का विचार है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) एक स्थानीय खनिक, स्थानीय खनिकों तथा एक दूसरे खनिक वर्ग की लड़ाई के परिणामस्वरूप मारा गया था ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) स्थानीय कर्मचारियों ने ४ मार्च को विरोध के रूप में काम करना बन्द कर दिया था किन्तु ५ मार्च, १९५५ को उन्होंने फिर अपना काम आरम्भ किया ।

(ग) तथा (ङ). पुलिस की जांच चल रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या खनिकों का अन्य वर्ग गोरखपुर वालों का है और महायुद्ध के दौरान एक गोरखपुरी भर्ती संगठन का निर्माण भी किया गया था और अब उस खान के स्वामी मैसर्ज़ बर्ड एण्ड को० उन गोरखपुर वाले श्रमिकों को अन्य श्रमिकों को डराने के लिये प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : गोरखपुर वालों को भर्ती करने वाला यह संगठन युद्ध काल में बनाया गया था किन्तु उस समय से इस में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं । भारतीय श्रमिक सम्मेलन, जो अभी गत वर्ष हुआ था, के निर्णय के अनुसार एक समिति नियुक्त की गई थी जिस में उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक प्रतिनिधि थी । श्रमिकों तथा नियोजकों के प्रतिनिधि भी उस में थे । और अब जो काम वहां चल रहा है वह उसी समिति की सिफारिशों के अनुकूल चल रहा है ।

श्री सारंगधर दास : क्या यह सच है कि अभी मुख्य श्रम आयुक्त ने खानों का दौरा किया था और संघ तथा प्रबन्धकों में एक समझौता हुआ है कि उस क्षेत्र में गोरखपुरियों को निकाल दिया जायेगा ?

श्री आबिद अली : मुख्य श्रम आयुक्त को वहां भेजा गया था और उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या उसे अन्य विषयों की जैसे कि खनिकों को बोनस, उन की कार्य की अवधि, उन के वेतन या मजूरी तथा आवास आदि सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिये भी कहा गया था ?

श्री आबिद अली : जब एक बार मुख्य श्रम आयुक्त किसी स्थान विशेष पर जाता है तो वह ऐसे समस्त लम्बित विषयों पर ध्यान देता है जिन पर उसे ध्यान देना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि प्रबन्धकों का श्रमिकों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध भड़काने में कोई हाथ था, ताकि उन की किसी भी न्यायिक मांग को स्वीकार होने से रोका जाये ?

श्री आबिद अली : नहीं; बिल्कुल नहीं ।

ऊन

*१३४१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५३ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के इलाके में काश्मीर से लेकर आसाम तक भेड़ बकरियों के ऊन की श्रेणी और मात्रा में वृद्धि करने

के लिये कोई और कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक संक्षिप्त विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय की सम्मति में कितने वर्षों के अन्दर सारे हिमालय भर की भेड़ों और बकरियों का सुधार कर लिया जायगा और क्या वह वर्तमान प्रगति से संतुष्ट हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं संतुष्ट नहीं हूं और उस में प्रगति लाने की आवश्यकता है, पर पूरा हिमालय कवर करने के लिये उतना ही लम्बा अर्सा भी लगेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी है कि आजकल जो मेरीनो तथा दूसरी भेड़ों के साथ परीक्षण किये जा रहे हैं उन के बदले तिब्बत से लाई हुई भेड़ें व बकरियां हिमालय के ऊंचे स्थानों पर अधिक सफल हो सकती हैं और क्या इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि तिब्बत से भी भेड़ें लाई जायें ?

डी० पी० एस० देशमुख : इस खास बात के बारे में तो मुझे इस वक्त कुछ मालूम नहीं है, मगर जो कुछ भी मुनासिब है, वह कार्यवाही हो रही है ।

रेलों पर भोजन-व्यवस्था

***१३४२. श्री डाभी :** क्या रेलवे मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में रेस्तूरां तथा रेस्तूरां अथवा भोजन के डिब्बों से दिये जाने वाले भोजन की दरें प्रमापित कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं; श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे पर एक निरामिष भोजन के लिए २–४–० लिये जाते हैं, और क्या तुलनात्मक दृष्टि से यह अधिक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : वह राय पूछ रहे हैं ।

श्री अलगेशन : जी हां, कीमत तो यही है । माननीय सदस्य ठीक कहते हैं, किन्तु हम ने रेलवे को कहा है कि वह इन का पुनर्विलोकन करे और अपनी प्रस्थापनायें समर्पित करे ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि रेस्तूरां कारों तथा भोजन-व्यवस्था की कारों में चपातियों के तैयार करने के लिये घी के स्थान पर वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है और क्या सरकार उन्हें वनस्पति तेल के स्थान में घी प्रयोग करने के लिये कहेगी ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में उतने समय तक उन्हें वनस्पति तेल प्रयोग करने की स्वतंत्रता है जब तक कि उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाती ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन के द्वारा निर्दिष्ट यह प्रश्न अधिक ऊंचे मूल्यों के सम्बन्ध में है । जैसा कि मैं समझता हूं उन का प्रश्न यह है कि अधिक मूल्य इसलिये लिया जाता है कि वनस्पति तेल की बजाय घी का प्रयोग किया जायेगा । यह प्रश्न इसी प्रकार सम्बन्धित है ।

श्री अलगेशन : मुझे उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है किन्तु बहुत देर से यही दरें चली आ रही हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को पता है कि पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे में प्रमापित भोजन इतना घृणास्पद है कि उसे खाया भी नहीं जा सकता ?

भारत-जापानी करार

*१३४३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-जापानी शान्ति सन्धि, जो जून, १९५२ में हुई थी, के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत जापान से कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं । अभी मामले पर विचार किया जा रहा है ।

( ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस करार के कब तक किये जाने की संभावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में यह करार निकट भविष्य में नहीं हो सकेगा, क्योंकि आस्ट्रेलिया का जापान के साथ पहले से ही ऐसा करार था और कोई शान्तिपूर्ण हल कराने के बजाय इस से और झगड़ा पैदा हुआ । अतः करार करने से पूर्व हमें मामले पर ध्यान से विचार करना पड़ेगा ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

*१३४६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) समिति समझती है कि उन का प्रतिवेदन सरकार के पास वर्तमान आय-व्ययक सत्र के अन्त तक सरकार को भेजा जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उन की पूछताछ के अतिरिक्त, क्या सरकार अथवा रेलवे बोर्ड उन को ऐसी विभागीय जांचों के प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे जो कि उन्होंने भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में दिये हैं ?

श्री अलगेशन : यदि समिति इस सम्बन्ध की कुछ सामग्री के लिए मांग करेगी तो निस्सन्देह रेलवे बोर्ड उस समिति को ऐसी सामग्री देगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रतिवेदन आयव्ययक सत्र के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा । तो क्या मैं यह समझूं कि प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उन्होंने तमाम स्टेशनों का दौरा समाप्त कर लिया है ?

श्री अलगेशन : यह विभिन्न अवस्थाओं में हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, किन्तु हमें समिति ने स्वयं ही यह कहा है कि वह आयव्ययक सत्र के अन्त तक अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे सकेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड के पास पहुंचने के बाद

ही प्रकाशित होगा अथवा इसे रेलवे बोर्ड के परीक्षण के बाद प्रकाशित किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में यह प्रश्न काल्पनिक से हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस अवस्था पर यह प्रश्न अनुमानात्मक है ।

जम्मू तथा काश्मीर को टी०बी० निरोधक सहायता

*१३४७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५३-५४ के दौरान राजयक्ष्मा नियंत्रण योजना के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में १९५४ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) उक्त राज्य में बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन चलाया गया और ९८५,७९८ व्यक्तियों का ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण किया गया और दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक ३४७,२२८ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : दिये गये विवरण में मुझे यह जानकारी दी गई है कि राज्यों को क्षय-विरोधी प्रचार सामग्री दी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह सामग्री किस प्रकार की, कितनी तथा किस मूल्य की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे सामग्री के मूल्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । विस्तृत बातें जानने के लिये आप पृथक् प्रश्न पूछें ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : विवरण में मुझे यह जानकारी भी दी गई है कि राज्य को बी० सी० जी० विशेषज्ञों की टेकनिकल सलाह एवं सहायता उपलब्ध की गई है । उन का यात्रा-भत्ता राज्य ने दिया था अथवा केन्द्र ने ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि व्यय दिया जाना था तो उसे केन्द्रीय सरकार ने ही दिया होगा मुझे इस सम्बन्ध में ठीक मालूम नहीं है ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : सभी विदेशी व्यक्ति अनिवार्य रूप से केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में रहते हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : मैं उत्तर नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : उन का व्यय केन्द्रीय सरकार की ओर से दिया जाता है ।

परिवहन व्यवस्था

*१३४८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे के पांडु प्रदेश के अधिकांश स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को उन के अपने-अपने स्टेशनों में माल चढ़ाने तथा उतारने का ठेका मिला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है; तथा

(ग) क्या इस पद्धति ने उस प्रदेश के स्टेशन मास्टरों एवं अन्य रेलवे कर्मचारियों के नियमित स्थानान्तरण में बाधा डाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक पुरानी प्रथा है जो अब भी जारी है । स्टेशन मास्टरों को उन

स्थानों का ठेका मिला हुआ है जहां यातायात अधिक नहीं है और वे अपने सरकारी काम में हस्तक्षेप किये बिना ही अपने ठेके कुशलता-पूर्वक चला सकते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं वह न्यूनतम एवं अधिकतम राशि जान सकता हूं जिस पर बड़े-से-बड़े एवं छोटे-से-छोटे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को माल चढ़ाने एवं उतारने का ठेका दिया जाता है ?

श्री अलगेशन : मेरे सामने दरों की सूची नहीं है । जैसा मैं कह चुका हूं, छोटे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को यह ठेका लेने को कहा जाता है । मेरी जानकारी यह है कि इन स्टेशनों में स्वीकृत दरों की अनुसूची ठेकों के लिये स्वीकृति दरों से भी कम है ।

डा० राम सुभग सिंह : इन विभिन्न स्टेशनों में ठेके लेने वाले स्टेशन मास्टर, माल उतारने एवं चढ़ाने के लिये कुलियों को प्रति बोझा क्या देते हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास दरों की सूची नहीं हैं । मैं यह पहिले ही कह चुका हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'नहीं' कहा था । क्या सरकार हमें अपेक्षित जानकारी का एक विवरण देगी जिस में विभिन्न स्टेशनों में वर्तमान स्टेशन मास्टरों के रहने की अवधि बताई गई हो ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से इतना विस्तृत विवरण मांगा नहीं जाता । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक स्टेशन मास्टर स्थानान्तरित हो कर अन्य स्टेशन को जाता है तो वह अपना काम भी संभाल लेता है । इस प्रथा के कारण आवश्यकता होने पर स्थानान्तरण नहीं रोके जा सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि डिब्रूगढ़ में बाढ़ नियंत्रण के लिये आवश्यक सामग्री, श्रमिकों की कमी के कारण नहीं उतर सकी, और क्या इस का भी उन क्षेत्रों में प्रचलित विशेष प्रकार के ठेके की प्रथा से कोई सम्बन्ध है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं ।

शिकायतें

***१३४९. चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान रेलवे कर्मचारियों के अशिष्ट व्यवहार तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितने पदाधिकारियों के विरुद्ध उपर्युक्त दोषारोपों के कारण निलम्बित करने, पदच्युत करने एवं अनुशासन की कार्यवाही की गई; और

(ग) कितनी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) क्रमशः ४१८० तथा १८९६ ।

(ख) १७६५ मामलों पर अब तक कार्यवाही की जा चुकी है ।

(ग) केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां शिकायत सिद्ध नहीं होती सभी शिकायतों की जांच की जाती है और उपर्युक्त कार्यवाही की जाती है ।

विमान चालक

***१३५०. श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शराब पीने के व्यसनी व्यक्तियों को असैनिक उड्डयन विभाग

में नियुक्त न करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वे किस परिणाम पर पहुंचे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). शराब पीने के व्यसनी व्यक्तियों को असैनिक उड्डयन विभाग अथवा विमान निगमों में विमान-चालक नियुक्त नहीं किया जाता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या उन के उत्तर का यह अभिप्राय है कि यदा-कदा शौक करने वालों को नियुक्त कर लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने माननीय सदस्य के प्रश्न का सीधा उत्तर दे दिया है । वह यह जानना चाहते थे कि शराब पीने के व्यसनी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है अथवा नहीं । मैं ने कहा कि नहीं नियुक्त किया जाता है

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या नियमित रूप से शराब पीने वालों को नियुक्त कर लिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री मुहीउद्दीन : कितने विमान-पत्तनों पर शराब बेचने की अनुज्ञप्ति दी गई है ?

श्री राज बहादुर : इस के लिये मुझे पृथक् प्रश्न की सूचना की आवश्यकता होगी ।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

*१३५१. **श्री गिडवानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५४ तक कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत कुल कितनी राशि एकत्र हुई है;

(ख) ३१ मार्च, १९५४ से उस पर कितना व्यय किया गया; तथा

(ग) ३१ मार्च, १९५४ तक उक्त निधि से कोयला खान श्रमिकों के लिये कितने मकान बनाये गये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) आठ करोड़ निन्यानवे लाख पिचानवे हजार, चार सौ सैंतालीस रुपये ।

(ख) चार करोड़ चौंसठ लाख साठ हजार छः सौ पिचासी रुपये ।

(ग) (१) केवल निधि के धन से निर्मित मकान : २१५३ ।

(२) निधि की सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन निर्मित मकान :—

(क) मंजूर हुए मकान २७६७

(ख) पूर्ण रूप से निर्मित मकान १३८६

(ग) मकान जो बन रहे हैं १९१ ।

श्री गिडवानी : क्या खनिकों से कुछ बकाया राशि वसूल होना अवशेष है; और यदि हां, तो उस को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आबिद अली : खनिकों के पास कोई बकाया राशि नहीं ।

श्री गिडवानी : श्रमिकों के कल्याण के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री आबिद अली : सारी योजना श्रमिकों के कल्याण के लिये है । वे अस्पतालों, क्षय निरोध के तथा कुष्ठ-विरोधी उपायों को अपनाते हैं । प्रसूतिका एवं शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं । कोयला खानों को दवाखाने चलाने के लिये अनुदान भी दिया जाता है । इस के अलावा भी हम कई अन्य कार्य करते हैं ।

श्री गिडवानी : क्षय का शिकार होने वाले श्रमिकों के लिये क्या विशेष तरकीबें अपनायी जाती हैं ?

श्री आबिद अली : जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं, क्षय-विरोध की तरकीबें अपनाई जाती हैं । खान में कार्य करते समय भी निरोधक एवं चिकित्सा सम्बन्धी दोनों प्रकार की कार्यवाही की जाती है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह राशि भारत की संचित निधि के साथ विलीन कर के रखी जाती है, अथवा यह एक पृथक् निधि के रूप में रखी जाती है, जिस पर ब्याज कमाया जाता है ?

श्री आबिद अली : यह एक पृथक् निधि है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उस पर कुछ ब्याज भी कमाया जाता है ?

बिजली से चलने वाले रेल के डिब्बे

*१३५३. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नये बिजली से चलने वाले रेल के डिब्बों के लिये आर्डर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने डिब्बों का आर्डर दिया गया है; और

(ग) किन फर्मों को आर्डर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर, १९५२ में मीटर गेज के २४, जनवरी १९५४ में बड़ी लाइन के ५० डिब्बे ।

(ग) इटली के मैसर्ज़ ब्रेड़ा फिरोवि-आरिया सेस्टो, एस० मिओवानी मिलानो ।

कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था का स्वयंचाली-करण

*१३५५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था का स्वयं-चालीकरण कब समाप्त हो जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १९५७ के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस स्वयं-चालित व्यवस्था में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, जिस से कि हम १९५७ से पहले अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते ?

श्री राज बहादुर : यह बहुत बड़ी परियोजना है जिस पर १४ करोड़ रुपये से अधिक लागत आयगी । जैसा कि माननीय सदस्य को भलीभांति ज्ञात है, भूतपूर्व बंगाल टलीफोन कम्पनी वर्तमान टेलीफोन पद्धति को बहुत खराब अवस्था में छोड़ गई थी । उन्होंने वर्षों तक कोई मरम्मत अथवा बदलाव नहीं किये थे । हमें यह व्यवस्था इसी अवस्था में लेनी पड़ी । इस कारण हमें एक बहुत बड़ी योजना हाथ में लेनी पड़ी क्योंकि कलकत्ता एक बहुत बड़ा नगर है । वर्ष १९५१ में जाकर स्वयंचालीकरण की योजना मंजूर हुई तब से हम इस कार्य को यथासम्भव शीघ्र करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस व्यवस्था स्वयंचालीकरण होने से कुछ लोग बेकार हो जायेंगे । उन्हें किस प्रकार काम में लगाया जायगा ?

श्री राज बहादुर : जहां तक पहिले भाग का सम्बन्ध है मैं आंकड़े बता दूं । पहिली स्थिति में केन्द्र, जोरशांका, तथा एवन्यू एक्सचेंजों में ४०००, ५६०० तथा ४२०० लाइनों की क्षमता की व्यवस्था हुई । उस में केवल २६ टेलीफोन आपरेटर खाली हुए । उन सब को कलकत्ता ट्रंक एक्सचेंज में स्थान दिया गया ।

भाग दो के खुलने पर जो कि मई २ में प्रारम्भ हो जायगी, १२० टेलीफोन आपरेटर

आवश्यकता से अधिक हो जायेंगे । उन को पश्चिमी बंगाल सर्कल में ही खपा लिया जायगा और यदि आवश्यक होगा तो उन्हें पड़ोसी क्षेत्रों में काम पर लगा दिया जायगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात का ध्यान रखते हुए कि लगभग सभी नम्बर बदल चुके हैं क्या नई टेलीफोन डायरेक्टरी (निर्देशिका) टेलीफोनों के स्वयंचालीकरण के पूर्व प्रस्तुत एवं प्रकाशित हो जायगी ?

श्री राजबहादुर : हम आशा करते हैं कि यह अप्रैल के मध्य तक प्रकाशित हो जायगी ।

फलों के पार्सलों के लिये डाकीय रियायतें

*१३५७. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू फल उगाने वाले संघ से, फल के पार्सलों की रियायती दर निर्धारित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पंजाब राज्य सरकार की ओर से कुल्लू घाटी से भेजे जाने वाले फलों के पार्सलों के लिये रियायती दरें लिये जाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री हेम राज : कब तक यह निर्णय कर लिया जायगा ?

श्री राज बहादुर : कालान्तर में ।

श्री हेम राज : वह अवधि कितनी लम्बी होगी ?

श्री राज बहादुर : मैं एक निश्चित तारीख नहीं बता सकूंगा । मैं शीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न करूंगा ।

नये टेलीफोन एक्सचेंज और पब्लिक काल आफिस

*१३६०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४–५५ के बजट प्राक्कलन में नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा पब्लिक काल आफिस के लिये निश्चित राशि का अब तक विभिन्न सर्कलों में किस तरह बंटवारा किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न सर्कलों में जो बटवारा किया जाता है उस के लिये उन से मांगें ली जाती हैं या हैडक्वार्टर्स में ही बैठ कर उसका फैसला कर लिया जाता है और उस के आधार पर बटवारा किया जाता है ।

श्री राज बहादुर : इस की एक निश्चित योजना है कि हम को कहां एक्सचेंज खोलना है और कहां पब्लिक काल आफिस । जिलों के मुख्य स्थानों पर एक्सचेंज और उपजिलों के मुख्य स्थानों पर पब्लिक काल आफिस खोले जायेंगे । ऐसा हमारा प्रोग्राम है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष जिन सर्कलों को बहुत कम रुपया मिला है उन को क्या अगले वर्ष अधिक रुपया देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : अगर आवश्यकता हुई तो अवश्य मिलेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विमान सेवा के कामकरों द्वारा हड़ताल की धमकी

*१२९५. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान निगम तथा विमान निगम कर्मचारी संघ के बीच मज़दूरी तथा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में झगड़ा हो जाने के कारण विमान सेवा के कामकरों द्वारा हड़ताल किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि संघ के अध्यक्ष द्वारा पिछले महीने विरोधी मत प्रगट करने के उपरांत भी निगम नये वेतन-क्रम तथा सेवा की शर्तों को बलात् धोप रहा है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस झगड़े का निपटारा करने की कोई कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चीनी के कारखाने

*१३०१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू मौसम में गन्ना न मिलने के कारण अभी तक कितनी चीनी की मिलें काम नहीं कर सकीं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): छः ।

कलकत्ता पत्तन

*१३०२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से समुद्र में जाने वाले और वहां से कलकत्ता आने वाले जहाज़ों के लिय नौवहन मार्ग खुला रखने के लिये वर्ष १९४७ से हुगली नदी की सतह से रेती-गारा, आदि हटाने में प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है;

(ख) क्या साइन्स क्लब (विज्ञान क्लब), कलकत्ता के तत्वावधान में हुई एक गोष्ठी में इस पर भी चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किस ने भाग लिया; तथा

(घ) वहां किस प्रकार के सुझाव रखे गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) से (घ). उक्त गोष्ठी में कलकत्ता पत्तन के एक सहायक नदी सर्वेक्षक श्री एस० पी० सारथी ने हुगली नदी में नौवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में एक पत्र पढ़ा । उस पत्र में नदी नियंत्रण के निर्माण-कार्यों तथा ऊपर से पानी आने के स्रोतों में किये गये निर्माण में कुछ सुधार करने का सुझाव दिया था ।

खाद्यान्न का आयात

*१३०३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज के आयात व निर्यात पर से प्रतिबन्धों के हटाने के पश्चात् अब तक ग़ैर सरकारी आधार पर कितने और कितने मूल्य के खाद्यान्न का आयात हुआ है; और

(ख) व्यापारियों ने किन किन अनाजों में व्यापार किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) आयात प्रतिबन्धों के हटने के उपरान्त

३१ दिसम्बर, १९५४ तक गैर-सरकारी आधार पर आयात किये गये खाद्यान्न की मात्रा और उस का मूल्य इस प्रकार है :—

	आयात की गई मात्रा (टनों में)	मूल्य १००० रुपयों में
चावल	९,५९०	५,८१६
गेहूं	७२,५८८	२६,२५७
मकई .	१३,१९७	४,१२६
ज्वार और बाजरा	३५४	१२६

(ख) चावल, गेहूं, मकई, ज्वार और बाजरा ।

"फोर्ड फाउन्डेशन" से सहायता

*१३०५. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी (गव्य) तथा अन्य उद्योगों के विकास के लिये फोर्ड फाउन्डेशन से प्राविधिक तथा वित्तीय क्या सहायता प्राप्त होगी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई एकीकृत योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस की विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) कोई नहीं ।

(ख) डेरी (गव्य) और अन्य संबंधित उद्योगों के सम्बन्ध में कोई फाउन्डेशन से सहायता प्राप्त करने की कोई एकीकृत योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंगलिस्तान में चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थी

*१३०८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि इंगलिस्तान में कितने चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थी उच्च शल्य विद्या और अन्य चिकित्सा शास्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): समाचार मिला है कि इंगलिस्तान में ५८६ चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

गैंगमेन (टोलियों में लाइनों में काम करने वाले) को काम दिलाना

*१३१०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार, वर्षा ऋतु में रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, कुछ और स्थायी-मार्ग के गैंगमेन को नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मख्य रूपरेखा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विद्यमान प्रक्रिया में यह उपबन्ध है कि वर्षा ऋतु में जहां आवश्यक हो वहां लाइन पर गश्त किया जाता है, अतः कोई नवीन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई रेलवे लाइनें

*१३११. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्पश्चात् गारो पहाड़ी में एक रेलवे लाइन बनाने की दृष्टि से वहां का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस रेलवे स्टेशन से यह कार्य आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारी

*१३१२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी रेलवे के पाण्डु क्षेत्र के कितने अधिक कर्मचारी काम पर लगा दिये गये हैं और कितनों को अभी काम पर लगाना बाक़ी है; और

(ख) सरकार को किस समय तक उन के काम पर लग जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) और (ख). भूतपूर्व-आसाम रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे महाखण्ड में मिलने पर भूतपूर्व-आसाम रेलवे के लगभग ६६० कर्मचारी पाण्डु में आवश्यकता से अधिक हो गये थे। जिन में से ४०० कर्मचारियों को कलकत्ता में उत्तर-पूर्वी रेलवे के कार्यालयों की विस्तृत पदालियों में काम पर लगा दिया गया है और शेष लोगों को और कहीं लगा दिया गया है ।

रेलवे कर्मचारी

*१३१५. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने के कारण १९५२–५४ में कितने लोगों को रेलवे सेवा से हटाया गया;

(ख) क्या १९५२–५४ में किसी रेलवे कर्मचारी को, किसी राजनीतिक संगठन को सक्रिय सहायता देने के आधार पर सेवा से हटाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) चार ।

परिवहन अध्ययन वर्ग

*१३१६. **श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री १७ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन वर्ग (परिवहन योजना) ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ;

(ग) अब तक उनमें से कौन कौन सी सिफ़ारिशें स्वीकृत और कार्यान्वित हो गई हैं; और

(घ) इस अध्ययन वर्ग पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) ५९,८०० रुपये ।

रेलों पर भोजन-व्यवस्था

*१३१७. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ठेकेदार को भोजन के बहुत से ठेके न देने की नीति का पालन करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) भविष्य में ठेके देने या ठेकों के नवीकरण करने में इस नीति का पालन किया जायेगा ।

चित्तूर में चीनी का कारखाना

*१३२०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तूर में एक चीनी का कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) क्या कारखाना खोलने के लिए उस क्षेत्र के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व आंध्र सरकार ने सूचित किया था कि वे सहकारिता के आधार पर चित्तूर में एक चीनी का कारखाना खोलने का विचार कर रहे हैं ; परन्तु अनुज्ञप्ति के लिए कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम ब्यूरो (सूचनालय), शिमला

*१३२२. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ब्यूरो (सूचनालय), शिमला में प्रथम श्रेणी के कितने पद युद्ध-सेवा वाले पदाभिलाषियों के लिए रक्षित हैं :

(ख) क्या उन पदों पर युद्ध-सेवा पदाभिलाषियों को नियक्त किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारी

*१३२८. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व-राज्य रेलवे के कर्मचारियों के समानीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ; और

(ग) यह कब प्रकाशित होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . सिफ़ारिशें प्रकाशित होने के लिए नहीं हैं ।

मोकामा पुल

*१३२९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री २९ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब गंगा पर मोकामा घाट पर रेल तथा सड़क के पुल का निर्माण-कार्य सन्तोषजनक रूप में चल रहा है ; और

(ख) इस पुल निर्माण पर २८ फरवरी, १९५५ तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ३१ जनवरी, १९५५ तक लगभग १९८ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। फरवरी १९५५ तक के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं।

टिड्डी नाशक दल

*१३३१. **श्री जे० आर० मेहता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल राजस्थान में काम करने वाले टिड्डी नाशक दलों में कुल कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) पाकिस्तान राजस्थान सीमा से २० या ३० मील के क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले दलों में कितने व्यक्ति हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) चौहत्तर चलती-फिरती चौकियां कार्य कर रही हैं। जब टिड्डियों का दल इस क्षेत्र में आयेगा तब वास्तविक कार्य किया जायगा।

(ख) उन्नीस।

अगरतला में डाक सम्बन्धी शिकायतें

*१३३५. **श्री दशरथ देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में डाक वस्तुओं के अवितरण और अनियमित वितरण के सम्बन्ध में अगरतला के बड़े डाकघर में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८१ (इक्यासी)।

(ख) क्लर्कों और वितरण करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। अगरतला डाक घर से डाक छांटने के कार्य को हटाने के लिए डाक छांटने का एक पृथक् कार्यालय खोलने का भी विचार है।

बेचने के ठेके

*१३३६. **श्री पी० सुब्बा राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर चाय और अल्पाहार बेचने के लिये टेन्डर मांगे हैं और लाइसेन्स फीस ५०० रुपये से लेकर ६,००० रुपये तक निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेन्स फीस किस आधार पर निर्धारित की गयी है और इस का क्या प्रयोग होगा; और

(ग) क्या सरकार ने यह बात निश्चित कर ली है कि अधिक लाइसेन्स फीस लेने का विक्रय होने वाली वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव न पड़ेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्वी रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर चाय और अल्पाहार बेचने के लिये टेन्डर नहीं अपितु प्रार्थनापत्र मांगे थे और स्टेशन के महत्वानुसार लाइसेन्स फीस एक वर्ष के लिये ५०० रुपये से ६,००० रुपये तक निर्धारित की थी।

(ख) लाईसेन्स फीस स्थानीय परिस्थितियों और अन्य संगत बातों को, जिन में व्यापार की मात्रा भी सम्मिलित है, ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है। यह सामान्य राजस्व में जमा होती है और किसी भी विशेष कार्य में प्रयोग होने के लिये नहीं रखी जाती है।

(ग) फीस अधिक नहीं होती और न ही ऐसी होती है कि उस से विक्रय होने वाले अल्पाहारों के मूल्यों पर प्रभाव पड़े।

उर्वरकों का आयात

*१३३७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में कितनी मात्रा में उर्वरक विदेशों से मंगाये गये;

(ख) उर्वरक किन किन देशों से मंगाये गये और उन का मूल्य क्या था; और

(ग) सिंदरी कारखाने में बने उर्वरक के मूल्य की तुलना में उन का मूल्य कैसा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ९४,००० टन ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिस में यह जानकारी दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट बन्ध संख्या २३**]

औषधियों का मुफ्त वितरण

*१३३८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासियों में पेटेंट दवाइयां बांटने के लिये कोई धन राशि रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि रखी गई है और उस का उपयोग कब होगा; और

(ग) मध्य भारत के आदिवासियों के लिये कितना अभ्यंश निश्चित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों में पेटेंट दवाइयों को बिना दाम लिये बांटने के लिये अलग अलाटमेंट नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

परिवहन सुविधायें

*१३३९. **श्री बिमला प्रसाद चालिहा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में ही सिंदरी उर्वरक कारखाने से आसाम में चाय के बागानों को उर्वरक ले जाने में, अपर्याप्त रेलवे परिवहन सुविधा होने के कारण, किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मुख्यतः नदी सम्बन्धी वाहनान्तर केन्द्रों की और बाढ़ के परिणामस्वरूप भारी क्षति और फलस्वरूप आवागमन पर प्रतिबन्ध होने के कारण और आसाम रेल सम्पर्क मार्ग भी सीमित क्षमता होने से और पुनर्वास के लिये भारी विभागीय यातायात होने के कारण, सिंदरी से आसाम के चाय बागानों को उर्वरक भेजने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका ।

कछुओं का बुक किया जाना

*१३४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितने कछुवे गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस डिवीजनों के स्टेशनो से बुक किये गये;

(ख) क्या यह सच है कि भेजते समय कछुवों के पैर और मुंह सूओं से छेद कर नाथ दिये जाते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वे धूप में प्लेटफार्मों पर रख दिये जाते हैं और बिना पानी के तड़फते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) लगभग १८,००० ।

(ख) उन के मुंह और पैर नहीं नाथे जाते लेकिन कभी कभी पैर बांध दिये जाते हैं।

(ग) प्रायः उन्हें प्लेटफार्मों पर छायादार जगहों में रखा जाता है । ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है कि उन्हें पानी के बिना तकलीफ हुई हो ।

डाक तथा तार प्रदर्शनियां

*१३४५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक १९५४–५५ के दौरान विभिन्न डाकीय सर्कलों द्वारा कितनी कला तथा शिल्प प्रदर्शनियां आयोजित की गईं;

(ख) क्या विगत अंतर्राष्ट्रीय डाक तथा तार प्रदर्शनी, जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, में प्रदर्शित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ नई वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सुविधाओं एवं आमोद-प्रमोद की निधि से ही इस पर व्यय हुई धनराशि ली गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्राणकीय तथा वानस्पतिक पार्क

*१३५२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली स्थित पुराना किला के निकट प्राणकीय तथा वानस्पतिक पार्क (उद्यान) के रूपाकार-अंकण के लिये किसी विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी हां ।

नई रेलवे लाइन

*१३५४. **डा० सत्यवादी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात के कोई सुझाव आ चुके हैं कि रेलवे लाइन को जगाधरी से हिमाचल प्रदेश स्थित पोटा क्षेत्र तक बढ़ाया जाय; और

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में जिन नई लाइनों का निर्माण होगा उन को चुनते समय इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जायेगा ।

डीज़ल इंजन

*१३५६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका-शिमला लाइन को छोड़ कर भारतीय रेलों के किन्हीं खण्डों में डीज़ल इंजन चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, क्या किन्हीं विदेशी सार्थों से अतिरिक्त इंजन मंगाने के लिये उन्हें आर्डर दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्; किसी सीमित संख्या के ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

रेलवे कर्मचारी

*१३५८. **श्री जे० आर० मेहता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में, सहायक इंजीनियरों (असैनिक) के स्थायी तथा अस्थायी स्वीकृत स्थानों की कुल संख्या कितनी है; तथा

(ख) इन स्थानों पर काम करने वाले ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो कि आई० आर० एस० ई० के लिये अभिज्ञात उपाधियां रखते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) १७१ ।

बिहार में खाद्यान्न की कमी

*१३५९. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की बाढ़ और सूखा के कारण उत्तर बिहार तथा खास कर दरभंगा ज़िला और सीतामढ़ी सब-डिवीज़न में धान और रबी की फसल मारी गई है और उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो गई है;

(ख) क्या यह बात भी सच है कि उन क्षेत्रों के सरकारी गोदामों में स्टाक पहले से ही समाप्त हो गया है तथा भीतर के क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी के कारण उन के भाव बढ़ गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का सोच रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५४ के जुलाई–अगस्त मासों में बाढ़ के कारण उत्तर बिहार में चावल की फसल में कुछ नुकसान हुआ था लेकिन पिछले वर्ष से इस वर्ष रबी की फसल अच्छी होने की आशा है । हाल ही के हफ्तों में सरकारी दुकानों की चावल की मांग कुछ बढ़ गई है ।

(ख) तथा (ग). जी नहीं । राज्य सरकार के पास चावल का भंडार कम नहीं है तथा मोखेमह के केन्द्रीय सरकार के गोदामों से उत्तर बिहार को कुछ और चावल भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है । खाद्यान्न के बाजार-भावों में कोई चिन्ताजनक बढ़ौतरी नहीं हुई है ।

दिल्ली और पेकिंग में रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध

*१३६१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पेकिंग के बीच रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने में कितना व्यय हुआ है; और

(ख) क्या यह व्यवस्था वित्तीय दृष्टि से सफल सिद्ध हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) क्योंकि यह सेवा वर्तमान कर्मचारियों और यंत्रसज्जा द्वारा ही चलाई जा रही है इसलिये इस सेवा के लिये कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ ।

(ख) यह सेवा केवल २–३–१९५५ से ही प्रारम्भ हुई है और इस के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

रेलवे न्यायाधिकरण

*१३६२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री २४ नवम्बर, १९५४ को

पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने, भारतीय रेल-कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन—जो कि संकट सरन न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें प्रेषित किया गया था—पर अभी तक कोई टिप्पण भेजा है; तथा

(ख) यह न्यायाधिकरण कब तक अपनी सिफ़ारिशों को अन्तिम रूप दे देगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस के सम्बन्ध में इसी समय उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

जम्मू तथा काश्मीर को मलेरिया-विरोधी सहायता

***१३६३. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण समिति ने १९५३ तथा १९५४ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कितनी सहायता दी थी; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में १९५४ के अन्त तक राज्य में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार ने इस योजना में भाग लेने के विषय में १९५४-५५ में निर्णय किया था। उन्हें अभी तक २,०३,९४१ रुपयों की सहायता दी गयी है और यह सहायता कीटाणु-घातक औषधियों तथा अन्य प्रकार के उपकरणों के रूप में दी गयी थी ।

(ख) कुछ प्रारम्भिक सर्वेक्षण-कार्य हो चुका है ।

डाक की चोरी

***१३६४. चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में डाक की चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं और उन के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(१) चोरी की घटनायें	१०६
(२) हानि	६७,०९४ (लगभग) (कुल राशि)

कोयला-खानों में बचाव कर्मचारी

***१३६५. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झरिया तथा सीतारामपुर के कोयला-क्षेत्रों के बचाव केन्द्रों में कुल कितने सरकारी बचाव कर्मचारी नियुक्त हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

झरिया	९
सीतारामपुर	१५
कुल	२४

पर्यटक सन्था, धर्मशाला

***१३६६. श्री हेम राज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक सन्था, धर्मशाला (पंजाब) से कोई इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उसे अभिज्ञात किया जाये और वित्तीय सहायता दी जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो उस ने कितना अनुदान मांगा है और उस के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे मार्ग पर जंगला लगाना

३७७. श्री कर्णी सिंह जी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बीकानेर से लालगढ़ जंकशन (बीकानेर

विभाग) को जाने वाली रेलवे लाइन आबादी में से गुज़रती है, परन्तु इस लाइन के दोनों ओर किसी प्रकार का कोई जंगला नहीं लगा है, जिस के परिणामस्वरूप वहां पर हर समय भयानक दुर्घटनायें हो जाने का ख़तरा रहता है; तथा

(ख) यदि हां तो इस स्थान पर जंगला लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस बस्ती में रेलवे लाइन के दोनों ओर जंगला लगाने का कार्यक्रम १९५५-५६ के लिये रखा गया है ।

रेलवे कर्मचारियों की शिकायत

३७८. श्री एन० बी० चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० ए० एस० परीक्षा में बैठने वाले खड़गपुर के रेलवे कर्मचारियों से हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो वह शिकायत किस प्रकार की है; तथा

(ग) इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५४ में खड़गपुर लेखा कार्यालय के दो कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) शिकायत यह थी कि अंकों के जोड़ करने में, अथवा अंकों को सारणी-बद्ध करने में सम्भव त्रुटियों के कारण अथवा एक विशेष प्रश्न के लिये अंक-आवंटित न किये जाने के कारण पेपरों के नम्बर उचित रूप से नहीं लगे हैं ।

(ग) यह शिकायत निराधार पाई गई, अतः इन अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया ।

डाक तथा तार विभाग के विनियोग

३७९. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **संचार** मंत्री एक विवरण सभा की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) डाक तथा तार विभाग की निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक मद पर अलग अलग (ब्योरा सहित) कितनी कितनी लागत लगी है :—

(१) भूमि और भवन;

(२) मशीन, कल पुर्जे तथा सामान;

(३) अन्य सामान;

(४) फर्नीचर, फिक्सचर्स तथा अन्य सामग्री;

(ख) इन मदों पर प्रति वर्ष कितने प्रतिशत अवक्षयण काटा जाता है;

(ग) क्या मरम्मत आदि पर जो व्यय होता है वह मूलधन में जोड़ा जाता है; और

(घ) सरकार को १९५२–५३ में रक्षित निधि आदि के लिये धन काटकर इन मदों में लगाई गई पूंजी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१–३–५४ तक विनियोजित धन इस प्रकार था :—

	लाख
(१) भूमि व भवन . .	११,२५
(२) मशीन, कल पुर्जे तथा साज सामान (जैसे यंत्र आदि, महायन्त्र) . .	१७,२५

(३) डाक-तार विभाग में प्रयोग किये गये अन्य प्रतिष्ठापन आदि :—

(क) तार व टेलीफोन लाइनें और तार व रेडियो मस्तूल और वायवीय ( ) . ३७,४९

(ख) डाक-घरों की रेलवे मेल-सर्विस गाड़ियां व मोटरें . १३

(ग) स्टाक में रखा हुआ स्टोरव और बनायी जा रही वस्तुएं ५,४८

(४) फर्नीचर, फिक्सचर्स तथा अन्य सामान कुछ भी नहीं। क्योंकि यह राजकर के अन्तर्गत चला जाता है और इस पर मूलधन नहीं लगता।

(ख) नवीकरण-रक्षित-निधि (Renewal Reserve Fund) जिस ने १-४-१९३६ से अवक्षयण-रक्षित-निधि (Depreciation Reserve fund) का स्थान ले लिया है, में वार्षिक दान का हिसाब प्रतिशत दर से नहीं लगाया जाता बल्कि और दूरदर्शिता से जैसे सम्पत्ति के पुनर्स्थापन के लिये संभावनीय अपेक्षित धन तथा वह मूलधन जो कि हिसाब में व्यय किया जा चुका है हाल ही में विभागीय सम्पत्ति की औसत आयु निर्धारित करने और निधि में दान देने के लिये एक वैज्ञानिक ढंग निकालने के लिये एक इंजीनियर और एक लेखाधिकारी की कमेटी नियुक्त की गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। इस निधि में प्रचलित वर्ष (१९५४-५५) में १,२५,००० रुपये का दान दे दिया गया है। अगले वर्ष के लिये १,३५,००० रुपये का दान निश्चित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) १९५२-५३ वर्ष के लिये, २.८ प्रतिशत

पटसन

३८०. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक गवेषणा संस्थाओं द्वारा पटसन के नये उपयोगों के सम्बन्ध में कोई खोज की गयी है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). गत वर्ष, भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की प्रौद्योगिक गवेषणा प्रयोगशालाओं में पटसन में ऊन की मिलावट कर के, उस से कंबल और ओढ़नियां बनाने के लिये पटसन को ऊनी रूप देने का कार्य प्रारम्भ किया गया था। विभिन्न भारतीय मिलों ने पहले से ही इस ऊनीकृत पटसन से सस्ते कम्बल तथा ओढ़नियों के नमूने तैयार कर लिये हैं।

मलेरिया

*३८१ **श्री विभूति मिश्र :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री एक विवरण सभा की टेबल पर रखने की कृपा करेंगी जिस में विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नाम दिये हों जहां भारत-अमरीका मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जो दो देशों के बीच दिसम्बर, १९५४ में हस्ताक्षरित करार के अन्तर्गत सोचा गया था, क्रियान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : एक विवरण-पत्र सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५]**

टेलीफोन

३८२. श्री अमजद अली : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की नीति यह है कि (१) देश की जन संख्या के प्रत्येक हज़ार व्यक्तियों के हिसाब से एक एक टेलीफोन दिया जाये और (२) देश में प्रत्येक ज़िला मुख्यालय तथा उप-विभाग मुख्यालय का एक पब्लिक-काल आफ़िस से सम्बन्ध जोड़ा जाये; तथा

(ख) क्या मंत्रालय ऐसी आशा करता है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना की कालावधि के अन्त तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) विभाग का लक्ष्य तो इस से भी ऊंचा है, परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यह था कि प्रत्येक १२०० व्यक्तियों के हिसाब से एक टेलीफोन लगाया जाये ।

(२) जी हां ।

(ख) (क) के सम्बन्ध में :

(१) १३५० व्यक्तियों के हिसाब से एक टेलीफोन, तथा

(२) जिला-मुख्यालय ९९ प्रतिशत
उप-विभागीय
मुख्यालय ६६ प्रतिशत

एमोनियम सल्फेट में से नाइट्रोजन सोखना

३८३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न भूमियों द्वारा एमोनियम सल्फेट में से एमोनिया सोखने के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस के द्वारा; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि जब एमोनियम सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा मिट्टी में मिलाई जाती है, तो सारे का सारा एमोनियम नाइट्रोजन सोखा जाता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) देश की विभिन संस्थाओं के गवेषणा कर्ताओं द्वारा कई वर्षों से इसके सम्बन्ध में गहन अध्ययन किया जा रहा है, किसी एक विशेष वैज्ञानिक गवेषणा संस्था का नाम नहीं लिया जा सकता ।

(ग) प्रयुक्त की गयी नाइट्रोजन के कुछ भाग का पौधों द्वारा सोख लिया जाता है । जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, यह लगभग सारे के सारे नाइट्रोजन को सोख लेती है ।

प्लाज्मिन

३८४. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि प्लाज्मिन को जापान से आयात किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो १९५४ में इस की कितनी मात्रा आयात की गयी थी और उस के लिये सरकार को कितनी धन-राशि अदा करनी पड़ी थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी, हां ।

(ख) ९६ पौण्ड आयात किया गया था ।

सरकार न कुछ भी खर्च नहीं किया क्योंकि इस का आयात निजी व्यापारियों द्वारा किया गया था ।

संतति निग्रह

३८५. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को कोई प्रस्थापना है कि भारत में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों

में यौन शिक्षा, तथा विवाह आरोग्य-विज्ञान का ज्ञान देने के लिये और संतति निग्रह के विषय में प्रचार करने के उद्देश्य से प्रचारक नियुक्त किये जायें ; तथा

(ख) क्या इस के सम्बन्ध में सरकार को जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

अंशदायी चिकित्सा योजना

३८६. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या कारण है कि अंशदायी चिकित्सा योजना, केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी के ऐसे भाइयों और बहनों पर लागू नहीं होती है जो कि पूर्ण रूपेण उसी पर निर्भर करते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : किसी सरकारी कर्मचारी पर निर्भर करने वाले उस के भाइयों और बहनों को अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना से लाभ उठाने का तब तक अधिकारी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इस के कारण बढ़ने वाले खर्च को पूरा करने के लिये सरकारी कर्मचारियों से लिये जाने वाले अंशदान को बढ़ाया न जाये । अंशदान को बढ़ाना उचित नहीं समझा गया ।

अंशदायी चिकित्सा योजना

*३८७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :**
सेठ गोविन्द दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जब से अंशदायी चिकित्सा योजना बनी है, उस दिन से लेकर फरवरी १९५५ के अन्त तक, कर्मचारियों, औषधियों और अन्य प्रकार के आकस्मिक व्ययों आदि पर पृथक् पृथक् कितना खर्च आया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस पर निम्नलिखित खर्च आये हैं :—

(१) कर्मचारियों पर खर्च	४,०५,३३८-१०-०
(२) औषधियों पर खर्च	८,३८,०००-०-०
(३) उपकरण सहित अन्य प्रकार के आकस्मिक खर्च आदि	२,८०,०००-०-०
कुल	१५,२३,३३८-१०-०

अंशदायी चिकित्सा योजना

३८८. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अंशदायी चिकित्सा योजना के अधीन, विलिंगटन हस्पताल तथा लोधी रोड चिकित्सालय में इस समय कितने डाक्टर (नर और नारियां) नियुक्त किये हुए हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि विलिंगटन हस्पताल को नवीनतम सामान संभरित नहीं किया गया है, जिस के कारण रोगियों को विशेष उपचारों के लिये प्रायः इर्विन हस्पताल अथवा सफ़दरजंग हस्पताल में भेज दिया जाता है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या विलिंगटन हस्पताल को पूरा सामान संभरित करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :

(क)

	पुरुष डाक्टर	स्त्री डाक्टर
विलिंगटन हस्पताल	१२	४
लोधीरोड चिकित्सालय	४	२

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

पंजाब में राष्ट्रीय राज-पथ

३८९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अभी तक कितने मील राष्ट्रीय राज-पथ तैयार हो चुके हैं;

(ख) कितने मीलों पर काम हो रहा है;

(ग) इस राज्य में १९५१ से ५६ तक की कालावधि के लिये (१) नयी सड़कों, (२) वर्तमान सड़कों के सुधारने तथा (३) पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था; तथा

(घ) किन किन सड़कों को इस कार्य के लिये चुना गया है और वे कितने मील लम्बी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक ३९ मील नयी सड़कें तैयार की गयी हैं ।

(ख) १७ मील ।

(ग) (१) ४५ मील ।

(२) २०० मील ।

(३) बहुत से छोटे छोटे पुलों तथा सड़क के नीचे की पुलियों के अतिरिक्त चार मुख्य पुल ।

(घ) पंजाब के सभी राष्ट्रीय राज-पथों का विकास किया जा रहा है । इन की कुल लम्बाई ६५५ मील है ।

रेलवे का निकम्मा माल

३९०. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से ले कर आज तक, उत्तरी रेलवे पर कितने माल डिब्बों और यात्री-डिब्बों को उपयोग की दृष्टि से निकम्मे घोषित कर के नीलाम कर दिया गया है;

(ख) उन्हें निकम्मे घोषित करने के कारण क्या थे; तथा

(ग) नीलाम से कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है और उनके स्थान पर नये डिब्बे तैयार करने में कितनी धन-राशि की आवश्यकता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ग). एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ख) क्योंकि वे अब काम में नहीं आ सकते हैं और उन की मुरम्मत पर भी अधिक खर्च करना होगा ।

अमृतसर स्टेशन

३९१. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि स्वीकार की गई है;

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) क्या यह सत्य है कि निर्माण कार्य लक्ष्य समय के अनुकूल नहीं हो सका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अमृतसर स्टेशन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में डाक और तार घर

३९२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९४७ में पंजाब में कितने डाक और तार घर थे; और

(ख) अगस्त १९४७ के पश्चात् प्रत्येक वर्ष कितने डाक और तार घर खोले गये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २,२९९ ।

(ख) आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

अवधि	कितने खोले गये
(१) अगस्त ४७ से मार्च ४८	७०
(२) १९४८–४९ .	१५०
(३) १९४९–५०	२१९
(४) १९५०–५१ . .	२७०
(५) १९५१–५२ . .	१४३
(६) १९५२–५३ . . .	७९
(७) १९५३–५४ . .	१५६
(८) अप्रेल ५४–दिसम्बर ५४ .	४९

तेज़पुर-रंगिया रेल सम्पर्क

३९३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज़पुर-रंगिया रेल कड़ी पर रोड़ी बिछाने का कार्य आरम्भ हो गया है और

(ख) यदि हां, तो वह कब पूरा होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) रंगिया-रंगपारा उप-विभाग पर पहले ही रेत बिछी हुई है। रंगपारा-तज़पुर उपविभाग पर मिट्टी बिछी हुई है और इस पर रेत बिछाने का विचार है ।

(ख) आशा है कि १९५६ की समाप्ति तक तेजपुर उपविभाग पर रोड़ी बिछाने का कार्य पुरा हो जायेगा ।

रिक्शा खींचने वाले

३९४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष में रिक्शा खींचने वालों की अनुमानतः संख्या कितनी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : लगभग एक लाख और पचीस हज़ार ।

गाड़ियों में डकैतियां

३९५. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ जनवरी, १९५४ से ३१ जन-वरी, १९५५ तक भारत में प्रदेशवार चलती गाड़ियों में चोरी, प्रहार और हत्याओं की कितनी घटनायें हुईं; और

(ख) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है, तैयार होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

रेलवेज़ पर भोजन-व्यवस्था

३९६. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, दिल्ली और लखनऊ स्टेशनों पर दुकानों के किरायों में बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेशनों पर दुकानों के किराये के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ग) इस अन्तर का यह कारण है कि दुकानों के निर्माण पर आई लागत में अन्तर है और इसलिये भी कि इस में कहीं विक्रेताओं की फीस सम्मिलित की गई है और कहीं नहीं की गई ।

रेलवे के डिब्बे

३९७. **चौधरी रघुवीर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा और फरुखाबाद या टुंडला और फरुखाबाद के बीच चलने वाली मुसाफर गाड़ियों के साथ इंटर और द्वितीय श्रेणी के डिब्बे न लगाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : आगरा कैंट और फरूखाबाद तथा टुंडला और फरुखाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों में द्वितीय, इंटर और तृतीय श्रेणी के डिब्बे होते हैं । टुंडला और फरुखाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों में दिसम्बर, १९५४ के कुछ दिनों में इंटर श्रेणी नहीं थी क्योंकि टूटे हुए रेल के डिब्बों के स्थान पर रखने के लिये ठीक डिब्बे उपलब्ध नहीं थे । गलती से कुछ समय के लिये द्वितीय श्रेणी के डिब्बे न रखे जाने के बारे में जांच की जा रही है ।

नशीली वस्तुओं की खपत

३९८. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की करेंगी कि :

(क) प्रति एक लाख जन संख्या पर किन राज्यों में निम्नलिखित वस्तुओं की सब से अधिक खपत होती है :—

(१) तम्बाकू
(२) चाय
(३) अफीम
(४) शराब, और

(ख) प्रति एक लाख जन संख्या पर उपरोक्त वस्तुओं की कितनी खपत होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत सरकार को तम्बाकू, चाय व अफीम के सम्बन्ध में नीचे लिखी सूचनाएं मिली हैं :—

(१) तम्बाकू :—संयुक्त मद्रास राज्य में प्रति लाख आबादी पर सब से अधिक तम्बाकू की खपत होती थी । १९५२ में संस्थापित किये गये आन्ध्र राज्य की अलग संख्या प्राप्त नहीं है ।

(२) चाय :—१९५३–५४ के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में (त्रिपुरा व चन्द्रनगर को मिला कर) प्रति लाख आबादी पर चाय की सब से अधिक खपत होती थी ।

(३) अफ़ीम :—विभिन्न राज्यों में अफीम की पूरी मात्राओं की खपत के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है । लेकिन १९५३–५४ में विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये देशी अफीम की मात्राओं के आधार पर, यह बताया जा सकता है कि उस वर्ष मध्यभारत में अफीम की खपत सब से ज्यादा हुई ।

(४) शराब की खपत के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है । क्योंकि वस्तुतः यह राज्यों का विषय है ।

(ख) तम्बाकू :—प्रत्येक राज्य के प्रति लाख आबादी के हिसाब से तम्बाकू की खपत की मात्रा को दिखाते हुए अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि देश में प्रति वर्ष, प्रति लाख आबादी पर तम्बाकू की औसत खपत १,४८,००० पौंड है ।

चाय :—१९५३–५४ में पश्चिम बंगाल में (त्रिपुरा व चन्द्रनगर को मिला कर) प्रति लाख की आबादी पर चाय की अनुमानित खपत १,३०,१३४ पौंड थी ।

१९५३–५४ में राज्य सरकारों को दिये गये देशी अफीम की मात्राओं के आधार

पर अनुमान लगाया गया है कि मध्यभारत में प्रति लाख की आबादी पर ३·७७ मन था।

(४) शराब :—इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है।

जड़ी बुटियां

३९९. सेठ गोविन्द दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९५४ में हिमाचल प्रदेश तथा आसाम के पूर्वोत्तर रक्षित क्षेत्रों में जड़ी बूटियां उत्पादन में कितना धन व्यय किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : सन् १९५४ में कोई व्यय नहीं किया गया। तो भी अप्रैल १९५३ से तीन वर्ष के लिये १,१०,६२० रुपये के कुल मूल्य की एक योजना शिलांग आसाम में प्रयुक्त करने के लिये स्वीकार की गई थी। वास्तविक खर्च किये हुए व्यय की जानकारी प्राप्त नहीं है। हिमाचल प्रदेश में १ अप्रैल १९५५ से तीन वर्ष के लिए ६७,००० रुपयों के कुल मूल्य की दूसरी योजना स्वीकार कर दी गई है।

रेलवे दुर्घटनायें

४००. सेठ गोविन्द दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, १९५४ में किन किन स्थानों पर रेलों की बड़ी बड़ी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे;

(ग) कितने व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए; और

(घ) कितने व्यक्तियों को अब तक प्रतिकर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). इस की सूचना साथ के विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २८**]

(घ) अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है।

सामान की खरीद

४०१. श्री के० सी० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में अब तक भारतीय रेलों के लिये लकड़ी और लोहे के कितने स्लीपर खरीदे गये हैं और उन का मूल्य क्या है;

(ख) यह किन साधनों से खरीदे गये; और

(ग) इस समय कितने डिपो पर लकड़ी पर कोलतार का लेप किया जाता है और चालू वर्ष में वहां कितना काम किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। उचित समय में उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

(ख) राज्य वन विभागों और गैर सरकारी ठेकेदारों के द्वारा स्लीपर खरीदे जाते हैं। इस्पात के स्लीपर मैसर्ज़ टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता और मैसर्ज़ गैस्ट, कीन विलियमज़ लिमिटिड कलकत्ता से संभरण तथा उत्सर्जन महा-निदेशक के द्वारा खरीदे जाते हैं।

ढले हुए लोहे के स्लीपरों का न केवल देशीय सार्थों से समाहार किया जाता है वरण् वे पूर्वी रेलवे की जमालपुर वर्कशाप और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कस भद्रावती में बनाये भी जाते हैं।

(ग) तीन डिपो लकड़ी पर कोलतार का लेप कर रहे हैं और चालू वर्ष में वहां बी० जी० और एम० जी० के ५९२,८४० स्लीपर तैयार किये गये हैं।

राज्यों में मोटर गाड़ियां

४०२. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चल रही भिन्न भिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का कोई अभिलेख रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में गैर सरकारी कारों, बसों और ट्रकों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में नवीनतम जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २९]**

डाकखाने के इंस्पेक्टर

४०३. श्री रनदमन सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकखाने के इन्सपैक्टर का न्यूनतम और अधिकतम वेतन क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि डाकखाने के इन्सपैक्टरों को केवल ४ रुपया रोज भत्ता दिया जाता है और माइलेज आदि भत्तों के नियम उन पर लागू नहीं होते; और

(ग) क्या राज्यों से सरकार के पास प्रतिवेदन आये हैं जिनमें उन के वेतन और भत्तों में सुधार करने के सुझाव दिये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १६०–२५० रुपये ।

(ख) डाक-घरों के इन्सपैक्टरों को दौरे पर, बिना किसी माइलेज भत्ते के, सब मिला कर कम-से-कम ४ रु० प्रतिदिन भत्ता मिलता है ।

(ग) जी नहीं ।

असिस्टेंटों की पदाली में भर्ती

४०४. श्री आई० ईयाचरण : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ असिस्टेंटभर्ती करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड में काम करने वाले क्लर्कों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे प्राधिकारियों को उन सनातक क्लर्कों के नामों की सिफारिश करने के लिये कहा गया है जिन्हें रेलवे बोर्ड कार्यालय में असिस्टेंट नियुक्त करने के लिये उपयुक्त समझा गया हो ।

(ख) जी हां ।

पंजाब में टैलीफोन सुविधायें

४०५. श्री हेम राज : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९५४ में किन किन डाकघरों पर टैलीफोन की सुविधायें प्राप्य थीं;

(ख) क्या पंजाब राज्य के गगरेट, भरवाई (ज़िला होशियारपुर) और कांगड़ा ज़िले के नूरपुर, शाहपुर, नगरोटा, बगवान, पपरोला, वैजनाथ, कुल्लु, नगर कटराई और मनाली को टैलीफोन द्वारा मिलाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

दूर के स्थानों को टेलीफोन करने की व्यवस्था	स्थानीय सार्वजनिक टैलीफोन व्यवस्था
१. सदौरा	१. भाखड़ा डैम (नंगल)
२. मनी माजरा	२. अम्बाला शहर रेलवे डाक सेवा
३. अजनाला	३. कालका रेलवे डाक सेवा
४. खालड़ा	४. गोपाल पेपर मिल्ज डाकघर जमनानगर
५. राजा सांसी	५. अमृतसर सदर बाजार डाकघर
६. वेरका	६. अमृतसर मजीठिया डाक घर
७. सोहना	७. जालंधर रमदासपुरा
८. तारु	८. जालंधर नई रेलवे बस्ती
९. जाखल	९. जालंधर बस्ती शेख डाक घर
१०. मंडी डबवाली	१०. पानीपत शहर
११. टोहाना	११. हिसार शहर
१२. गोराया	१२. मलोट डाक घर
१३. शाहपुर	
१४. घरौंदा	
१५. नीलोखेड़ी	
१६. समालखा	
१७. थानेसर	
१८. गनौर	
१९. कलानौर	
२० भूरथल	

(ग) और (घ).

स्थान का नाम	क्या अभ्यावेदन मिला या नहीं	की गई कार्यवाही
१	२	३
१. बैजनाथ	—	पहले ही सार्वजनिक टैलीफोन की व्यवस्था की गई है ।
२. नगरोटा बगवान	—	,, ,, ,,
३. पपरोला	—	,, ,, ,,
४. शाहपुरा	—	,, ,, ,,

१	२	३
५. कुल्लु	जी हां	सार्वजनिक टैलीफोन स्वीकृत किया गया।
६. नूरपुर	,,	,, ,, ,,
७. नगर कटराई	,,	कुल्लु सार्वजनिक टैलीफोन खोलने के पश्चात की जायेगी
८. मनाली	,,	,, ,, ,,
	जिला होशियारपुर	
१. भरवाई	जी हां	सम्भव नहीं
२. गगरेट	नहीं	परीक्षण नहीं किया गया ।

रेलवे कर्मचारी

४०६. श्री जे० आर० मेहता : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम अप्रैल १९५० से २८ फरवरी, १९५५ तक की अवधि में इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा की प्रथम श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से कितने पदाधिकारी भर्ती किये गये;

(ख) उपरोक्त अवधि में श्रेणी सेवा में कितने अस्थायी इंजीनियरों को पक्का किया गया था; और

(ग) इन अस्थायी इंजीनियरों में से कितने भूतपूर्व रियासतों की रेलों के और कितने अन्य रेलों के थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३५ ।

(ख) ११, उन पदाधिकारियों के अतिरिक्त जो संयुक्त लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा में अस्थायी तौर पर भारतीय रेलों में और उन रेलों में जिन का प्रबन्ध भूतपूर्व समवाय के हाथ में था, १९४२–४५ के दौरान में नियुक्त किये गये ।

(ग) उन में से कोई भूतपूर्व रियासतों की रेलों का न था ।

रेलवे कर्मचारी

४०७. श्री वीरस्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चालू लाइन पर काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों को दिन में १२ घंटे काम करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें निश्चित समय से अधिक काम करने का भत्ता दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, यदि वे निर्धारित समय के बाद तक नौकरी विनियमनों के समय के अनुसार काम करें ।

चोडावरम में चीनी का कारखाना

४०८. **श्री पी० सुब्बा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम ज़िला (आंध्र राज्य) में चोडावरम स्थान पर एक चीनी का कारखाना खोलने की अनुज्ञप्ति के लिये कोई आवेदन पत्र मिला है;

(ख) क्या सरकार अनुज्ञप्ति देना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) विशाखापटनम ज़िले में इस समय चीनी के कितने कारखाने हैं और उस ज़िले में चीनी की वार्षिक खपत कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) विशाखापटनम ज़िला में तीन चीनी के कारखाने हैं । उस ज़िले में चीनी की वार्षिक खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अनुसन्धानात्मक नल-कूप

४०९. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक आंध्र-राज्य में कितने अनुसन्धानात्मक नल-कूप लगाये गये हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह नल-कूप लगाये गये हैं;

(ग) उन में से प्रत्येक पर कितनी लागत आई है; और

(घ) यह जानने के लिये कि क्या यह नल कूप इस क्षेत्र में सफल होंगे या नहीं क्या टैक्निकल समिति ने रायला सीमा क्षेत्र में किन्हीं स्थानों का निरीक्षण किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) स्थानों का चुनाव करने वाली टैक्निकल समिति ने रायलासीमा के क्षेत्रों का दौरा नहीं किया क्योंकि उन क्षेत्रों में भूतत्वीय और जल विज्ञान सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों से नल-कूपों की आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती ।

रेलवे कर्मचारी

४१०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर १९५० में भूतपूर्व पूर्वी पंजाब रेलवे में भर्ती किये गये कुछ क्लर्कों को रेलवे सेवा आयोग के द्वारा नौकरी प्राप्त करने से विमुक्त किय गया था;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में दो से छः वर्ष तक इसी वेतन-क्रम में निरन्तर सन्तोष-जिनक सेवा वाले कुछ ऐसे क्लर्क अभी हैं जन्हें अब यह कहा जाता है कि वे रेलवे सेवा आयोग द्वारा चुने जाने चाहियें; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन क्लर्कों को इस स्पष्ट शर्त पर भर्ती किया गया था कि उन की नौकरियां सर्वथा अस्थायी रहेंगी और यदि वे रेलवे सेवा आयोग की परीक्षा में पास होंगे तब ही उन की नौकरी जारी रहेगी ।

दाइयां

४११. **श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वयस्क महिला जनसंख्या के लिये प्रशिक्षित दाइयों का अनुपात क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): लगभग १ : ७०००.

वामन्या स्टेशन

४१२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामन्या रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या वहां माल-गोदाम भी बनाया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । माल का मौजूदा प्लेटफार्म और माल-गोदाम वहां के यातायात के लिये काफी समझे जाते हैं ।

रेल गाड़ियों का लेट चलना

४१३. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-देहरादून एक्सप्रैस १० मार्च, १९५५ को दिल्ली लेट पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो कितने घंटे लेट थी ;

(ग) इस के लेट आने के कारण; और

(घ) १९५४–५५ में इसी लाइन पर कितनी बार इंजन फेल हो गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) यात्री गाड़ियों के ५६ बार । इन में से बम्बई-देहरादून ऐक्सप्रैस गाड़ियों के इंजन ११ बार फेल हुए ।

कटिहार काम दिलाऊ दफ्तर

४१४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में कटिहार काम दिलाऊ दफ्तर में कितने बेकार ग्रेजुएट, अंडर-ग्रेजुएट, मैट्रिकुलेट और नान-मैट्रिकुलेट रजिस्टर हुए थे; और

(ख) इस अवधि में उन में से कितनों ने इस दफ्तर के द्वारा नौकरी प्राप्त की ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०**]

हिन्दी में तारें

४१५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं, जहां हिन्दी में तारें प्राप्त करने और भेजने की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या ऐसे स्थानों की संख्या विशेषकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितने स्थानों पर और कहां ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४५ । इन स्थानों के नाम "हिन्दी तार निदशिका" में जिस की प्रतियां लोक सभा के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई हैं बताये गये हैं ।

(ख) और (ग). जी हां । यह सेवा शनैः शनैः बिहार के और देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा दी जायेगी ।

लोक सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
२२ मार्च, १९५५

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—असैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—असैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
पुरःस्थापित . . २४२१—२२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०
मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४
मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४
मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४
मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६--९६,२६१०-११,२६५९—६४
मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८
मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८
मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८
मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८
मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . २५५६—६८
मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८
मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८
मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९--९६,२६१०--११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७— ९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९१
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक-सभा

मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"कि मुझे आदेश दिया जाता है कि मैं लोक सभा को यह सूचना दूं कि राज्य सभा ने अपनी सोमवार, २१ मार्च, १९५५ की बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत होते हुए कि राज्य सभा सहयोजन करने तथा विश्वविद्यालयों का स्तर निर्धारित करने, और इस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, समावृत प्रस्ताव को पारित किया है उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं।

प्रस्ताव

'कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा सहयोजन करने तथा विश्वविद्यालयों का स्तर निर्धारित करने और इस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि राज्य सभा के इन सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नाम निर्देशित किया जाये :

(१) श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति,
(२) डा० एम० डी० डी० गिलडर,
(३) डा० पी० सुब्बारायन,
(४) डा० राधा कुमुद मुकर्जी,
(५) डा० रघुवीर,
(६) डा० पी० वी० काणे,
(७) मौलाना एम० तैयबुल्ला,
(८) श्रीमती मोना हैंसमैन,
(९) श्री टी० वी० कमलास्वामी,
(१०) श्री किशन चन्द्र,
(११) श्री जे० वी० बी० वल्लभ राव.

(१२) डा०ए० रामस्वामी मुदालियर,
(१३) डा० ज़ाकिर हुसैन,
(१४) श्री सी० सी० बिस्वास,
(१५) श्री के० एल० माली।'"

फ़्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : २१ तारीख को १४-५० बजे पश्चिमी रेलवे के बयाना-गंगापुर एकहरी लाइन के सेक्शन पर फतेहसिंह पुरा स्टेशन पर ३१ डाउन फ्रंटियर मेल की दुर्घटना के सम्बन्ध में जो जानकारी मुझे अब तक प्राप्त हुई है उस का विवरण इस प्रकार है :

बम्बई की ओर से आने वाली डाउन फ़्रंटियर मेल, जिस में १३ यात्री डिब्बे थे, फतेहसिंह पुरा स्टेशन की एक लूपलाइन पर आ गई जिस पर १११८ अप मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उस की टक्कर माल गाड़ी से हो गई। फ़्रंटियर मेल के इंजन के बाद वाले दो डिब्बे पटरी पर ही रहे और उन को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची, तीसरा, एक दूसरे दर्जे का डिब्बा, पटरी से उतर गया और चौथा, एक और दूसरे दर्जे का डिब्बा, तीसरे डिब्बे में घुस गया। पांचवां डिब्बा पटरी से तो नहीं उतरा परन्तु कुछ क्षतिग्रस्त हो गया और शेष आठ डिब्बे न पटरी पर से उतरे और न उन को किसी प्रकार की क्षति पहुंची। दोनों ट्रेनों के इंजनों तथा माल गाड़ी के डिब्बों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची।

उन दो डिब्बों से यात्रियों को बाहर निकालने के लिये कुछ दरवाज़ों और खिड़कियों को खोलने में लोहे के डंडों का प्रयोग करना पड़ा।

दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति शिवचरण लाल की मृत्यु हो गई जो राजकीय कालिज, रोपड़ के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। वह तीसरे डिब्बे के दूसरे दर्जे में यात्रा कर रहे थे। ३४ अन्य यात्रियों के मामूली चोटें आईं जिन के पास विभिन्न दर्जों के टिकट थे। आहत होने वालों को उसी स्थान पर गार्ड द्वारा प्राथमिक चिकित्सा दी गई और इस के अतिरिक्त डाक्टरी देखरेख रेलवे असिस्टेंट मेडिकल अफ़सर द्वारा पहुंचाई गई जो लगभग १६.२५ पर बयाना से पहली सहायता ट्रेन से आ गये थे। श्री शिवचरन सिंह का शव पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया और जो पता उन के पास पाया गया उस के अनुसार उसे लुधियाने ले जाया गया। हमारी समवेदना संतप्त परिवार तथा आहतों के साथ है।

लगभग साढ़े पांच घंटे लेट हो कर ३१ डाउन फ्रंटियर मेल सब यात्रियों को ले कर फतेहसिंह पुरा स्टेशन से रवाना हुआ। तीनों क्षतिग्रस्त डिब्बे पीछे छोड़ दिये गये और उन के यात्रियों को शेष डिब्बों में स्थान दिया गया।

पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर, जो स्वयं ट्रेन के साथ आये थे, अपनी व्यक्तिगत देखरेख में यात्रियों को अपेक्षित डाक्टरी सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध किया।

इस दुर्घटना का कारण गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आफ़ रेलवेज़ के द्वारा की जा रही जांच के जो शीघ्र होने वाली है, पूरा हो जाने पर मालूम होगा।

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—जारी

खण्ड ८-(असत्य विवरण)

अध्यक्ष महोदय : खण्ड २ से ७ तक निपटाये जा चुके हैं। खण्ड ८ अब हम ले

रहे हैं। इस में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ९ – (समवायों द्वारा अपराध)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

नवीन खण्ड ९-क

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधेयक पर हो रही चर्चा के समय जैसा मैं ने कल कहा था, अब जो उपबन्ध रखे गये हैं वे पहले वाले उपबन्धों की अपेक्षा वास्तव में अच्छे हैं। इस सम्बन्ध में दो मत हैं। दूसरा मत श्री वेंकटरामन का है। माननीय मंत्री ने एक ऐसा रास्ता निकालने का प्रयत्न किया है जिस से कि दोनों को प्रसन्न किया जा सके। यह उचित नहीं है।

मैं ने जो संशोधन रखे हैं वह मूल उपबन्धों से अच्छे हैं। क्योंकि यदि विधि बनाने का वास्तविक उद्देश्य निदेशों का पालन कराना है तो यह अच्छा होगा कि आप एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें जिस पर निदेशों के परिपालन कराने का उत्तरदायित्व हो, और समवाय को भी ज्ञात हो कि इस का उत्तरदायित्व किस पर रखा गया है। वह व्यक्ति भी अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करेगा। और यदि बहुत से व्यक्ति होंगे और उन में प्रत्येक यही समझता रहेगा कि उत्तरदायित्व उस का नहीं है या इस के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो जायेगा कि इस का उत्तरदायित्व किस पर है तो ऐसी अवस्था में इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निदेशों का पालन नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि विधि का काम यही है कि नियम स्पष्ट हो और साथ ही उस का उत्तरदायित्व किस पर होगा यह भी निश्चित हो। मूल उपबन्ध के शब्द बहुत अस्पष्ट हैं। "समवाय के कार्यकरण" शब्दों से कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। समवाय की २० शाखायें हो सकती हैं और समवाय के कार्य को चलाने का भार १०० व्यक्तियों पर हो सकता है। मैं जानता हूं कि जब वस्त्र सम्बन्धी नियंत्रण आदेश लागू थे तो नियम इतने जटिल थे कि किसी नियम का भी ठीक ठीक निर्वचन करना कठिन था। इसलिये उत्तरदायित्व यदि एक व्यक्ति पर होगा तो उसे पकड़ा जा सकता है और नियमों का पालन कराया जा सकता है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने शिकायत की है कि न्यायालय इस सम्बन्ध में सहयोग नहीं देते हैं। वह यह अनुभव नहीं करते हैं कि नियंत्रण सम्बन्धी विधियों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिये और वह अपराधियों को मुक्त कर देते हैं। जब उन को कई व्यक्तियों में से किसी को छांटना होगा कि उत्तरदायित्व किस पर है तो वास्तव में कठिनाई होगी। एक और बात यह कही गई थी कि इस प्रकार वास्तविक अपराधी नहीं फंसेंगे और धोखे के लिये खड़े किये गये व्यक्ति ही पकड़े जायगे। परन्तु यह ग़लत है, क्योंकि नामनिर्देशन सरकार की स्वीकृति के अधीन होगा। यदि सरकार समझती है कि वास्तविक व्यक्ति को नाम नामनिर्देशित किया गया है या यदि सरकार चाहती है कि प्रबन्ध संचालक ही नामनिर्देशित किया जाये तो सरकार कह सकती है कि हम किसी अन्य व्यक्ति का नामनिर्देशन नहीं चाहते हैं। खण्ड ९क के सम्बन्ध में तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

खण्ड ९ के अनुसार बहुत से व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व होगा। सब से पहले समवाय पर, फिर उन पर जो समवाय का कार्य चलाने के लिये उत्तरदायी हैं. तीसरे प्रबन्ध

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

संचालकों पर । उन का उत्तरदायित्व तब होगा जब निदेश का उल्लंघन उन की सहमति से किया जाये, या यदि उन्हों ने उपेक्षा की हो । मुझे यहां तक कोई आपत्ति नहीं है । आपत्ति मुझे शब्द "उपेक्षा" पर है । भारतीय दंड संहिता की ५११ धाराओं में से केवल ५ या ६ ही ऐसी हैं जिन में उपेक्षा के अपराध का अंश माना गया है । उपेक्षा में सापराध इच्छा का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है । उपेक्षा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिस में कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि उस के कार्य का परिणाम क्या होगा । जान बूझ कर कोई काम न करना और उपेक्षा में बहुत अन्तर है । उपेक्षा करने वाला भूल जाता है कि उस का कर्त्तव्य क्या है । वास्तव में साधारण अपराधों में उपेक्षा के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि किसी व्यक्ति की जान ही खतरे में न हो ।

अत्यावश्यक पण्य, विधेयक के अन्तर्गत कुछ निदेश जारी किये जायेंगे । प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि उपेक्षा किस ने की है । मान लीजिये कि क्लर्क या मैनेजर प्रबन्ध संचालक को यह याद दिलाना भूल जाता है कि ५ फ़रवरी, १९५६ को नियंत्रक के पास एक विशेष विवरण भेज दिया जाना चाहिये । यदि उसे इस की याद नहीं रहती है तो इस का अर्थ यह है कि वह अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करता है और इस के लिये उसे एक वर्ष का दण्ड दिया जायगा और यदि अपराध उल्लंघन करने का है तो तीन वर्ष का । इस प्रकार के मामले जब न्यायालय के सामने आयेंगे तो प्रभारी व्यक्ति यही कहेंगे कि हम ने बहुत सावधानी की परन्तु उपेक्षा क्लर्क ने की जिस ने हमें याद नहीं दिलाया । इस प्रकार बड़े बड़े आदमी तो छट जायेंगे और बेचारा क्लर्क फंस जायेगा । इसलिये इस प्रकार का उपबन्ध करने से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा, इसलिये मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर विचार करें । मैं यह मानता हूं कि नियंत्रण सम्बन्धी विधानों में हमें बहुत कठोरता से काम लेना चाहिये परन्तु साथ ही हमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : उपेक्षा के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो तर्क दिये हैं उन को मैं नहीं मानता हूं क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है । समवायों द्वारा जब भी कभी नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन किया गया है दण्ड हमें साधारण व्यक्तियों को ही भोगना पड़ा है ।

खण्ड ९ के उपखण्ड (१) में जो कुछ कहा गया है उस को देखते हुए वह संशोधन बहुत आवश्यक है जो मैं ने रखा है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने उल्लंघन न होने देने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया है तो उस को दण्ड नहीं मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब पांचों संशोधन सभा के सामने चर्चा के लिये प्रस्तुत हैं ।

श्री मूल चन्द दुबे (ज़िला फर्रुखाबाद—उत्तर) : पंडित ठाकुर दास भार्गव की उक्तियों के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नियंत्रण सम्बन्धी विधानों में सापराध इच्छा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । दूसरी बात यह है कि जब कारावास या जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा तो समवाय को कारावास का दण्ड कैसे दिया जायेगा । इसलिये खण्ड ९ से शब्द 'समवाय' निकाल दिया जाये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या १३ का समर्थन करता हूं जिस में उपेक्षा के आधार पर दण्ड देने का उपबन्ध किया गया है ।

इस खण्ड में केवल इतना ही प्रमाणित करना होगा कि कोई अपराध किया गया है और उस का कारण किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा बताया जा सकता है । इस उपबन्ध का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इस का निश्चय ही दुरुपयोग किया जायेगा ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मुझे खेद है कि मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । खंड ९ के सम्बन्ध में किया गया वर्तमान उपबन्ध पूर्ण विचार के बाद प्रस्तुत किया गया है और इस सम्बन्ध में हमें वस्तु नियंत्रण समिति के सुझावों का समर्थन भी प्राप्त है । समिति ने कहा है कि :

> "यह उपबन्ध भारत सुरक्षा नियमों में किये गये उपबन्धों के अनुरूप हैं, परन्तु साथ ही यह भी कहा गया था कि यह उपबन्ध युद्ध-काल के लिये आवश्यक थे परन्तु आज की स्थिति में क्लेषकर हैं । वस्तु प्रदाय तथा संभरण अधिनियम की धारा १५ के तत्स्थानी उपबन्ध इस से भिन्न हैं । इन उपबन्धों के अन्तर्गत अपराध की धारणा केवल उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में उठती है जोकि उक्त अवधि में संस्थापन के कार्य संचालन के लिये निगम के समक्ष उत्तरदायी थे या स्वयं प्रभार में थे । निगम के अन्य कर्मचारी केवल तभी उत्तरदायी हैं यदि यह सिद्ध हो जाये कि अपराध उन की सहमति से किया गया है अथवा उन के द्वारा की गई किसी लापरवाही के कारण हुई है ।"

वर्तमान संशोधन का यही आधार है ।

अब मैं उपबन्धों के उपेक्षा सम्बन्धी अवस्थान की चर्चा करूंगा । नियंत्रण विधान में उपेक्षा एक महत्वपूर्ण कारक होता है । संभव है कि कोई सार्थ अपनी किसी शाखा को किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभार में दे दे जो अशिक्षित हो और नियंत्रण सम्बन्धी आदेशों से अनभिज्ञ हो और वह व्यक्ति अनजाने में ही नियंत्रण आदेश का उल्लंघन कर दे । क्या यह मामला मुख्य कार्यालय के उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा की गई उपेक्षा का नहीं है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक उपेक्षा का सम्बन्ध है आप इसको ९ (१) के अन्तर्गत नहीं लाते हैं । यदि आप ने ऐसा किया होता तो मैं ने कोई आपत्ति नहीं की होती ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न केवल इतना ही है कि यदि सार्थ का संचालन करने वाले व्यक्ति इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि देश का क़ानून जानने वाले व्यक्तियों को व्यापार का प्रभारी बनाया जाये, तो मुझे खेद है कि किसी न किसी को तो अपराधी ठहराना ही होगा और यदि यह पाया गया कि किसी समवाय के प्रबन्ध संचालक या मुख्य प्रबन्धक ने उपेक्षा से कार्य किया है तो इस का अर्थ यह नहीं है कि उसे तीन वर्ष के कारावास का दंड दिये

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जाने की संभावना है । मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का दूसरा पहलू भी कठिनाइयों से पूर्ण है । वह एक अव्यवहार्य सुझाव है और सरकार के लिये प्रत्येक सार्थ के तथा प्रत्येक सार्थ की प्रत्येक शाखा के किसी उत्तरदायी व्यक्ति के नाम-निर्देशन को स्वीकार करना असंभव है । सैकड़ों सार्थ हैं, अनेकों की चार-चार पांच-पांच शाखायें हैं इसलिये सरकार के लिये नामों को स्वीकार करना एक प्रशासनिक अशक्यता है । इसलिये किसी पक्ष पर आरोप लगाने से पूर्व हमें किन्हीं तथ्यों की कल्पना करना है । मेरे मित्र ने सभा को यह बताने की चेष्टा की है कि ऐसे नाम निर्देशन केवल किसी कठपुतली के नामनिर्देशन के लिये नहीं किये जायेंगे । दुर्भाग्य से उन्हों ने अभियुक्त के सफ़ाई पक्ष की ओर ही ध्यान दिया है । परन्तु मैं ने इस बात को उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा है जिन को उन के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है और जहां जेल आदि जाने का प्रश्न होता है तो किसी कठपुतली का उपबन्ध कर देना एक बहुत ही सामान्य घटना है । किसी सार्थ के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को खोज निकालना, जो दो तीन बार जेल जा चुका हो, और उसे नाम निर्देशित कर देना बहुत सरल है ; वह जेल चला जायेगा और कुछ भी बिगड़ेगा नहीं उधर वह सार्थ लाखों रुपये का लाभ अर्जित करता रहेगा । संभव है कि सामान्यत: ऐसा न किया जाता हो परन्तु वह है तो एक संभावना और इसी आधार पर मैं श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं हूं, क्योंकि वकील लोग इस बात को भली प्रकार समझ जायेंगे कि इस प्रकार के उपबन्ध से हमारा जो उद्देश्य है वह ही समाप्त हो जायेगा । इसलिये मैं प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

अध्यक्ष महोदय ने संशोधन सं० १२, १३ और १४ मतदान के लिये प्रस्तुत किये और वे अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि खण्ड ९-क के संशोधन के आधार को स्वीकार नहीं किया गया अत: मैं उसे मतदान के लिये नहीं रखूंगा ।

श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन संख्या ६ सभा की अनुमति द्वारा वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० से १५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री टी० बी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें*

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के बारे में मांगें

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय .	३८,१५,०००
१००	संभरण	२,५६,७१,०००
१०१	अन्य असैनिक निर्माण कार्य . .	१७,१०,२२,०००
१०२	लेखन सामग्री तथा मुद्रण . .	६,१६,७१,०००
१०३	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ।	६५,०१,०००
१३६	नई दिल्ली पर पूंजी व्यय . . .	६,२८,३२,०००
१३७	भवनों पर पूंजी व्यय . . .	८,२१,३५,०००
१३८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ।	४,६४,९७,०००

श्री टी० बी विट्ठल राव (खम्मम) : मैं पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को लेना चाहता हूं परन्तु इस कारण से नहीं कि देश भर में इस विभाग को बहुत रुचिकर नामों से पुकारा जाता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इस विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें बहुत महत्वपूर्ण हैं । काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की शिकायतें बहुत समय से चल रही हैं । १९४६ तक इस विभाग के कर्मचारियों के लिये कोई सेवा सम्बन्धी शर्तें नहीं थीं । १९४६ में सरकार ने उन्हें कुछ वचन दिये थे परन्तु सरकार ने कामों का सम्पूर्ण विश्लेषण करने की बजाय कुछ अन्य ढंगों से गणना कर के २५००० पदों को रखा है और उन में से भी केवल १००० पदों की पुष्टि की गई है । यदि सम्पूर्ण विश्लेषण किया जाता तो इन पदों की संख्या बहुत अधिक होती । परन्तु मैं नहीं समझ सकता कि इस में देरी क्यों की जा रही है ।

काम के लिये अस्थायी रूप से लगाये गये कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं समझा जाता । उदाहरणतः उन्हें स्थानान्तरित करते समय कोई अवकाश नहीं दिया जाता । उन्हें उस समय परिवारों के लिये किराया भी नहीं

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित

[श्री टी० बी० विट्ठलराव]

दिया जाता । उन्हें कतिपय भत्ते, जैसा कि महंगाई के स्थान का भत्ता, आदि नहीं दिये जाते ।

आवास सम्बन्धी परिस्थितियों को लीजिये । यद्यपि १०० रुपया मूल वेतन पाने वाले व्यक्तियों से १० प्रतिशत वेतन काट लिया जाता है परन्तु उन्हें रहने के लिये एक कमरे का मकान दिया जाता है । क्वार्टर पर्याप्त नहीं हैं और जब क्वार्टर दिये भी जाते हैं तो एक कमरे वाले दिये जाते हैं ।

इस विभाग के कर्मचारियों के लिये अतिव्यस्कता की आयु तक पहुंचने का कोई उपबन्ध नहीं है । यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों पर नहीं वरन् अतिव्यस्कता की आयु प्राप्त होने पर भी सेवा निवृत्त होता है तो उसे कोई उपदान नहीं दिया जाता। जब इनका मूल वेतन गुजारे के लिये पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार की सुविधाओं से इन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

फिर इन लोगों को केवल १० दिन की गज़ेटिड छुट्टियां और १५ दिन की आकस्मिक छुट्टियां दी जाती हैं । बीमारी की छुट्टी या अर्जित छट्टी के लिये कोई उपबन्ध नहीं है । अवाड़ी संकल्प में समता के आधार पर समाज की व्यवस्था की बात कही गई है । परन्तु मुझे ज्ञात नहीं है कि इन कर्मचारियों की स्थितियों को सुधारने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है । मैं अनुभव करता हूं कि मंत्रालय, न्यायाधिकरण नियुक्त करने की, कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं कर सकता परन्तु वे मामला श्रम मंत्री के पास भेज सकते हैं और कम से कम इस की सिफारिश कर सकते हैं ।

यह एक नियम है कि जो पदाधिकारी एक स्थान पर तीन वर्ष पूरे कर ले उसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाये परन्तु इस विभाग के ऐसे पदाधिकारी हैं जो बहुत समय से एक ही स्थान पर लगे हुए हैं ।

सहायता सहित आवास योजना द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति की गई है । इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये । ऋण देने पर भी, अर्थ सहायता देने पर भी कोई उस का लाभ नहीं उठा रहा है । इस का मूल कारण जानना चाहिये । जब तक ऐसा विधान न बनाया जाये जिस के अधीन अपने श्रमिकों के लिये आवास व्यवस्था का प्रबन्ध करना नियोजक उत्तरवादिता हो तब तक इस सम्बन्ध में प्रगति नहीं की जा सकती । प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक श्रमिकों के लिये ३ लाख मकानों की योजना की गई थी और अब उसे घटा कर ३०,००० कर दिया गया है। १९५२ में हैदराबाद राज्य को ऐसे भवनों के निर्माण के लिये १० लाख रुपया दिया गया था । परन्तु अब तक केवल २,३०० मकान बनाये गये हैं जबकि हैदराबाद और सिकन्दराबाद के नगरों में ४०,००० औद्योगिक श्रमिक रहते हैं ।

भंडार क्रय जांच समिति हमारी आयात नीति का पुनरावलोकन करने के लिये नियुक्त की गई थी । यह समिति संभवतः अगले पन्द्रह दिनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । माननीय मंत्री से मेरी यह प्रार्थना है कि वे इस प्रतिवेदन की जांच कर के शीघ्र निष्कर्ष निकालें ।

कल ही हम ने सुना था कि मिट्टी के तेल, पेट्रोल और अन्य उत्पादों के उत्पादन के सम्बन्ध म हमें नहीं बताया जा सकता ।

यदि आप इस प्रभुत्व सम्पन्न सभा को यह जानकारी नहीं बताना चाहते तो आसाम तेल समवाय के कार्य संचालन की जांच के लिये कोई संसदीय समिति नियुक्त करनी चाहिये ताकि वह पता लगा सके कि उस द्वारा देश के हितों का पालन होता है अथवा नहीं ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य) : मैं माननीय मंत्री को इस प्रगति के लिये बधाई देना चाहता हूं जो उस के विभाग ने की है ।

दिल्ली में ही भवन निर्माण सम्बन्धी प्रगति की ओर ध्यान दीजिये जो निवास के क्वार्टरों और कार्यालयों के विषय में की गई है, वह संतोषजनक है । मैं जानता हूं कि अभी बहुत से लोगों के लिये निवास स्थान का प्रबन्ध नहीं हुआ । परन्तु फिर भी जो उचित प्रगति हो सकती है वह की जा रही है । यदि दिल्ली में क्वार्टरों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि अगले वर्ष और भी प्रगति होगी ।

अभी अभी औद्योगिक आवास के बारे में किये गये कार्य के सम्बन्ध में शिकायत की गई है । मैं भी मानता हूं कि इस में और अधिक प्रगति होनी चाहिये थी । परन्तु संस्थाओं और कुछ उत्तरदायी लोगों को भी योजनाओं को लागू करने में सहयोग देना चाहिये और सुधारों के लिये सुझाव देने चाहियें । जब तक श्रम संस्थायें सहयोग न देंगी, केवल सरकार की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं होगा । और उन के सहयोग देने से आवश्यक सुधार भी हो सकेंगे और अगले वर्ष अधिक प्रगति की भी आशा की जा सकेगी ।

औद्योगिक श्रम के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शुभ कार्य सरकार को पहले अपने श्रमिकों के लिये ही करना चाहिये । नासिक के भारत सुरक्षा प्रेस के श्रमिकों की स्थिति निस्सन्देह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक अच्छी है परन्तु फिर भी बहुत से लोगों को सरकारी मकान नहीं मिले हुए हैं और उन्हें बहुत दूर दूर के गांवों से आना पड़ता है । अतः औद्योगिक आवास की व्यवस्था का प्रबन्ध सरकारी उद्योगों में सर्व प्रथम अच्छे रूप से आरम्भ करना चाहिये ।

नासिक के भारत सुरक्षा प्रेस में पदाधिकारियों के क्वार्टरों में तो बिजली पहले लगी हुई थी परन्तु श्रमिकों को यह सुविधा नहीं दी गई थी । अब हाल में ही उन्हें भी यह सुविधा दे दी गई है परन्तु उन के क्वार्टरों में मीटर नहीं लगाये गये और उन की इस साधारण सी शिकायत को अभी तक दूर नहीं किया गया । मैं आशा करता हूं कि प्राधिकारी इस की ओर ध्यान देंगे ।

नासिक का एक और प्रैस सीधा इस मंत्रालय के अधीन है और उस के श्रमिकों के लिये सुन्दर भवन बनाये गये हैं उन्हें वे मकान दिये जाने के पश्चात् सरकार का कार्य बहुत सुविधाजनक हो जायेगा ।

१ म० प०

आवास के सामान्य प्रश्न के बारे में यह है कि अधिकाधिक सहकारी समितियां बन रही हैं । भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण भी देती है और स्वयं भी कुछ काम करती है । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के लिये आवास व्यवस्था के हेतु और ऋणों आदि का उपबन्ध होना चाहिये । सामुदायिक परियोजना प्रशासन के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में इस विभाग ने कतिपय नये प्रकार के मकानों का सुझाव दिया है । सम्बन्धित व्यक्ति इस का लाभ उठा सकते हैं, जिस से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रगति की ज सकती है । निस्सन्देह सुधार

[श्री जी० एच० देशपांडे]

की काफी गुंजायश है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष इस विभाग ने संतोषजनक कार्य किया है ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को उस महान कार्य के लिये बधाई देते हुए मुझे प्रसन्नता होती है जो उन्हों ने गत वर्ष में किया है । अब तक लगभग २०,००० मकान बनाये जा चुके हैं और ५०,००० मकानों के बनाने की मंजूरी दे दी गई है । भारत जैसे बड़े देश के लिये यह संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है परन्तु हम जानते हैं कि अभी दो ही वर्ष पूर्व यह योजना बनाई गई थी और इस काल में की गई यह प्रगति संतोषजनक है । जब सरकार ऋण या अर्थ-सहायता के रूप में १३ करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी देती है तो इस का यह अभिप्राय होता है कि उद्योगपति, सहकारी समितियां या सरकार इतनी ही राशि उस में और लगायेगी । इस प्रकार ३ वर्ष में ३० करोड़ रुपये की राशि का लगाया जाना कोई कम सफलता की बात नहीं है । समय बीतने पर अधिकाधिक लोग इस योजना का लाभ उठायेंगे और हम अगले वर्ष और अधिक प्रगति कर सकेंगे ।

ग्रामीण आवास व्यवस्था का विषय यद्यपि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, फिर भी भारत सरकार के इस मंत्रालय ने एक प्रकार का ग्रामीण विभाग (रूरल स्थल) बनाया है जिस ने ग्रामों में बनाने के लिये आदर्श मकानों के नक्शे तैयार किये हैं और जो लोग नये मकान बनाना चाहते हैं वे इन नक्शों से लाभ उठा सकते हैं । वित्त मंत्री ने कल कहा था कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ बीस लाख लोगों को काम दिलाना है । मेरा यह सुझाव है कि ग्रामीण आवास के एक विस्तृत कार्यक्रम द्वारा प्रभावी रूप से बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है । एक गांव में यदि प्रतिवर्ष दो भी मकान बनाये जायें तो वहां के सब तरखानों, राजों, मिस्त्रियों और अन्य सम्बन्धित श्रमिकों को काम दिलाया जा सकता है । मेरा यह अनुरोध है कि इस पर ध्यानपूर्वक विचार कर के एक केन्द्रीय ग्रामीण आवास व्यवस्था स्थापित किया जाये और अगली पंच वर्षीय योजना में प्रति वर्ष इस योजना के चलाने के लिये ५० करोड़ रुपये की राशि नियत की जाये । इस राशि को अर्थ सहायता के रूप में नियत करने का अभिप्राय यह होगा कि प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये तक की पूंजी लगाई जायेगी । यूं तो यह नया और क्रान्तिकारी विचार दिखाई देता है परन्तु ज्यों ही इसे कार्य में लाना आरम्भ किया गया यह भी सामान्य बात दिखाई देगी ।

नगरों में आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इस बारे में बहुत प्रगति की गई है । केवल चार ही वर्ष पूर्व यहां मकान ढूंढना असंभव था जबकि काम सुगमता से मिल सकता था । परन्तु अब मकानों के मिल जाने का श्रेय इस मंत्रालय को ही है । परन्तु अब भी ज़मीन प्राप्त करना एक समस्या है । इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्री को चाहिये कि वह भूमि के विषय को राज्य का विषय बना लें और उसे उन लोगों के हाथ में न रहने दें जो इस से लाभ कमा रहे हैं ।

संभरण विभाग के कामों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि १९५३-५४ में संभरणमहा निदेशक ने ६८.९ करोड़ रुपये की वस्तुयें खरीदी थीं जबकि १९५४-५५ में केवल ३८ करोड़ रुपये की वस्तुयें खरीदी हैं । दूसरी ओर अमरीका में गत वर्ष ११ करोड़ रुपये की वस्तुयें खरीदी

गई थीं और इस वर्ष १४ करोड़ की वस्तुएं खरीदी गई हैं। सम्भवतः इस का कारण यह हो कि वहां भारी इंजीनियरिंग की वस्तुयें खरीदी गई हों परन्तु देश से खरीदी गई वस्तुओं में इतनी कमी कैसे हो गई है ? यदि माननीय मंत्री इस का कुछ स्पष्टीकरण दे दें तो बहुत अच्छा होगा ।

समय के अभाव के कारण, मुझे भंडार क्रय जांच समिति के सम्बन्ध में कुछ और न कहते हुए, केवल यह पूछना है कि उस समिति का प्रतिवेदन कब सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

एक प्रतिवेदन से मुझे यह पता लगा है कि ग्रामीण आवास व्यवस्था की एक-पत्रिका तैयार की जा रही है और यह भी सुना है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लाभदायक योजनाओं की एक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों पत्रिकायें कब जारी की जायेंगी ?

भाग ग राज्यों में उपनगर-व्यवस्था के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने एक योजना संस्था बनाई है । मैं जानना चाहता हूं कि अन्य राज्य की अपेक्षा भाग-ग राज्यों में उपनगर-व्यवस्था करने में क्या विशेष बात है जिस के कारण विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक हुआ है ।

श्री जी डी० सोमानी (नागौर-पाली) : में इस मंत्रालय की औद्योगिक आवास योजनाओं के बारे में कुछ बातें कहूंगा ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रमिकों के लिये आवास-स्थान बनाये जाने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हो रही है, किन्तु मेरे विचार में यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं । १९५४-५५ के आय-व्ययक में आवास योजना के लिये १२ करोड़ रुपये का उपबन्ध था, किन्तु उस में से केवल ५½ करोड़ रुपया लिया गया और उस में से भी योजना के लिये जो रुपया दिया गया वह बहुत ही कम था । मेरे विचार में रुपया लेने की प्रक्रिया अथवा औपचारिकता इतनी उलझी हुई है जिस से कि श्रमिकों को रुपया उधार लेने में कठिनाई होती है उस कार्यवाही के पूरा होने तक कई महीने लग जाते हैं । प्रक्रिया के नियम कड़े हैं माननीय मंत्री को चाहिये कि नियमों आदि को ढीला किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभ उठा सकें ।

दूसरे, कम आय-वर्ग आवास योजना के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पहले पहल यह योजना बनाई गई तथा इस की घोषणा की गई तो प्रेस विज्ञप्ति में उधार लेने के लिये किसी रुकावट तथा निषेध का उल्लेख नहीं था । यह बात स्पष्ट थी कि ५०० रुपये मासिक आय से कम वाले प्रत्येक व्यक्ति उधार ले कर मकान बनवा सकेगा । इस तरह लोगों ने राज्य सरकारों के पास धड़ा धड़ आवेदन-पत्र देने आरम्भ किये । किन्तु जब केन्द्र ने बहुत सी रुकावटें प्रस्तुत कीं तो लोगों में बहुत निराशा हुई । राजस्थान सरकार ने ५ करोड़ रुपया उधार मांगा था किन्तु केवल एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई । इसे भी बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित रखा गया । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस योजना को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन दिया जाये क्योंकि इस से देश में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिये ३८½ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया था । परन्तु योजना-अवधि की समाप्ति तक केवल ५० प्रतिशत ही दिया जायेगा । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना का विस्तार करे और इसे नगरों

[श्री जी० डी० सोमानी]

तक ही सीमित न रखा जाये । हमें बताया जाता है कि योजना में बहुत से रुपये का पूरा उपयोग इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास टेकनिकल लोगों की कमी है । किन्तु जहां तक मकान बनाने का सम्बन्ध है उस के लिये किसी टेकनिकल व्यक्ति की आवश्यकता नहीं—इसलिये कम से कम सरकार को चाहिये कि आवास योजना के लिये पूर्ण रूप से ऋण तथा वित्तीय सहायता दे—क्योंकि लोग स्वयं ही मकान बनवायेंगे और इस के साथ ही बहुत से श्रमिकों को काम धन्धा मिलेगा । सब से बड़ा फल होगा कि मकानों की जो अत्यधिक कमी नगरों एवं देहातों में है, वह दूर हो जायेगी ।

मुझे आशा है कि आवास योजनाओं के प्रबन्ध की सम्पूर्ण समस्या पर उचित दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा ।

मध्यम आय वर्ग के लिये अभी तक किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई और न ही गन्दे स्थानों की सफाई के लिये कुछ किया गया है । मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही घोषणा की जायेगी ।

मैं अब मोटरों, आदि में प्रयोग किये जाने वाले तेल की कीमतों के बारे में भी एक दो बातें कहना चाहता हूं । पाकिस्तान में ईंधन तेल (पेट्रोलियम) की कीमतें हमारे हां की तुलना में बहुत कम हैं वहां १३३ रुपये प्रति टन के हिसाब से कीमत ली जाती है और भारत में उपभोक्ताओं को १३८ रुपये ४ आने देने पड़ते हैं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले की पड़ताल करायें । अब तेल साफ करने के कारखाने भी चालू हो चुके हैं. उन से भी कीमतों के बारे में बातचीत की जाये । इन कम्पनियों ने मानमानी कर रखी है । कोयला-ईंधन की तुलना में पेट्रोलियम ईंधन की कीमतें कहीं ज्यादा अलाभप्रद हैं । हमारे हां कोयले तथा पेट्रोलियम का उपभोग २ : १ के अनुपात में होता है । मैं तो यही कहूंगा कि पेट्रोलियम से कोयले का उपभोग कहीं अधिक लाभदायक है । किन्तु परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों से कोयले का उपभोग संभव नहीं है, अतः सरकार को अब तेल साफ़ करने वाले कारखानों से बातचीत कर के औद्योगिक संस्थानों के लिये पेट्रोलियम अथवा अन्य ईंधन तेलों की कीमत कम करानी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने भी कहा है कि एशिया आदि में तेल को वर्तमान चालू कीमतों में से कम कीमत पर बेचा जाना चाहिये ।

मुझे आशा है कि सरकार इस बात पर विचार करेगी तथा देश के औद्योगिक उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त कीमत पर तेल मिल सकेगा ।

श्री **सारंगधर दास** (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मेरा आशय यह है कि भारत सरकार ने जो संभरण शाखा बनाई थी उस का काम अधिक सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है । यह ठीक है कि इस शाखा ने भारतीय उद्योग तथा व्यापार को प्रोत्साहित किया है किन्तु फिर भी वह पूर्णतया संतोषप्रद नहीं है ।

पहली बात यह है कि संभरण तथा उत्सर्जन महा-निदेशालय प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीदता है । इस में से ७० करोड़ की भारत से तथा ३० करोड़ की लन्दन एवं वाशिंगटन से खरीदी जाती हैं । भारत के बहुत से व्यापार-केन्द्र

उन स्थानों पर खुले हुए हैं, अतः मैं इस का कोई कारण नहीं समझता कि सरकार वह ३० करोड़ की वस्तुयें उन भारतीय केन्द्रों के द्वारा क्रय क्यों नहीं करती । यदि इन के द्वारा क्रय किया जाये तो उस में बहुत लाभ हैं ।

मैं अब इस के लाभों तथा हानियों का परीक्षण करूंगा । पहले तो यूरोप तथा अमरीका के संभरणकर्ताओं तथा भारतीय संभरणकर्ताओं में ही मतभेद है । जब लन्दन अथवा वाशिंगटन वाले आर्डर दें तो उसे अखंडनीय ऋण-पत्र पर दिया जाता है और केवल एक बार निरीक्षण होता है—किन्तु भारतीय आर्डर के मामले में कोई अखंडनीय ऋण-पत्र नहीं होता और तीन बार निरीक्षण होता है । यह मतभेद असह्य है । दूसरे, सरकार जब संभरण करने वाली व्यापारिक संस्थाओं को रकम का भुगतान कर देती है तो उस की सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और यदि कोई खराबी हो जाये तो उस के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है । किन्तु जहां तक भारतीय फर्मों का सम्बन्ध है वे इस के लिये उत्तरदायी होती हैं । इसलिये सरकार के लाभ के लिये यह आवश्यक है कि ऐसा मतभेद बन्द कराया जाय ।

और एक बात है कि भारतीय संभरणकर्ताओं को बहुत तंग किया जाता है । यदि माल आने म विलम्ब हो जाये और उस में संभरणकर्ता का कोई दोष न हो तो १० प्रतिशत आर्डर का मूल्य रखा जाता है और जब तक वृद्धि न मिले तब तक वह रकम नहीं दी जाती । यह बातें अनुचित हैं ।

दूसरे जो आर्डर आदि दिये जाते हैं उन में बहुत देर की जाती है और संभरणकर्ता को माल अपनी अभिरक्षा में रखना पड़ता है और साथ ही रुपया भी नहीं दिया जाता । और औपचारिक आर्डर के बिना कोई निरीक्षक निरीक्षण भी नहीं करता । इस के बाद निरीक्षण में पुनः लोगों को तंग किया जाता है । उन के फार्मों में माल प्राप्त होने की तारीख देने का कोई स्तम्भ नहीं होता अतः तारीख न होने के कारण डी० ए० जी० कलकत्ता बिल पास नहीं करता । अतः इस बात में भी सुधार किया जाये ।

इस के बाद विक्रय-कर का मामला है । इस माल पर विक्रय-कर लगता है और कई बार वे लोग इस के अधिक होने के कारण दे भी नहीं पाते । निदेशालय रकम की मंजूरी में महीने लगा देता है बल्कि कभी कभी तो एक एक साल का समय लग जाता है । इस सम्बन्ध के उदाहरण मेरे पास हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यदि वह पक्ष विक्रय-कर दे और राज्य सरकार को उस की रसीद दे तो उसे तुरन्त ही रुपया मिल जाना चाहिये । दूसरे, वस्तुओं पर एक बार लगाये जाने वाले विक्रय-कर तथा बहु-बार लगाये जाने वाले विक्रय-कर के मामले को भी सुलझाना आवश्यक है । एक बार मैं ने यह बात माननीय मंत्री से कही थी किन्तु इसे गलत माना गया था । किन्तु मैं जानता हूं कि यह बात अक्षरशः सत्य है । भारतीय फर्मों के साथ मतभेद हो रहा है, और विदेशी फर्मों को प्राथमिकता दी जा रही है, इस के साथ ही विक्रय-कर की कठिनाई है और अन्य बहुत सी कठिनाइयां उन लोगों के मार्ग में हैं । मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देता हूं कि वह वाणिज्य-मंडलों की एक बैठक बुला कर उन की कठिनाइयों को समझें और उन को दूर करने का प्रयत्न करें ।

एक और बात भी है कि इसी विभाग में नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी परिवार पोषण अथवा भाई-भतीजावाद का बोल

[श्री सारंगधर दास]

बाला है । एक आर्डर पहले किसी फर्म को दिया जाता है तो बाद में किसी और को ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

इसी प्रकार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस से उच्चाधिकारियों के सम्बन्धी लाभ उठा सकते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि इस भाई-भतीजावाद को शीघ्रातिशीघ्र बन्द किया जाये ।

अन्त में, मैं वाष्प से चलने वाले सड़क-इंजनों के बारे में कहना चाहता हूं । हम ने एक ब्रिटिश फर्म से करार कर के इन का निर्माण इस देश में आरम्भ कर दिया और हमें ये इंजन बहुत महंगे पड़े । फिर यहां के लोगों ने समझा कि अब डीज़ल इंजन चल पड़े हैं अतः वाष्प से चलने वाले इंजनों का निर्माण अब व्यर्थ है । निर्माण का काम बन्द कर दिया गया पर फिर कुछ अधिकारियों ने सोचा कि जंगलों में कहां डीज़ल उपलब्ध किया जा सकता है, फिर से वाष्प से चलने वाले इंजनों के बारे में विचार किया गया और एक अधिकारी के पुत्र इंग्लैंड भी गये । अब फिर वह निर्माण बन्द कर दिया गया है और हमें १३ लाख रुपये की रॉयलटी देनी पड़ी है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह पता करें तथा इस बात की व्याख्या करें कि यह हानि किस अधिकारी के कारण हुई । हमें यह भली भांति ज्ञात था कि वाष्प से चलने वाले सड़क इंजनों की अब मांग नहीं रही ।

दूसरे, मैं औद्योगिक श्रमिकों के आवास के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस का प्रयोजन गन्दी बस्तियों को समाप्त करना था । कानपुर में कारखानों से ५ मील की दूरी पर मकान बनाये जा रहे हैं । उन्हें ५ मील से काम पर आने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं । पहले वह २ रुपये किराया दे कर रहते थे और अब उन्हें १२ रुपये किराया देना पड़ रहा है । यह बहुत ज्यादा किराया है और वे इसे सहन नहीं कर सकते । अब भी कई लोग मिल कर एक एक कमरे में रहते हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर–उत्तर) : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं माननीय मंत्री को बधाई नहीं दे सकता । मैं प्रगति को उस की मात्रा से आंकता हूं और फिर दूसरे पड़ोसी देशों की तुलना में उसे देखता हूं । हमारी तथा पड़ोसी देशों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती । चीन ने १९५४ में १२० लाख वर्ग मीटर स्थान पर आवास स्थान बनाये हैं । रूस ने ७२० लाख वर्ग मीटरों पर यह निर्माण कार्य किया है । इस प्रकार उस दृष्टि से हमें इस बात का निरीक्षण करना है ।

सभी लोग जानते हैं कि नगरों में मकानों की इतनी कमी है । जिस का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता । लोगों को सड़कों पर सोना पड़ता है । इस का कारण यह है कि सुधार प्रन्यास आदि निरंतर रुकावटें पैदा करते रहते हैं । जब तक कि इस लालफीता शाही को समाप्त नहीं किया जाता तब तक हम अपनी पंचवर्षीय योजना को कभी भी सफलता से क्रियान्वित नहीं कर सकते ।

उत्तर प्रदेश में सीरे के विक्रय से प्राप्त भारी राशि वैसे ही पड़ी है । इस राशि को चीनी श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये रखा गया था किन्तु किसी श्रमिक को मकान बनाने की आज्ञा नहीं दी जा रही ।

मैं अब मुख्यतया संभरण मंत्रालय के बारे में ही कहूंगा । श्री सारंगधर दास ने बताया कि हमें लन्दन तथा वाशिंगटन से

टेंडर मांगने में क्या हानि है । मैं भी यही समझता हूं । इस प्रकार वह एक स्कैंडल सा बना हुआ है । यदि इसे रोका जाय तो ठीक होगा । वाशिंगटन में टेंडर मांगने से हमें केवल अमरीकी माल ही मिलता है । उस में और कोई प्रतियोगिता नहीं रहती...

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह बात वास्तविक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है—क्योंकि आई० एस० एम० के पास सामान्यतः सारे देशों में से ही टेंडर आते हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : यह ठीक है किन्तु सामान्यतः ऐसा नहीं होता । जब किसी वस्तु के लिये वाशिंगटन में टेंडर मांगे जाते हैं तो वाशिंगटन के कारखानों के स्वामी ही टेंडर दे सकते हैं । यदि जर्मनी अथवा जापान में भी वे ही वस्तुयें बनती हों तो उन देशों से भी टेंडर आ सकते हैं । यदि आप किसी विशेष वस्तु के टेंडर मांगें तो और कोई देश उस के टेंडर नहीं दे सकता इसलिये होना यह चाहिये कि आप सारे देशों के कारखानों को लिखें और उन सब के टेंडर आने पर उन में से उपयुक्त चुनें । यदि आप भारत म ही टेंडर निमंत्रित करें तो आप को दरों की प्रतियोगिता के कारण चीजें सस्ती दरों पर मिल जायेंगी । दूसरे, भारत के एजेन्सी गृहों से यह चीजें खरीदने से इन पर आय कर भी लग सकेगा । इसलिये वाशिंगटन तथा लन्दन में टेंडर मंगाने से तो अधिक अच्छा यह है कि भारत में ही टेंडर निमंत्रित किये जायें ।

बाहर से माल खरीदने पर हमें जहाज़ों में माल चढ़ाने का मूल्य चुकाना पड़ता है । इतने पर भी हमें संतोषजनक वस्तु प्राप्त नहीं होती । इस का हमें बड़ा कड़वा अनुभव है । उदाहरणार्थ गेहू की खरीद में हमें काफी हानि उठानी पड़ी है, किन्तु यदि हम माल यहां से खरीदें तो हमें अपने संतोष का माल भी मिल सकता है ।

संभरण विभाग से खरीद करने में बहुत विलम्ब भी होता है इसी विलम्ब के कारण रेलवे अपनी अधिकांश आवश्यकता की वस्तुयें इस विभाग के द्वारा नहीं खरीदती है । उन के यहां प्रचुर मात्रा में नौकरशाही प्रणाली है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अब भारत की साख भी बहुत अच्छी बनी है । इसलिये यदि हम एक ही गुट से माल न मंगा कर दूसरे गुट से भी माल मगाने लगेंगे तो हमें सस्ती दरों पर माल मिल सकता है ।

अब मैं कर्मचारियों के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगा । यह विभाग अंग्रेज़ी सरकार द्वारा भारतीय माल खरीदने के निमित्त खोला गया था । तब इस में केवल एक नियंत्रक एवं ३६ क्लर्क थे । अब मैं इस विभाग की कोई उपयोगिता नहीं देखता क्योंकि जब रेलवे विभाग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकता है तो दूसरे विभाग भी अपनी आवश्यकता की वस्तुयें स्वयं खरीद सकते हैं । इस प्रकार इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या घट जायेगी और यह विभागों के हित में भी अच्छा होगा ।

१९४७ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उत्सर्जन विभाग समाप्त कर दिया जायेगा तथापि अभी १४ करोड़ रुपये का सामान उत्सर्जन करना अवशेष है । वास्तव में, इस विभाग के कार्य को कब का समाप्त हो जाना चाहिये था । मेरी जानकारी के अनुसार इस विभाग का कार्य भी सन्तोषजनक नहीं है ।

माल का संभरण करने के लिये टेंडर निमंत्रित करने की पद्धति के सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि

[श्री एस० एल० सक्सेना]

कम-से-कम दो विभाग बिल्कुल भ्रष्ट हैं । पहिला निर्यात तथा आयात विभाग और दूसरा आर्डर देने वाला विभाग । टेंडर तभी स्वीकृत होता है जबकि उन को स्वीकार करने वाले पदाधिकारी सन्तुष्ट हो जाते हैं; अन्यथा सात-सात महीने तक मामला निलंबित पड़ा रहता है । इस प्रकार से बहुत से लोग इस विभाग से लाभ उठाते हैं । हमें चाहिय कि हम इस भ्रष्टाचार का पूरी तरह निवारण करें, चाहे हमें इस मामले में दृढ़ता एवं कठोरता से कार्य करना पड़े ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेअरमन साहब, मेरा इरादा इस मिनिस्ट्री के मुताल्लिक कुछ ज्यादा कहने का नहीं था, लेकिन फिर भी एक बात कहे बग़ैर नहीं रह सकता । जहां तक सक्सेना साहब का सवाल है, उन्हों ने अभी एक दो बातें ऐसी कहीं जिन का थोड़ा सा जवाब देने की मुझे जरूरत पड़ी । एक वक्त था जबकि हमारी डिफेन्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री बहुत सी चीजें खरीदा करती थीं और अपने अपने डिपार्टमेंट के जरिये खरीदा करती थीं । मैं जिस वक्त का जिक्र कर रहा हूं उस वक्त एक फ़ाइनेन्स कमेटी हुआ करती थी । हम में से चन्द लोगों ने यह उज्र किया कि जब एक चीज खरीदनी है, या गल्ला ही खरीदना है, तो अगर अपने आप अपने डिपार्टमेंट की मारफत कोई चीज खरीदी जायेगी तो जो खरीदने वाला है वह ठीक टर्म्स हासिल नहीं कर सकेगा । अगर चार डिपार्टमेंट्स अलाहदा अलाहदा खरीदेंगे तो अलाहदा अलाहदा कीमतें उन को देनी पड़ेंगी और यह दुरुस्त नहीं होगा । उस पालिसी को खत्म करके यह पालिसी अख्त्यार की गई कि एक सप्लाई डिपार्टमेंट ऐसा बने जो खुद सब चीजों को खरीद कर सब डिपार्टमेंट्स को सप्लाई किया करे । अब आज हमारे लायक दोस्त यह कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को डिसेन्ट्रलाइज कर दो । थोड़े अर्से के बाद जब यह डिसेन्ट्रलाइज हो जायेगा तो फिर कहेंगे कि इस को सेन्ट्रलाइज कर दिया जाय । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि एक चीज को जिस को कि गवर्नमेंट ने बहुत तजुर्बे के बाद कबूल किया है आप को महज क्रिटिसिज्म की वजह से खत्म नहीं कर देना चाहिये ।

इस के बाद मैं थोड़ा सा हाउसिंग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । कभी सुनाई दिया था कि गवर्नमेंट का दस लाख इंडस्ट्रियल मकान बनाने का इरादा है । अगर हम ब्रीफ नोट के दूसरे सफे पर देखें तो पता चलता है कि अभी तक २०,००० टेनमेन्ट्स बने हैं । मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह दिन कौन सा होगा जब दस लाख मकान बन जायेंगे, वह कौन सा दिन होगा कि एक एक लेबरर के लिये मकान होगा जिस के लिये आप रोज शिकायत करते हैं कि उस की एफिशिएन्सी ठीक नहीं है, वह काम ठीक से नहीं करता है । उस के लिये कम से कम रहने का मकान तो दीजिये । जब तक उस की हाउसिंग प्राब्लेम ठीक नहीं होगी तब तक वह लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, जो लेबरर्स आज हैं अगर उन को रहने का आराम भी नहीं तो ऐसे हालात में वह क्या कर सकते हैं ? इस के इलावा मैं स्लम्ज़ के बारे में एक दो लफ्ज़ कहना चाहता हूं । स्लम्ज़ बहुत ज्यादा जगह हैं और उन के बारे में यह कहा गया है कि इस तजवीज़ पर सोच विचार हो रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इन के बारे में कुछ न कर सकें तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन की मदद करे । मुझे अफसोस है कि यह ड्रीम

कंसिड्रेशन की स्टेज से अभी नहीं निकली और अभी तक इस को एक्चुअल प्रेक्टिस में नहीं लाया गया । पता नहीं कब तक इस पर सोच विचार चलता रहेगा । यह एक ऐसा काम है कि जिस को गवर्नमेंट को फौरन मान लेना चाहिये ।

१९५२ में हमारी यह मिनिस्ट्री बनी और हमारी यह खुशकिस्मती है कि सरदार साहब इस मिनिस्टरी के इंचार्ज हुए । हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वे मशहूर हैं और जैसे वे काम करते हैं वे इस मिनिस्टरी को चार चांद लगा देंगे । एक उम्मीद दी गई है कि सारे हिन्दुस्तान में लो इनकम ग्रुप के लिये मकानात बनवाये जायेंगे । जब ऐसा हो जायगा तो लोग यह महसूस करेंगे कि उन का एक स्वप्न पूरा हो गया है और उन को पता लगेगा कि सोशलिस्टिक स्टेट इस तरह से काम करती है । इस स्कीम के तहत सरदार साहब किसी हद तक स्टेटों की मदद कर के इस स्कीम को कामयाब बनाने की कोशिश भी करेंगे । लेकिन इस स्कीम के बारे में एक अर्ज़ करना चाहता हूं । इस स्कीम के अन्दर तीस बरस तक रुपया बनाये गये मकानों के मुतल्लक वसूल किया जायगा । यह ठीक है लेकिन इस से मैं सैटिसफाइड नहीं हूं कि ज़मीन अच्छी तरह से डिवैलेप कर के सिर्फ तीन साल के बाद डिवलप्ड जमीन के मुतल्लक रुपया वसूल कर लिया जाय जैसा इस नोट में दर्ज है । मैं चाहता हूं कि वह रुपया भी किराये को लीज़ के ज़रिये तीस साल के अन्दर लिया जाय ।

मैं जिस मतलब के लिये बोलने खड़ा हुआ था वह कुछ और था । मैं जितनी सरदार साहब की तारीफ करूं उतनी थोड़ी है । लो इन्कम ग्रुप को एक उम्मीद की शुआ जिन्हों ने दिखलाई । १९५० में जो मकानात बने थे उन पर रिफ्यूजीज़ ने अपना खून पसीना एक कर के और जो कुछ भी उन के पास यहां पहुंचने पर बचा था सब कुछ लगा दिया । १९५२ से पहले हमारे सरदार साहब के जो प्रेडिसेसर थे उन्हों ने एक एशोरेंस दी थी कि इन के मकानात नहीं गिराये जायेंगे । इस एशोरेंस के बावजूद १२०० मकान गिरा दिये गये हैं और वह एशोरेंस जोकि मिनिस्टर साहब ने दी थी इस हाउस के अन्दर उस पर चला नहीं गया, उस की कोई परवाह नहीं की गई । वे बेचारे मिनिस्टरों के पास पहुंचे, सरदार साहब से अर्ज़ किया, राजकुमारी जी के पास गये, रिहैबिलिटेशन वालों के पास गये किसी ने भी उन की तकलीफों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किसी के कान पर जूं तक न रींगी । मैं तो कहता हूं कि क्योंकि वे बेचारे गरीब थे, मुसीबत के मारे हुए थे, कुचले हुए थे, उन के पास कोई ताकत नहीं थी इस वास्ते उन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया । इतना जरूर कहा गया था कि नो प्राफिट नो लौस पर इन को मकान दिये जायेंगे । अब नई स्कीम की रूप से मकानात उन को दिये जायेंगे जिन की आमदनी ६,००० तक की है और जिन को गवर्नमेंट कर्ज़ा देगी । नो प्राफिट नो लास पर ये मकानात दिये जायेंगे । हम जानते हैं कि सात आठ रुपये से ज्यादा डिवलेपमेंट चार्जिज़ नहीं आते लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने किया है वह यह किया है कि इस जमीन की कीमत तीस रुपया और चालीस रुपया फी गज़ के हिसाब से वसूल की जायगी । यह बेचारे दबे हुए और कुचले हुए जो रिफ्यूजीज़ हैं अगर ये ४० रुपये फी गज़ के हिसाब से जमीन की कीमत देने के काबिल होते तो जरूर दे देते । मकान तो हर एक को चाहिये । रोटी के बाद मकान का सवाल पैदा होता है और इस मसले को हल करना सरदार साहब के हाथ में है । इस के वास्ते हमें किसी और के पास

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ सरदार साहब की खिदमत में ही हाज़िर होना पड़ता है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ इन्साफ होना चाहिये । इन को आठ रुपये फी गज़ के हिसाब से ज़मीन दे दी जाय और आप कोई मुनाफा न लें । इस हाउस में दिये गये वायदे, मैं अर्ज़ करता हूं जो कानून से ज्यादा सेक्रिड और मजबूत होते हैं । जब ये लोग अदालतों में जाते हैं तो कहा ज़ाता है कि यह एशोरेंसिस ला की हैसियत नहीं रखते इस वास्ते अदालत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती । मैं सरदार साहब की खिदमत में इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एशोरेंसिस कानून से ज्यादा एहमियत रखते हैं । अगर जो एशोरेंसिस दिये जाते हैं उन को इम्पलिमेंट न कर के उन को फलाउट किया गया तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस से लोगों का आप में कान्फिडेंस नहीं रहेगा और इस पार्लियामट की, इस एड्मिनिस्ट्रेशन की देश में और दुनिया में कोई वुक्कत नहीं रहेगी । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गाडगील साहब ने, जिन के कि आप सकसेसर हैं, जो एशोरेंस दिये थे उन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब आप पर आ गई है और आप ही को उन एशोरेंसिस को पूरा करना है । जहां मकान मौजूद हैं उन को आप ने नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर देने के लिये रखा है । आज रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने जो पालिसी इन मकानात के बारे में तै की है उस से रिफ्यूजीज़ तबाह हो जायेंगे । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो मकानात बनाये गये हैं इन को आप उन को दे दीजिये और उन से ३० बरस में इन की आप कीमत वसूल कीजिये । जितने भी मकानात बनाये गये हैं इन को भी आप रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से अपने कब्ज़े में ले लीजिये क्योंकि हाउसिंग आप का सबजेक्ट है और जिस तरह कम्पेन्सेशन देने की खातिर उन को घरों से निकाल कर बेघरबार किया जा रहा है इस के बजाय फायदे के नुकसान ही होगा । मैं अर्ज़ करता हूं कि यह सवाल अकेली एक मिनिस्ट्री का नहीं है बल्कि सारी गवर्नमेंट का है और उन को इस पर गौर करना चाहिये । मैं गवर्नमेंट को यह सन्देशा भेजना चाहता हूं कि इस तरह से सारी कम्पेन्सेशन स्कीम नाकाम्याब होगी और यह चल नहीं सकती । इस का एक ही इलाज है कि आप ४०-५० करोड़ रुपया उस की डिसपोज़ल पर रख दें । आप ने इस साल के लिये ३८ करोड़ रुपये रखे हैं । आप को हर एक आदमी को जोकि दिल्ली में रहता है मकान मुहैया करना है चाहे वह डिसप्लेस्ड परसन हो चाहे न हो । ऐसा करने से आप एक स्टोन से दो बर्ड्ज़ मार सकेंगे । इस से एक तो रिफ्यूजीज़ का मसला हल होगा और दूसरे लो इन्कम ग्रुप्स के लिये मकान बनवाने की स्कीम भी ठीक ढंग से चलेगी । मैं अपने सबजेक्ट से परे चला गया हूं । मैं लोगों को जो एशोरेंस दी गई थी उस के बारे में अर्ज़ कर रहा था । आप उन से ८ रुपये या १० रुपये पर यार्ड से ज्यादा चार्ज न कीजिये हालांकि चार पांच रुपये डिवेलेपमेंट कास्ट आती है । जब एशोरेंस दिये गये थे तो कहा गया था कास्ट आफ एकवीजीशन लेंगे वह कास्ट तो २ या ४ आने फी गज़ से ज्यादा नहीं है । आप रुपये के पीछे न जायें । आप ने जो वायदे किये थे उन को पूरा कीजिये । अगर ये वायदे जोकि पार्लियामेंट के अन्दर किये गये थे पूरे नहीं किये जाते तो आप की कोई वुक्कत नहीं रह जायगी ।

दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूं उस के बारे में मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थ

है कि वे इस को ज़रा ध्यान से सुनें । पटेल नगर झंडे वालां में जिन रिफ्यूजीज़ ने मकान बनाये हुए थे और जिन को गवर्नमेंट ने खिलाफ कायदा समझा उन को रिहैबिलिटेशन ने गिरवा दिया और उस के बारे में जो एशोरेंस दी गई थी उस पर एशोरेंस कमिटी विचार कर रही है । इस ज़मीन में से आधी ज़मीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से ले ली और कहा कि यहां पर मकान बना कर किराये पर दिये जायेंगे । हम सब जानते हैं कि एक आदमी जो अपने मकान में रहता है और दूसरा जोकि एक महल की ऊपर की मंज़िल में रहता है उन दोनों में कितना फर्क है । मैं ने एक एशोरेंस ली थी कि इस ज़मीन पर डिसप्लेस्ड परसन्ज़ को बसाया जाय और जितना रुपया इस ज़मीन को डिवैलेप करने पर खर्च आता है वह उन से लिया जाय जिस से कि हर एक डिसप्लेस्ड परसन अपने बनाये हुए मकान में रहे । इस के बाद यह जमीन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने अपने कब्ज़े में ले ली इस गर्ज़ से कि वहां पर डिसप्लेस्ड परसन्ज़ को बसाया जायगा । आज तक उस जमीन के बारे में सोच विचार किया जा रहा है । मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि जिन लोगों के मकान गिराये गये थे उन को आधी ज़मीन ही दे दी जाय तो भी वह अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे । आप कम्पनसेशन न दें, उन को नो प्राफिट नो लास पर उस ज़मीन को दे दें, आप को इस में कोई तकलीफ नहीं होगी । वे अपने आप अपने मकानात के नक्शे बनवा कर पास करा लेंगे । दिल्ली के आसपास काफी ज़मीन मौजूद है । अपने ज़ाती मुफ़ाद के लिये मैं कुछ नहीं चाहता । मैं तो इन दुखी आदमियों की तरफ से बोल रहा हूं । ये दुखी आदमी हैं, बेघरबार हैं वे आप से कम्पेन्सेशन नहीं मांगते ।

मैं तो भिखारी की तरह आप की खिदमत में उन की तर्फ से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो एश्योरेंस आप ने मुझे दिये हैं उन को पूरा करें । आप मुझे ज़मीन दीजिये जिस पर मैं आप के नक्शे के मुताबिक अपना झोंपड़ा बना लूं । आप के डिपार्टमेंट के कब्जे में जमीन खाली पड़ी है । आस-पास बहुत सी जमीनें पड़ी हैं जिन में आप मुझे बिठा सकते हैं । जिन को आप ऐश्योरेंस दे चुके हैं उन को आप जमीन दें । आप अपने एशोरेंसेज़ से बाउंड हैं और गवर्नमेंट की आनर आप के हाथ में सेफ है । यह लफ्ज देश के अन्दर न जाने दीजिये कि जो यहां कहा जाता है उस के खिलाफ गवर्नमेंट या कोई अफसर जा सकता है ।

दूसरी चीज़ मैं और अर्ज करना चाहता हूं । यह स्लम्स के बारे में है । आप ने स्लम्स को ठीक करना शुरू किया है । दिल्ली में गवर्नमेंट का प्रेमिसेज़ बिल है । आप स्लम्स को साफ कीजिये । मैं यह चाहता हूं । आप ने इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया था । उस कमेटी के मेम्बर की हैसियत से मैं उन स्लम्स को देखने गया था । मैं स्लम्स का उतना ही दुश्मन हूं जितना कि कोई और हो सकता है । मैं अपने भाइयों को अपने अपने मकानों में प्रिंसेज़ की तरह रहते हुए देखना चाहता हूं । हर एक का मकान उस का सिटेडिल हो यह मैं चाहता हूं । जिस दिन आप उन गरीबों को मकान बना कर रहने के लिये देंगे उस दिन मैं समझूंगा कि हमारा स्वराज्य का स्वप्न पूरा हो रहा है । लेकिन मैं यह नहीं समझता था कि आप गरीब आदमियों के मकान ले कर उन को या उन में से ज्यादातर को दस दस मील के फासले पर फेंक देंगे जहां कि वे अपनी रोजी न कमा सकें । यह तो उन गरीब आदमियों के साथ निहायत सख्ती का बरताव होगा कि उन को इतने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

फासले पर भेज दिया जाय कि वे अपनी रोजी भी न पैदा कर सकें । उन के मकान ले लिये गये हैं जिन का उन को पूरा मुआवज़ा नहीं दिया गया और उन्हें इतनी दूर दूर फेंक दिया गया है । स्लम क्लीयरेंस का मंशा तो यह होना चाहिये कि आप उन को अच्छे मकान बना कर रहने के लिये दें, न कि उन को अपनी रोजी कमाने के मुकाम से दूर फेंक कर उन को तबाह कर दें । अगर स्लम क्लीयरेंस का यह मतलब है कि आप उसी जगह उन को अच्छे मकान बना कर देना चाहते हैं तब तो यह काम मुबारक है, नहीं तो यह अच्छा है कि आप मुझे स्लम में रहने दें, मुझे सड़ने दें और मरने दें, मुझे तबाह न करें, मुझे दस मील दूर न फैंके जहां कि मैं अपनी रोजी न कमा सकूं । स्लम में रहना और रोजी कमाना अच्छा है बनस्बित महल में रह कर भूखे मरने के ।

इन अल्फाज़ के साथ मैं आप की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप कम से कम हम को यह उम्मीद तो दिला दीजिये कि आप ने जो वायदे दिये थे वे पूरे होंगे । उन को दिल्ली स्टेट पूरा करेगी । इस में रुपये का सवाल नहीं है । बिला कोई रुपया खर्च किये हुए आप हम को यह रिलीफ दे सकते हैं । चूंकि यह मसला आप की मिनिस्ट्री के मुताल्लिक है इसलिये मैं ने यह चन्द लफ्ज आप की खिदमत में अर्ज किये ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) माननीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में अब भी आवास की समस्या बहुत जटिल है और वह उस को हल करने के प्रयत्न कर रहे हैं । बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां आवास की समस्या का तो कोई प्रश्न हीं नहीं है, उलटे वहां की समस्या यह है कि मकानों में कोई किराये-दार नहीं है । कितने ही मकान खाली पड़े हैं और इस कारण वे नगर तबाह हो रहे हैं । यदि सरकार हिमालय पर्वत के किनारे किनारे के इन छोटे छोटे नगरों की ओर ध्यान दे तो दिल्ली की आवास समस्या भी हल हो जायेगी और वहां के निवासियों की सहायता भी हो जायेगी । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का ध्यान मैं विशेष रूप से शिमला की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां भारत सरकार के और पंजाब सरकार के करोड़ों रुपये की लागत के मकान केवल इसलिये खाली पड़े हैं क्योंकि पर्याप्त संख्या में सरकारी विभाग वहां नहीं भेजे गये हैं जो हाल शिमला का है वही दूसरे स्वास्थ्य-प्रद स्थानों जैसे मसूरी, कसौली, दागशाही, या डलहौज़ी का भी है ।

कहा जाता है कि अपाधिग्रहण की नीति का पालन किया जा रहा है और अब तक ३० मकान अपाधिरहित किये जा चुके हैं । परन्तु यह गति बहुत ही धीमी है । आवश्यकता इस बात की है कि अपाधिग्रहण बहुत तीव्र गति से किया जाये ।

जहां तक संभरण का सम्बन्ध है इस पुस्तिका के पृष्ठ ३३ पर मद संख्या २० में बताया गया है कि वाशिंगटन से ५,१८,००,००० रुपये के और लन्दन से ६,०५,००,००० रुपये के खाद्य पदार्थों का आयात किया गया है । मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जिन की भारत की निर्धन जनता को इतनी आवश्यकता है और जो लन्दन और वाशिंगटन में ही प्राप्त होते हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अवश्य ही इस की जांच करेंगे ।

डेढ़ करोड़ रुपये के विस्फोटक पदार्थों का आयात किया गया है । इस का आयात तो बहुत आवश्यक था और इस का प्रयोग पत्थर तथा कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिये किया भी जा चुका है । परन्तु

में आशा करता हूं हमारे पास भी इसके कुछ संसाधन अवश्य होंगे और हम भी थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसे विस्फोट तय्यार कर सकते हैं । शिकारियों की ओर से मैं यह शिकायत करना चाहता हूं कि कारतूसों के मूल्य बहुत अधिक हैं ।

जहां तक पैट्रोलियम का सम्बन्ध है, इसे इतनी दूर से मंगाना पड़ता है कि इस का मूल्य बहुत बढ़ जाता है । होना यह चाहिये था कि अब तक हमारे पेट्रोलियम लाने वाले अपने जहाज़ तय्यार हो गये होते और हम अपना सारा पेट्रोल अपने जहाज़ों में लाते ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे माननीय मित्र श्री टी० बी० विट्ठल राव ने जब यह कहा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लोक अपव्ययता विभाग है तो मैं आशा करता हूं कि वह इस अपव्ययता को दूर करने के कोई सुझाव देंगे जैसेकि वेतन-मापमानों का पुनरीक्षण किया जाये, या वेतनों में कमी की जाये या और किसी प्रकार से अपव्ययता को कम किया जाये । परन्तु मैं व्यर्थ ही कान लगाये रहा और अन्त तक मेरी आशा पूरी नहीं हुई ।

काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की शिकायतों का प्रश्न पहले भी अनेक प्रकार से लोक सभा के सामने आता रहा है । इस सम्बन्ध में की गई आलोचना का मुख्य आधार सरकार के स्थायी कर्मचारियों तथा काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अन्तर है । जान पड़ता है कि आलोचकों का विचार है कि काम निरन्तर इतना रहता है कि काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये सभी कर्मचारी स्थायी आधार पर रखे जा सकते हैं । परन्तु बात ऐसी नहीं है । इस लिये जब तक काम के लिय अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की श्रेणी रहेगी इस अन्तर का रहना भी आवश्यक है । इतना होते हुए भी, जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं उन को सुधारने के लिये जो कुछ भी करना संभव है सब किया जायेगा ।

इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो शिकायतें रखी हैं वे इन के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था द्वारा समय-समय पर रखे गये ज्ञापनों से ली गई हैं । जो सुझाव रखे गये थे उन में से कुछ की जांच हो चुकी है और उन में से जो उचित पाये गये उन के सम्बन्ध में कार्यवाही भी की जा चुकी है । उदाहरण के लिये दक्षिण भारत में स्थिति मंडपम् के महंगी बस्ती-भत्ते के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र की जानकारी कुछ पुरानी है क्योंकि यह भत्ता तो मंजूर भी किया जा चुका है । इसी प्रकार कोनागढ़ के लिये मकान-किराया भी मंजूर किया जा चुका है । गाडगील समिति की सिफ़ारिश के अनुसार आधा महंगाई भत्ता भी वेतन में सम्मिलित किया जा चुका है । ऐसी मांगों की जांच करने के लिये हम इस बात की राह नहीं देखते हैं कि पहले चर्चा के अवसर यह प्रश्न उठाये जायें ।

इन कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या "स्थायी" या "अर्ध-स्थायी" बनाई जा चुकी है । २५२६ कर्मचारी 'स्थायी' बनाये जा चुके हैं और २५१६ को विशेष रूप से 'अर्ध-स्थायी' बनाया जा चुका है क्योंकि इस की कई बार मांग की जा चुकी है । परन्तु इन की लगभग आधी संख्या अब भी 'अस्थायी' है ।

इन के काम करने की परिस्थितियों को सुधारने के सम्बन्ध में हम समय समय पर विचार करते रहते हैं । यात्रा भत्ते के रूप में उचित रक़म देना, हवाई अड्डों में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

जहां आवास प्रबन्ध नहीं है वहां आवास प्रबन्ध करना या समुचित डाक्टरी सहायता का सम्बन्ध करना, इन के सम्बन्ध में अनुकूल विनिश्चय किये जा चुके हैं और जहां नहीं किये गये हैं वहां शीघ्र ही किये जायेंगे । माननीय सदस्य ने एक साधारण सी बात को ले कर एक और आपत्ति यह उठाई है कि किसी स्थान विशेष में तीन वर्ष तक काम करने के बाद तबादला करने के नियम का पालन नहीं किया गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिस का अधिकांश कार्य दिल्ली में ही होता है दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जिन का दिल्ली के बाहर कोई काम ही नहीं है जैसे उद्यान विभाग के कर्मचारी जिन की संख्या बहुत अधिक है या उन कर्मचारियों की बहुत अधिक संख्या है जो राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का दिल्ली से बाहर का काम न तो परिमाण में इतना है और न इस प्रकार का है कि दिल्ली में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वहां उचित काम दिया जा सके, फिर भी जहां तक हो सकता है इस नियम का पालन करने का ध्यान रखा जाता है ।

आवास समस्या का उल्लेख कितने ही सदस्यों द्वारा किया गया है । हमारे एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कहा है कि हमें इन निर्माण आंकड़ों की तुलना चीन तथा रूस के आंकड़ों से करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं न तो इन देशों के विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूं और न उन की नीतियों की ही आलोचना करना चाहता हूं । यदि वे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वह और भी तीव्र गति से बढ़ें । परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे और उन के आंकड़ों में इस प्रकार की तुलना करना उचित नहीं है क्योंकि पहले तो उन का शासन तंत्र एकात्मक है और अत्यधिक केन्द्रीकृत है और दूसरे हमारे शासन का ढांचा दूसरे प्रकार का है । हमारे देश के आवास निर्माण का अनुमान न तो उन मकानों से लगाया जा सकता है जो हम ने औद्योगिक केन्द्रों में बनाये हैं और न उन से जो हम ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये या शरणार्थियों के लिये बनाये हैं । इस का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिये हमें देखना होगा कि केन्द्र में तथा राज्यों में सरकारी क्षेत्र में आवास निर्माण कितना हुआ है और साथ ही साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में आवास निर्माण कितना हुआ है । भारत का आवास निर्माण अधिकांशत: गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा सम्पन्न हुआ है । सारे देश में चारों ओर बहुत अधिक संख्या में मकान बनाये गये हैं ।

मैं यह बता रहा था कि यह तुलना बिल्कुल अवास्तविक है । उस के अतिरिक्त, उन्हें यह भी शिकायत थी कि चीनी-शीरा निधि खर्च नहीं की गई है । उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय में विचार कर रही है और मैं इस के पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ नहीं कह सकता हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने औद्योगिक आवास क्षेत्र और कम आय वाले समुदाय क्षेत्र में आवास निर्माण योजनाओं के कार्यान्वित करने में अनुभव की जा रही कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों और रुकावटों की ओर संकेत किया है । हमें मुख्यत: राज्यों के अथवा गैरसरकारी क्षेत्र में, चाहे वह मालिक का हो अथवा कर्मचारी का हो, प्रशासकीय ढांचे पर निर्भर रहना पड़ता है । अत: एक प्रकार से हमारी प्रगति इस बात पर निर्भर है कि दूसरे क्या करते हैं

और उस चीज़ के लिये हम पर लांछन नहीं लगाया जा सकता जिस के लिये हम कदापि उत्तरदायी नहीं हैं । आयव्ययक उपबन्ध इस आशा पर बनाये गये थे कि देश में इतनी संख्या में मकानों की जरूरत होगी । अतः औद्योगिक क्षेत्र में यह आशा थी कि मालिक अमुक संख्या के लिये अपनी योजनायें प्रस्तुत करेंगे, राज्य सरकारें उन से कुछ लाभ उठायेंगी और कर्मचारियों की सहकारी समितियां भी कुछ संख्या के सम्बन्ध में लाभ उठायेंगी । यदि यह आशा पूर्ण नहीं हुई है, तो उस के दो कारण हैं । सर्वप्रथम उन की आवश्यकतायें उसी क्रम की नहीं पाई गईं जिस की कि हम ने प्रारम्भ में कल्पना की थी अथवा मालिकों के या कर्मचारियों के क्षेत्र में कोई नई योजना कार्यान्वित करने में स्वभाविक अक्रियता इस कमी के लिये उत्तरदायी है । अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली कतिपय आवश्यकताओं और मांगों का हमें ज्ञान रखना होता है और यदि वह मांग मूल आशाओं से कम हुई है तो उस के लिये हम पर दोष नहीं लगाया जा सकता है मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राज्यों से, मालिकों से और कर्मचारियों की ओर से प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं को निपटाने का कार्य बहुत शीघ्रता से हुआ है और मैं अपने मंत्रालय के ग्रहनिर्माण विभाग को बधाई देता हूं कि जिस ने काफ़ी उत्साह उत्पन्न किया है मुझे यह कहते हर्ष होता है कि मंजूर किये गये ५० हजार मकानों में से करीब आधे बन कर तैयार हो गये हैं और यह एक काफ़ी अच्छी प्रगति है ।

आयव्ययक उपबन्धों के व्यपगत हो जाने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है । केवल इस मंत्रालय में ही नहीं, वरन् सभी मंत्रालयों में इस विषय पर चर्चा होती है, किन्तु विशेष कर इस मामले में, वास्तविक कमी का उचित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये । विभिन्न निर्माता अभिकरणों का हम निर्माण की स्थिति पर निर्भर कार्यक्रमों के अनुसार भुगतान करते हैं । मैं केवल वही आंकड़े नहीं देना चाहता हूं जिन से प्रतीत हो कि राज्यों या मालिकों या कर्मचारियों को सहकारी समितियों का भुगतान कर दिया गया है बल्कि मैं इस बात के लिये उत्सुक था कि और अधिक मकान बनाये जायें । इसलिये जो शेष धनराशि वापस की जा रही है, उसे अब भुगतान के लिये वास्तव में काम में लाया जायेगा । अतः इस कमी का इस सन्दर्भ में देखना होगा ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

कई माननीय सदस्यों ने कम आय वाले समुदाय के लिये गृहनिर्माण की नई योजना का किसी हद तक परीक्षण किया है और इस दशा में मेरा कथन इतना ही है कि हम ने उसे अभी-अभी चालू किया है किन्तु मुझे विश्वास है कि हमारे साधन सीमित होते हुए भी, इस से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और इस के कारण निराशा नहीं होगी ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) ग़रीब वर्गों के लिये अर्थात् अनुसूचित जाति के लोगों के लिये गृह निर्माण के बारे में क्या स्थिति है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उन के सम्बन्ध में, इस योजना में एक उपबन्ध ऐसा है जिस के अनुसार म्युनिसिपल प्राधिकारी और स्थानीय संस्थायें अपने मेहतर कर्मचारियों के लिये मकान बना सकती हैं और केन्द्र उन्हें सहायता देगा । कई राज्यों ने यह मांग रखी थी और मुझे हर्ष है कि यह योजना म्युनिसिपल कर्मचारियों के मामले में भी, विशेष कर कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये भी लागू कर दी गई है और मुझे आशा है कि उन्हें इस से कुछ लाभ ही होगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : निश्चित धनराशि क्या है ? में वही जानना चाहता हूं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे माननीय मित्र म्युनिसिपल कमेटियों के लिये जितनी धन-राशि मुझ से ले सकें, उतनी धनराशि में दे सकूंगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : म्यूनिसिपल कमेटी के बाहर जो लोग हैं और जो ग़रीब हैं, उन के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं यह कह रहा था कि जहां तक कम आय वाले समुदाय के लिये गृहनिर्माण की योजना का सम्बन्ध है, आठ हजार रुपये अधिकतम ऋण दिया जा सकता है, और स्थानीय-आवश्यकताओं के अनुसार कम भी दिया जा सकता है । इस योजना में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे केवल शहरों के लिये ही सीमित कर दे हरिजन और सब से अधिक ग़रीब वर्ग के लोग भी इस से लाभ उठा सकते हैं यदि राज्य सरकारें ठोस योजनायें प्रस्तुत करें जिन के अनुसार वे उन्हें जमीन दे सकें और उस ज़मीन पर मकान बनाने के लिये उन्हें धन दे सकें ।

ग्रामीण ग्रहनिर्माण के बारे में भी कुछ कहा गया था मेरे माननीय मित्र श्री बंसल ने उन पुस्तिकाओं के प्रकाशन के बारे में चिन्ता प्रकट की है जिन के प्रकाशन का वचन दिया गया है । मेरे विचार से एक पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है और मैं उस की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रखवा दूंगा । अन्य पुस्तिकाओं के प्रकाशन में शीघ्रता की जायेगी ।

गन्दी बस्तियों को साफ करने की वर्तमान योजना में विभिन्न राज्य सरकारों को लम्बी अवधि के ऋण के रूप में सहायता देने की कल्पना की गई है, किन्तु राज्य सरकारें उस का उपयोग नहीं कर पाई हैं क्योंकि उन की धारणा है कि आर्थिक सहायता भी कुछ परिमाण में होनी चाहिये वैकल्पिक मकान बनाने तथा बिना आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष रूप से गन्दी बस्तियां साफ करने में राज्य सरकारों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है इस विषय में अभी चर्चा हो रही है और इस कार्य के लिये प्रत्यक्ष सहायता देने पर सरकार वित्तीय कारणों से सहमत नहीं है । किन्तु अभी यह विषय पूर्णतयः समाप्त नहीं हुआ है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विदेशों में स्थित संभरण संगठनों के कार्यों की आलोचना की है । मेरा यह निवेदन है कि इस विषय पर की गई अधिकतर आलोचना इन संगठनों के वास्तविक कार्यों के बारे में बनाई गई ग़लत धारणा पर आधारित है । इस आलोचना में पहले ही यह मान लिया गया है कि विदेशों में खरीद के लिये लन्दन या वाशिंगटन को कोई चीज अपने ही आप भेज दी जाती है । यह बिलकुल ग़लत है । मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्द ने बताया कि परीक्षण बहुत आवश्यक है । किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षण के बाद ही कोई आर्डर विदेश में वस्तुओं के क्रय करने के लिये भेजा जाता था यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी सदस्य विदेश से खरीदी गई किसी ऐसी वस्तु का उदाहरण नहीं दे सके जो भारत में खरीदी जा सकती हो, सिवा इस के कि मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्द ने खाद्यान्नों के बारे में जो कुछ कहा है । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी टिप्पणियां उस समय तक के लिये रक्षित रखें जबकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो । किन्तु सरकार के एक सदस्य के नाते मैं यह कह सकता हूं कि उन खाद्यान्नों का क्रय भी हम ने स्थानीय कमियों को

पूरा करने के उद्देश्य से एक रक्षित कोष बनाने के लिये ही किया है । अतः मूल तथ्य यह है कि क्या हम ने ऐसी कोई चीज आयात की है जो हम अपने देश में ही प्राप्त कर सकते थे । संसद् को यह बताते मुझे बहुत बड़ा समाधान होता है कि न केवल भारत में निर्मित किसी वस्तु के समाहार के लिये प्रत्येक कार्यवाही की जा रही है वरन् उन वस्तुओं के सम्बन्ध में भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कार्यवाहियां की जा रही हैं जो भारत में अब तक नहीं बनाई जाती हैं । हमारी क्रय-नीति और आयात-नीति का भी इस प्रकार समन्वय किया गया है कि उन पदों की उत्पादन क्षमता का विकास निश्चित हो जाय जो भारत में अब तक बनाई नहीं जा रही हैं । अतः अब एक-मात्र प्रश्न यह है कि देश में ही सारी दुनिया से टेंडर मंगा कर हम चीजें ज्यादा किफ़ायत से खरीद सकते हैं या वे विदेशी शिष्टमंडल रखना आवश्यक है । भारत में सारी दुनिया से टेंडर मंगाने की अच्छाई बुराई जो भी हो, फिर भी यह स्थिति होती है कि भारत में टेंडर मंगाने से हमें या तो अच्छे प्रतियोगीय भाव नहीं मिलते हैं या ख़रीद का परिमाण इतना थोड़ा होता है कि विदेशी व्यापारियों को अपने प्रतिनिधि भेजने का कोई आकर्षण नहीं होता है । फिर हमारी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें होती हैं जिन के लिये हम टेंडर नहीं मंगाते हैं और कभी कभी उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं । उदाहरणार्थ, हमारे कम्यूनिस्ट मित्र जानते हैं कि हमारे नये इस्पात के कारख़ाने के लिये हमें रूस से कुछ मशीनरी प्राप्त करनी होगी । अतः एक संगठन हमें बनाये रखना होगा क्योंकि विकास कार्यक्रम में प्रगति करने के लिये और देश के औद्योगीकरण के लिये हमें आयातों पर निर्भर रहना पड़ेगा । अधिकतर पदों के सम्बन्ध में हम भारत से ही टेंडर मंगाते हैं । उदाहरणार्थ, गत वर्ष इंजिनों की खरीद के लिये संसार के सभी देशों से टेंडर मंगाये गये थे । अतः वास्तव में नीति का संचालन समाहार के सर्वोत्कृष्ट ढंग द्वारा होता है और न कि लन्दन या वाशिंगटन में कर्मचारी वर्ग के रहने के कारण होता है ।

श्री सारंगधर दास : उन फर्मों के यहां के अभिकरणों के सम्बन्ध में, जिन्हें लन्दन और वाशिंगटन में स्थित शिष्टमंडल आदेश देते हैं, क्या स्थिति है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस विषय पर सामान क्रय समिति विस्तार से विचार कर रही है और आशा है कि उस की सिफारिशें एक पखवाड़े के अन्दर सरकार को मिल जायेंगी । इस विषय पर समिति ने बहुत श्रम और समय लगाया है और इसलिये मैं उस के अध्यक्ष श्री कोटक को बधाई देता हूं । आशा है उस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप, संगठन और शक्तिशाली बन जायगा । श्री सारंगधर दास द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में, समिति की सिफारिश संभवतः इस आशय की होगी कि हमें भारत में ही ख़रीद करनी चाहिये ।

दो तीन माननीय सदस्यों ने तेल या पैट्रोलियम के उत्पादों के बारे में कुछ सुझाव रखे हैं । जहां तक आसाम तेल कम्पनी का कार्यकरण का सम्बन्ध है, उस विषय में कोई गुप्त बात नहीं है और उस के कार्यों की जांच के लिये कोई संसदीय समिति आदि नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

समवाय ने इस सम्बन्ध में भी विकास किया है तथा नाहर कटिया के तेल क्षेत्रों में और नया तेल निक्षेप मिलने की आशा है । मुझे विश्वास है कि यदि यह समवाय तेल का भली प्रकार पता लगा लेगी तो इस से

[सरदार स्वर्णसिंह]

हमारे संसाधनों में बड़ी सहायता मिलेगी । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अन्य समवायों ने भी तेलवाही स्थानों का पता लगाने का प्रयत्न किया है तथा कुछ दिन पूर्व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने इस कार्य को सरकारी स्तर पर करने का भी निश्चय किया है । इस प्रकार भविष्य में हमें भारत में पैट्रोलियम तथा तेल उत्पादों की कुछ आशा है ।

श्री जी० डी० सोमानी ने भारत तथा पाकिस्तान के मूल्यों की विभिन्नता के सम्बन्ध में कहा । इस की मैं ने थोड़ी जांच की है तथा उस से पता लगा है कि पाकिस्तान के मूल्यित स्टाक लेखे जो हमारे लेखों के समान ही हैं । बड़ी लम्बी अवधि तक चलते रहने के बाद यह झगड़े अब पाकिस्तान सरकार तथा इन तेल समवायों द्वारा निश्चित किये गये हैं । तथा इस निश्चय के आधार पर उन्हों-ने लगभग १ करोड़ रुपये की सहायता दी है जोकि उपभोक्ताओं को दे दी जायेगी । इसलिये यह स्थानीय मामला प्रतीत होता है । परन्तु मैं उन को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि यदि इन समवायों ने हमारे उपभोक्ताओं के साथ कुछ भेदभाव किया तो इस मामले को ठीक करने के लिय सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।

मुझे खेद है कि म श्री सारंगधर दास के प्रश्नों का पूर्णतया उत्तर नहीं दे सका । परन्तु मैं उन को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि इस विषय पर भांडार क्रय समिति हमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । उस ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा उस की कुछ सिफारिशों की जांच की जा चुकी है । अन्य मंत्रालयों से सलाह कर के, इन सिफारिशों के अनुसार कुछ कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

इन मामलों में हमें कोई निश्चय करने में देर नहीं करनी चाहिये बल्कि जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है हमें भांडार क्रय समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय करना चाहिये ।

मैं उन्हें बता देता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन सिफारिशों के कार्यान्वित किये जाने पर श्री दास द्वारा बताई गई कठिनाइयां अवश्य दूर हो जायेंगी क्योंकि सरकार का विचार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने का है जिस से कि प्रदायकों को विश्वास हो जाये और सरकार को अधिक धन व्यय न करना पड़े ।

जहां तक विदेशों से खरीदने का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है तथा अधिकतर खरीद प्रारम्भ की गई विकास योजना के लिये प्रदाय प्राप्त करने के हेतु ही यह संभरण किया गया है । हमारा लक्ष्य भारत में उत्पादित वस्तुओं की खपत का ही नहीं है अपितु पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को भी हमें पूरा करना है ।

सभापति महोदय : यह कटौती प्रस्ताव निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं । माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावों की संख्या
९९	२०५, २७८, २७९, ३४१
१००	२८०, २८१, ...
१०१	२८२, ३४४, ३४५, ३४७, ३५७, ३६१, ४१४, तथा ४१८.

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये .

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
९९	श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) ।	औद्योगिक आवासों के लिये अपर्याप्त कार्यवाहियां ।	१००
९९	श्री शिव मूर्ति स्वामी (कुष्टगी) ।	निजी आवास योजनाओं को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	१००
९९	श्री शिव मूर्ति स्वामी .	हरिजनों तथा आदिम जाति के व्यक्तियों के लिये आवास व्यवस्था करने के लिये योजना बनाने की आवश्यकता ।	१००
९९	श्री सारंगधर दास .	संभरण विभाग के कार्यकरण को व्यापारिक तौर पर संगठित करने में सरकार की असफलता ।	१००
१००	श्री शिव मूर्ति स्वामी .	हथकरघा बुनकरों को सस्ता सूत देने के लिये छोटे पैमाने की इकाइयों की स्थापना ।	१००
१००	श्री शिव मूर्ति स्वामी .	केवल खादी तथा हथकरघा औद्योगिक संस्थाओं से कपड़ा खरीदने में मंत्रालय की असफलता ।	१००
१०१	श्री शिव मूर्ति स्वामी .	ठेका करने की दोषपूर्ण प्रणाली जिस के परिणामस्वरूप सरकार को बहुत हानि हुई ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	चौकीदारों को रविवार की छुट्टी देने में असफलता ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'अस्थायी रूप से रखे गये' कर्मचारियों को अंशदान स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित करने में असफलता ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	स्थायी कार्यों की देख रेख के लिये अपेक्षित स्थायी पद निर्माण में असफलता ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	वेतन क्रम के अनुसार 'अस्थायी रूप से नियुक्त' कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	चौकीदारों के काम के घंटे कम करने में असफलता ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	कर्मचारियों के वेतन क्रम की असंगतियों को दूर करने के लिये समिति नियुक्त किये जाने की आवश्यकता ।	१००
१०१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान 'अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों' को निवृत्ति लाभ की स्वीकृति ।	१००

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा वे अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्यायें, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १३६, १३७ तथा १३८ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

[लोक सभा में अनुदानों की जो मांगें स्वीकृत हुई वे नीचे दी जाती हैं--संपादक, संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	३८,१५,०००
१००	संभरण . . .	२,५६,७१,०००
१०१	अन्य असैनिक निर्माण कार्य . .	१७,१०,२२,०००
१०२	लेखन सामग्री तथा मुद्रण .	६,१६,७१,०००
१०३	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ।	६५,०१,०००
१३६	नई दिल्ली पर पूंजी व्यय	६,२८,३२,०००
१३७	भवनों पर पूंजी व्यय	८,२१,३५,०००
१३८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ।	४,६४,९७,०००

श्रम मंत्रालय के बारे में मांगें*

सभापति महोदय के द्वारा श्रम मंत्रालय की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
६९	श्रम मंत्रालय .	३१,४४,०००
७०	मुख्य खान निरीक्षक . .	९,४५,०००
७१	श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,१२,२५,०००
७२	काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन .	१,५९,६८,०००
७३	असैनिक रक्षा . .	१,१०,०००
१२९	श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	४७,०७,०००

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं ने दो कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है । पहला श्रम मंत्रालय की नीति के सम्बन्ध में है तथा दूसरा इस सभा द्वारा पारित दो विधियों, न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा बागान श्रम अधिनियम, को लागू न करने के सम्बन्ध में हैं । श्रम मंत्रालय की नीति के सम्बन्ध में मैं माननीय श्रम मंत्री से कहूंगा कि कई श्रम मंत्री आये तथा चले गये । आते समय उन्हें बहुत आशायें थीं परन्तु जाते समय कोई भी अपने किये हुए कार्यों से सन्तुष्ट नहीं था ।

अन्तिम श्रम मंत्री ने अपने कार्यभार को स्वयं ही छोड़ दिया जिस से देश के सभी कर्मचारियों ने उन का स्वागत किया । इस समय हमारे श्रम मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कार्मिक संघ के अग्रतम नेता रह चुके हैं परन्तु फिर भी सभी कार्मिक संघों को भविष्य में सरकार की श्रम नीति पर कोई विश्वास नहीं है । श्री गिरि किसी दल के सदस्य नहीं थे परन्तु आसनसोल आदि की दुर्घटनाओं के कारण सदन में इस ओर बैठने वाले सदस्यों की भावना ऐसी ही रही कि कार्मिक संघों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया है । अब माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह यहां आश्वासन दें कि वह अपने राजनीतिक दल के हितों को न देखते हुए राष्ट्रीय पहलू पर अधिक ध्यान देंगे ।

पिछले वर्ष के श्रम मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार ३ अथवा ४ विधेयक उन्हों ने प्रस्तुत किये हैं । न्यूनतम मजूरी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि यद्यपि प्रारम्भ में यह १९४८ में पारित हुआ था और इस में तीन संशोधक विधेयक पारित हो चुके हैं परन्तु फिर भी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस के सभी उपबन्धों को लागू नहीं कर सकती हैं तथा यह प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर स्वीकार भी किया गया है । अनुसूची १ के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अधिकतर उद्योगों में राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी है । इसलिये हमें नई दरों तथा मूल दरों और विभिन्न राज्यों में एक ही उद्योग में प्रचलित निम्नतम मजूरी दरों पर पूर्ण विचार करना चाहिये । तथा केन्द्र में उन का समन्वय करना चाहिये ।

अनुसूची २ में, कृषि मजूरी के सम्बन्ध में, स्वयं संशोधक अधिनियम ही इस अधिनियम के उद्देश्यों पर कुठाराघात करता है । एक क्षेत्र विशेष में न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी जाती है तथा अन्य क्षेत्रों में नहीं । किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिये मजूरी निर्धारित की जाती है तथा दूसरे के लिये नहीं । इस का तात्पर्य यह है कि जहां ये श्रमिक संगठित हैं वहां ये न्यूनतम मजूरी दरें लागू कर दी गई हैं परन्तु जहां वे संगठित नहीं हैं उन्हें मालिकों की दया पर ही आधारित रहना पड़ता है । प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर दिया हुआ है कि :

> "कृषि श्रमिकों की मजूरी उन्हीं क्षेत्रों में निर्धारित की गई थी जहां सम्बन्धित राज्य सरकारों ने मजूरी निर्धारित कर दी थी ।"

क्या ये मजूरी दरें किसी भी राज्य में निर्धारित की गई हैं तथा यदि निर्धारित की गई हैं तो किन राज्यों में ? केन्द्रीय सरकार यह सूचना भी नहीं दे सकती है ।

मैं सभा के समक्ष अपना एक अनुभव बताता हूं । १९४६ में कृषि श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने के लिये एक त्रिदलीय समिति नियुक्त की गई थी । एक और समिति १९४८ में नियुक्त की गई थी । सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर के कार्यकाल के

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

अन्तिम दिनों में राज्य में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये एक त्रिदलीय समिति नियुक्त की गई थी । उस समय तक उन की मजूरी फसल का $^{1}/_{10}$ तथा प्रति दो दिन की कटाई के लिये एक गट्ठा अनाज दिया जाता था । परन्तु उस समिति ने यह निर्णय किया कि तीन दिन की कटाई की मजूरी में एक गट्ठर मिलेगा । इस को श्रमिकों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि धान के मूल्य उस समय बहुत अधिक थे ।

परन्तु कुछ दिन पूर्व एक भूतपूर्व राज्य मंत्री ने दो दिन की कटाई के लिये एक गट्ठर देने से मना कर दिया । परिणाम-स्वरूप विवाद हुआ और शीघ्रतापूर्वक पुलिस बुलाई गई । एक विधि स्नातक वहां जांच करने गया परन्तु तब तक बहुत से श्रमिकों को पीटा गया तथा वह स्वयं भी पकड़ा गया । राज्यों में इस प्रकार कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जाती है ।

इसलिये जब तक समुचित आधार पर हम न्यूनतम मजूरी को निर्धारित नहीं करेंगे यह प्रश्न उलझा ही रहेगा तथा भविष्य में यह असंगठित श्रमिक झंझट फैला सकते हैं ।

बागान श्रम अधिनियम, १९५१ में पारित हुआ था परन्तु बागानों के मालिकों के यह कहने पर, कि उन की स्थिति ठीक नहीं है, इस को भी लागू नहीं किया गया है । सरकार ने इन के लाभ की जांच किये बिना केवल इस आधार पर ही कि मूल्य कम हो गये हैं इस अधिनियम को लागू नहीं किया है । मालिकों ने मजूरी कम कर दी है प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर दिया गया है कि :

"१९५३ में आसाम तथा पश्चिमी दंगाल के चाय बागान कर्मचारियों की मजूरी में जो कमी की गई थी वह फिर पूरी कर दी गई है, केवल कचार (आसाम) को छोड़ कर क्योंकि वहां ७।। मन प्रति एकड़ से कम चाय उत्पन्न हुई है । वहां थोड़ी सी मजूरी ही बढ़ाई गई है परन्तु सरकार फिर भी, कचार में भी इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है ।"

मेरे विचार से मजूरी में की गई कटौती का पूरा करने का यही समय था अन्यथा मूल्य फिर गिर जायेंगे और मालिक इस कमी को पूरा करने से फिर मना कर देंगे । मैं बता देना चाहता हूं कि मजूरी का मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस का सम्बन्ध तो निवास-स्तर से है तथा किसी भी श्रमिक को न्यूनतम मजूरी से कम मजूरी नहीं मिलनी चाहिये । इसलिये सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

बागान श्रम अधिनियम के परिपालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि जितने उपबन्ध बिना किसी नियम के लागू किये जा सकते थे वह लागू कर दिये गये हैं । परन्तु पिछले तीन चार वर्षों में यह नियम क्यों नहीं बनाये गये । त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने नियम भजे परन्तु वे वापस भेज दिये गये क्योंकि राज्य सरकारें अधिनियम की धारा ४३ (३) के अधीन अपने स्वयं के नियम नहीं बना सकती हैं । इसलिये इस प्रकार के विधानों से श्रमिकों को कोई सहायता भी नहीं मिलती है तथा न ही कोई प्रगतिशील राज्य इन को लागू कर सकता है ।

अभी तक कार्मिक संघ त्रावनकोर-कोचीन में अपना संगठन इसीलिये नहीं कर सका क्योंकि वहां गुण्डे उन को भगा देते थे ।

छः माह पूर्व वहां एक समिति बनाई गई । मालिकों ने संघ नेताओं को बुलाया परन्तु जब वे वहां पहुंचे तो मार्ग में उन पर पत्थर बरसाये गये तथा चार के छुरे भोंक दिये गये और उन में से एक वहीं मर गया । इस प्रकार की स्थिति है वहां ।

कोयला खानों के श्रमिकों की दशा और भी बुरी है । हमें प्रो० अब्दुल बारी की मृत्यु का स्मरण है । श्री शाहनवाज़ खां को बिहार की कोयला खानों से भागना पड़ा था । हिन्दुस्तान खान मज़दूर संघ के सम्बन्ध में हमें ज्ञात है कि पिछले वर्ष श्री साधन गुप्त ने १२० दिवस की भूख हड़ताल की थी परन्तु बिहार सरकार ने भूख हड़ताल तोड़े जाने के पश्चात् ही कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने को कहा । परन्तु कोई भी वचन पूरा नहीं किया गया और श्री साधन गुप्त इस माह की पहली तिथि से दुबारा भूख हड़ताल कर रहे हैं । इसलिये मैं माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह अपने पुराने साथियों की सहायता करें तथा कोयला खान कर्मचारियों को भी सहायता दें ।

र तिम्मय्या (कोलार–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : कोलार की सोने की खानों में लगभग ३६,००० श्रमिक हैं परन्तु इन श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के स्कूल बनारस तथा धनबाद में हैं । बंगलौर में अवश्य एक छोटा सा प्रशिक्षण केन्द्र है परन्तु यह स्थान भी खानों से दूर है । मैं श्रम मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह कोलार में एक खान स्कूल स्थापित करने का प्रयत्न करें ।

दिन प्रति दिन खानों के गहरे होते जाने के कारण वहां दुर्घटनायें बहुत हो रही हैं । परन्तु इन दुर्घटनाओं का प्रतिकर बहुत कम दिया जाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि केवल इस प्रतिकर की दरें ही न बढ़ायें अपितु प्रतिकर के रूप में कर्मचारियों के आश्रितों को भूमि देने का प्रबन्ध करें क्योंकि यह श्रमिक अधिकतर अनुसूचित जातियों के हैं ।

यह क्षेत्र मद्यनिषेध योजना में आता है । यहां के श्रमिकों का स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है तथा राज्य सरकार भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं माननीय श्रम मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह राजयक्ष्मा का एक अस्पताल इस क्षेत्र में खोलें जिस से कि इस रोग के आपात की जांच की जा सके ।

मद्यनिषेध से बड़ी गड़बड़ी फैली है जिस के कारण चोरियां आदि बहुत बढ़ गई हैं । इसलिये इस को धीरे धीरे कम करना चाहिये ।

कोलार के खान क्षेत्र में मारवाड़ी साहूकार हैं जो २०० रुपये प्रतिशत के हिसाब से ऋण देते हैं । लाभांश मिलने के समय, ये साहूकार समवायों में लाभांश को रुकवा देते हैं । मेरा सुझाव है कि किसी विधान से ऐसा नियम बना दिया जाये कि जिस से कि यह समवाय उन के लाभांश को साहूकारों के कहने पर रोक न सकें । श्रमिकों का वहां असह्य शोषण किया जा रहा है ।

खान जांच समिति ने खान पदाधिकारियों तथा उन की कार्यप्रणाली की अपने प्रतिवेदन में निन्दा की है । पदाधिकारियों को बड़े वेतन इसीलिये दिये जाते ह कि वे व्यय अधिक दिखायें जिस से कि मालिक यह कह सके कि वह अधिक मजूरी तथा उपदान देने में समर्थ नहीं है । इसलिये सरकार को इस व्यवस्था की जांच करनी चाहिये और खान जांच समिति के विचारों पर शीघ्र कार्य करना चाहिये जिस से कि मैसूर सरकार तथा श्रमिकों का लाभ हो सके ।

[श्री तिम्मय्या]

जब तक हम देश के कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा नहीं सुधारेंगे, तब तक मेरे विचार से हम यह कभी भी नहीं कह सकते कि हमारा देश प्रगति कर रहा है । यदि कृषि श्रमिक तथा औद्योगिक श्रमिक की तुलना की जाय तो औद्योगिक श्रमिक की दशा को आप बहुत अच्छा पायेंगे । यद्यपि न्यूनतम मजूरी अधिनियम पारित हो चुका है परन्तु फिर भी यह अधिकतर राज्यों में लागू नहीं किया गया है । कृषि श्रमिक अशिक्षित होते हैं तथा किसी भी राजनैतिक दल द्वारा भड़काये जा सकते हैं । इसलिये इन श्रमिकों की दशा सुधारी जानी चाहिये तथा जनगणना की जानी चाहिये ।

कामदिलाऊ दफ्तरों में बेकार व्यक्ति पंजीबद्ध किये जाते हैं तथा रिक्त स्थानों पर उन को भेज दिया जाता है । परन्तु यदि हम मासिक तथा वार्षिक प्रेस वक्तव्यों को देखें तो हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है । मेरे विचार से माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह सूचना भी इन प्रेस वक्तव्यों में दी जाये ।

बंगलौर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र है । कुछ समय के लिये इसे बन्द कर दिया गया था तथा अब फिर खोला गया है परन्तु इस के लिये उपयुक्त भवन नहीं है । यह एक किराये के भवन में चल रहा है ।

मेरा यह निवेदन है कि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र किसी औद्योगिक फ़ैक्टरी के पास ही होने चाहियें क्योंकि वास्तविक कार्य अवस्थाओं क निरीक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को अधिक लाभ पहुंचेगा । यद्यपि प्रधान अध्यापक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन कर रहा है परन्तु एक दिन उस ने मुझ से शिकायत की थी कि कक्षाओं को चलाने और प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिये कोई समुचित स्थान नहीं था । अतः मेरी प्रार्थना है कि बंगलौर के औद्योगिक भाग में एक भवन निर्माण कराया जाये जिस में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित किया जा सके ।

मेरे विचार से औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बहुत लाभदायक कार्य कर रहे हैं क्योंकि निर्धन अशिक्षित तथा कम-शिक्षित व्यक्ति उनमें विभिन्न उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि यह प्रशिक्षण केन्द्र समस्त देश में खोले जायें जिस से कि लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और विभिन्न उद्योगों में सेवायुक्त हो सकें ।

श्री शिव दयाल उपाध्याय (जिला बांदा व जिला फतहपुर) : सभापति महोदय, आज वह समय आ गया है जब हम श्रम के महत्व को समझने लगे हैं । एक समय था कि श्रमिकों की संज्ञा शूद्रों में की जाती थी । किन्तु कार्ल मार्क्स और अन्य पश्चिमी विद्वानों को इस का श्रेय है कि उन्हों ने ऐसी आवाज़ बुलन्द की कि जिस के कारण आज श्रमिकों के राज्य कायम हैं । "वर्कर्स आफ़ आल दी कंट्रीज़ यूनाइट" यह एक ऐसा जयघोष था जिस के कारण संसार में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये और आगे भी परिवर्तन होने की सम्भावना है । इस में आश्चर्य नहीं कि इस के कारण अब संसार में श्रम का महत्व स्वीकार कर लिया गया है ।

जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है अभी तक हमारी सरकार का ध्यान केवल फैक्टरियों और मिलों के श्रमिकों की ओर विशेष रूप से गया है । अभी देहातों में बहुत बड़ी संख्या

में ऐसी जनता पड़ी है जो शायद मिल के मजदूरों से अधिक श्रम करती है परन्तु अपनी जीविका अच्छी तरह से पैदा नहीं कर पाती। मुझे ऐसे उदाहरण मालूम हैं कि तीन मन अनाज दे कर के उस समय के ज़मींदारों ने एक श्रमिक से बीस साल काम करवाया और फिर भी उस को उऋण नहीं किया। उस श्रमिक को बराबर उस ज़मींदार का काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता था। यद्यपि इस समय यह अवस्था अपने पुराने रूप में मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी देहातों में कुछ अंशों में अभी भी मौजूद है।

मेरा सम्बन्ध विशेषतः देहात से है और मैं अधिकार के साथ कह सकता हूं कि वहां एक श्रमिक की मासिक आय दस-पन्द्रह रुपये से अधिक नहीं है। मुझे ऐसे भी उदाहरण मालूम हैं कि जहां एक श्रमिक दो-तीन रुपया महीना पाता है और इस के पहले जो कुछ उस ने खाने के लिये अनाज लिया है उस में वह अपनी तनख्वाह को कटवाया करता है। इस प्रकार के उदाहरण देहातों में भरे पड़े हैं। यह श्रम की समस्या जो हमारी सरकार हल करना चाहती है, वह तब तक हल नहीं समझी जा सकती जब तक कि उस का ध्यान देहात की ओर विशेषतः खेती में काम करने वाले श्रमिकों की ओर नहीं होगा।

मैं सुझाव के तौर पर यह सरकार के सामने रखूंगा कि चीन की सरकार की तरह वह अपनी योजनाओं में देहात के श्रमिकों को काम के लिये रखे और उन को साधारण तनख्वाह दे जैसे कि चीन की सरकार देती है। इस से एक ओर देहात की बेकारी की समस्या हल होगी और दूसरी ओर सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं उन के बढ़ाने में भी सरकार को मदद मिलेगी।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : क्या कहा आप ने। मैं ने सुना नहीं।

श्री शिव दयाल उपाध्याय : देहात में जो श्रमिक हैं उन को सरकार अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं पर लगावे, उन की एक सेना बनावे, जैसाकि चीन की सरकार ने किया है और उन के निर्वाह के लिये उचित वेतन दे।

श्री आबिद अली : जैसाकि हम कोसी में कर रहे हैं ?

श्री शिव दयाल उपाध्याय : अगर आप कोसी में ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। इस तरह से सरकार देहात की बेकारी की समस्या को हल करने के लिये बहुत कुछ कर सकती है।

दूसरी बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि देहात के जो श्रमिक हैं उन को जो वेतन मिलता है उस की कोई निम्नतम सीमा निर्धारित कर दी जाय। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस तरह के अत्याचार जैसेकि मैं ने आप के सामने रखे हैं (यद्यपि जमींदार नहीं रहे हैं), दूसरे लोगों के द्वारा बराबर होते रहेंगे।

यह कह कर मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस के लिये कोई ऐसा कानून बनावे जिस से कि देहात के श्रमिकों की आय निर्धारित हो जाय।

तीसरी सुझाव की बात जो मेरे दिल में है वह भी मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक तरीका था कि जिस से एक श्रमिक खेतों को बटाई पर ले कर के उन की पैदावार का कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकता था। किन्तु अब नये कानून के मुताबिक जिन लोगों के पास खेत हैं वे श्रमिकों को बटाई पर

[श्री शिव दयाल उपाध्याय]

देना पसन्द नहीं करते । क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन को सन्देह है कि उन के वे खेत उन के पास नहीं रह सकेंगे । उन का अधिकार उन खेतों से चला जावेगा । इसलिये प्रायः देखा जाता है कि बटाई की शक्ल में श्रमिकों को जिन के पास ज़मीन है वे नहीं देना चाहते । ऐसी दशा में मेरी सरकार से प्रार्थना यह है कि वह चीन की तरह कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि जिस से एक श्रमिक खेतों में काम करने के लिये किसी तरह सुविधा या हिस्सेदारी पा जाय । मेरे ख्याल में इस तरह से ग़ल्ले की उपज भी ज्यादा हो सकती है और श्रमिकों की जो इस समय कठिनाई है वह भी दूर हो सकती है ।

श्री पी० एन० राजभोज : सभापति जी, प्रस्तुत डिमांड चूंकि श्रम मंत्रालय से सम्बन्ध रखती है और चूंकि हमारे लोग काफ़ी तादाद में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, इसलिये मैं उन के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे अछूत भाइयों और कामगर लोगों की जो बम्बई और शोलापुर आदि स्थानों पर मज़दूरी कर रहे हैं, उन की आर्थिक अवस्था बहुत दयनीय है, मज़दूरों के लिये जो बस्तियां बनाई गई हैं, वहां की हालत बहुत ही खराब है, गन्दी बस्तियां हैं, मकान बहुत छोटे और इन्सान के रहने लायक़ नहीं हैं, वहां का सैनिटेशन ठीक नहीं है और उन मकानों में हवा, पानी और रोशनी का इंतज़ाम ठीक नहीं है, दिये बत्ती का इंतज़ाम ठीक नहीं है । कुत्तों और जानवरों के समान वहां पर अपने दिन काट रहे हैं ।

वहां पर जाति पांत का मामला बहुत आता है, हालांकि सब लोग कहते है, मज़दूर नेता और सोशलिस्ट सब यही कहते है कि मज़दूर और हम भाई भाई हैं, एक हैं लेकिन जब उन को नौकरी देने का सवाल आता है, गेनफ़ुल एम्पलायमेंट का सवाल आता है तो जाति पांत का भेद बर्ता जाता है और उन को इगनोर किया जाता है और ऊंची जाति वालों को काम पर लगाया जाता है । इस दिशा में कुछ काम हो रहा है और भेदभाव मिटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक हम अपने इस मक़सद में कामयाब नहीं हो पाये हैं ।

देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और देश इस बारे में प्रगति पथ पर चलता जा रहा है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अभी तक मज़दूरों के लिये जिन की कि संख्या रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, उन की हालत बेहतर बनाने और उन की तनख्वाह बढ़ाने आदि के विषय में गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है । देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिये तो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, यांत्रिक विकास देश का हो रहा है, मुझे तो डर है कि ऐसी हालत में उन ग़रीब मज़दूरों की क्या हालत होगी । काफ़ी संख्या में हमारे कामगर भाई लोग मज़दूरी कर के अपनी जीविका निर्वाह कर रहे हैं । देश में बड़े बड़े कारख़ाने क़रीब ३४ हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इन कारख़ानों में जैसे चित्तरंजन, सिंदरी आदि में मैं जानना चाहूंगा कि हम हरिजनों और अछूतों का नौकरियों में परिमाण क्या है, आया जो रिज़रवेशन हमें दिया हुआ है वह एफ़ैक्ट में भी लाया गया है या नहीं ।

अभी थोड़े दिन पहले मैं इंग्लैंड और अमरीका आदि देशों से घूम कर आया हूं और वहां के मज़दूरों की हालत कई तरह से सुधर गई है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि भारत को आज़ादी मिले अभी केवल सात ही वर्ष हुए हैं और यह सब काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है लेकिन इतना मैं

ज़रूर कहूंगा कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिये और उन की आर्थिक अवस्था बेहतर करने और रहन सहन, उन के मकान आदि का उचित प्रबन्ध करने के लिये अधिक तेज़ी से क़दम उठाना चाहिये। वहां एक मज़दूर की औसत आमदनी ३० या ४० रुपये रोज़ है, जबकि यहां हमारे दश मे देहातों में तीन आने भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल लेबरर्स मे ऐग्री-कलचरल लेबरर्स की हालत ज्यादा खराब है और देहातों में उन को दो दो और तीन तीन आने पर काम करने के लिये रक्खा जाता है और जमींदार लोग ग़ुलाम की तरह से उन को रखते हैं। इंडस्ट्रियल लेबरर्स की ओर तो सरकार का ध्यान गया भी है और वह उन की दशा सुधार रही है, लेकिन हमारी जो ऐग्रीकलचर लेबर है, उस की तरफ़ ध्यान नहीं गया है और उन के लिये कुछ ठीक से नहीं हो रहा है और मैं अपने श्रम मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे देहातों में जो मज़दूर लोग काम करते हैं, उन की आर्थिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिये क़ानून बन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एग्रीकलचरल लेबरर्स के लिये भी क़ानून बनाये जाने चाहियें। देहात में मैं पैदा हुआ हूं इसलिये जानता हूं कि हमारे उन भाइयों की जो देहातों में मज़दूरी करते हैं, उन की हालत कितनी खराब है और क़ाबिले रहम है, उन की कोई युनिफ़ार्म मज़दूरी की रेट नहीं है, कहीं चार आने मिल जाते हैं तो कहीं पर आठ आने मिल जाते हैं। इस के अतिरिक्त मज़दूरों में भी जाति पांत रहती है और हम ने देखा है कि हमारे चमार, धसिया, महार, भंगी, आदि जाति के लोगों का, जब कभी कोई गांव में हिन्दू-अस्पृश्य का झगड़ा हो जाता है, उन का बहिष्कार किया जाता है और उन को मज़दूरी नहीं मिलती है और गांवों में उन का जीवन दूभर हो जाता है क्योंकि उन को कोई काम नहीं मिलता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय ताकि उन को ऐसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे देश में प्रोडेक्शन बढ़ रहा है लेकिन इस के साथ ही मज़दूरों की तनख़्वाह भी बढ़नी चाहिये, क्योंकि जब तक उन की तनख़्वाह नहीं बढ़ेगी और उन की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक सही मानों में जो ध्येय आप का है वह पूरा नहीं होगा और देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इन लोगों के लिये आप जो काम कर रहे हैं वह "गो स्लो पालिसी" है, मन्द गति से चल रही है और उस में तेज़ी लाने की ज़रूरत है।

श्रमिकों की अवस्था में सुधार करने के लिये हम देखते हैं कि कई क़ानून बने हैं। लेबर रिलेशन्स ऐक्ट बना है और ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट बना है, इन के अलावा कुछ स्टेट्स ने भी लेजिस्लेशन किया है, बम्बई स्टेट ने श्रमिकों के लिये एक क़ानून बनाया है, मैं चाहता हूं कि श्रमिकों के वास्ते एक ही क़ानून युनिफ़ार्म होना चाहिये चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट बनाये या यूनियन गवर्नमेंट बनाये, इस सम्बन्ध में एक युनि-फ़ार्म लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि क़रीब क़रीब मज़दूरों की सब जगह एक सी समस्यायें हैं, छै छै महीने लग जाते हैं, केसेज़ कोर्ट्स में जाते हैं और वहां काफ़ी समय लग जाता है और ग़रीब आदमियों का फ़ैसला नहीं हो पाता है और उन को बेहद परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसीलिये मैं चाहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ऐसा युनिफ़ार्म लेबर लेजिस्लेशन रक्ख जिस के द्वारा श्रमिकों को राहत पहुंचाई

[श्री पी० एन० राजभोज]

जाय । आज मज़दूर लोग कोर्ट्स में जा कर जैसाकि लम्बा वहां का प्रौसेस है, काफ़ी कठिनाई अनुभव करते हैं और उन का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और न्याय मिलने में अत्यधिक देरी होती है । एक युनिफ़ार्म पालिसी मज़दूरों के बारे में रहनी चाहिये, यह मेरी आप से प्रार्थना है । हमारे देहातों में जो प्लांटर्स और टैनर्स और अछूत भाई हैं उन लोगों के वास्ते देहातों में जो मकान बने हैं, उन में सुधार करने के लिये एक जनरल स्कीम बनानी चाहिये । स्कीम के लिये उधर से कहा जाता है कि आप बताइये, लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर आप वहां पर बैठे किस लिये हैं, अगर आप से स्कीम नहीं बन सकती और आप सुधार नहीं कर सकते तो वहां से निकलिये । कल फ़ाइनेंस मिनिस्टर को मैं ने कहा कि कितनी मर्त्तबा मैं ने उन को स्कीम समझाई, लेकिन अमल में तो उन को लाना है, उन के पास इतना सारा स्टाफ़ पड़ा है, वह अमल में तो लावें, हमें विश्वास दें लें, मैं स्कीम बताने को तैयार हूं ।

कुछ बतलाते हैं तो भूल जाते हैं । इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरों की दया पर हमारा वर्ग निर्भर रहे । देश में कई प्रकार के रीति रिवाज हैं, आचार विचार हैं और संस्कृति है । इसलिये हमारे मजदूरों का भी भला होना चाहिये, जब सब गरीबों का भला किया जाय तो साथ साथ हमारा भी भला होना चाहिये । अभी एक भाई ने कुछ फिगर्स दिये लेकिन हमें तलाश करने पर भी फिगर्स मिलते नहीं हैं ।

यहां पर अनएम्प्लायमेन्ट के बारे में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं । वह कहते हैं कि सब से ज्यादा अनएम्प्लायमेन्ट हम लोगों में है, जब मिड्ल क्लास वाला बोलता है तो कहता है कि सब से ज्यादा अनएम्प्लायमेन्ट मिड्ल क्लास में है, जब पैसे वाला बोलता है तो कहता है कि सब से ज्यादा अनएम्प्लायमेन्ट पैसे वालों में है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सब से ज्यादा अनएम्प्लायमेन्ट हम दलित वर्ग के लोगों में है और उन के लिये कोई स्कीम अवश्य निकलनी चाहिये इंडस्ट्रीज़ वगैरह चला कर जिस से दलित वर्गों का भला हो सके । नौकरियों में जितना परसेन्टेज उन का होना चाहिये वह आज नहीं है । यहां बहुत से कैपिटल बनाने वाले हैं, वह कहते हैं कि अगर हमारा विचार नहीं करोगे तो हम इधर से उधर चले जायेंगे, उधर वाले कहते हैं कि अगर हमारा विचार नहीं करोगे तो हम उधर चले जायेंगे । लेकिन हम कोई कैपिटल नहीं बनाना चाहते । हम देखते हैं कि हम से ही लोग कैपिटल बनाते हैं । हम लोगों से जा कर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिये काम करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद पांच वर्ष तक वह बिल्कुल मजदूरों और अछूतों को भूल जाते हैं और अपना ही काम चलाते रहते हैं । इसलिये आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अछूतों की आर्थिक दशा में सुधार किया जाय, हमारे लिये मकान बनें और तन्ख्वाह भी ठीक हो । हमारे सैनिटेशन का भी ध्यान रक्खा जाय । आज जहां जहां पर उन की बस्तियां हैं, जहां जहां ऐग्रिकल्चरल लेबर रहती है उन की ओर ध्यान देने की जरूरत है । मैं समझता हूं कि जो सब प्रकार की बातें यहां कही गई हैं, दूसरे सदस्यों ने भी कहा है और मैं ने भी कहा है, उन पर विचार किया जायेगा और अमल किया जायेगा ।

मैं कुछ एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के बारे में भी कहना चाहता हूं । जब भी हम पूछने

जाते हैं कि हमारे लोगों का कितना परसेन्टेज लिया और कितना बाकी है तो वह लोग नहीं बताते हैं । जब भी उन से कुछ कहो तो कहते हैं कि इतना एक्सपीरिएन्स होना चाहिये तब किसी आदमी को नौकरी मिल सकती है । यह तो वही बात हो गई कि मां खाने को नहीं देती है और बाप भीख नहीं मांगने देता है । हम लोगों की यह हालत हो गई है । इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम को जो परसेन्टेज कानून से मिला है उस पर पूरी तरह अमल होना चाहिये और मिनिमम क्वालिफिकेशन रखो और एम्प्लायमेन्ट को सख्त आर्डर देना चाहिये कि वह अपने यहां जाति पांत की बात न चलायें । जब भी वहां हम जाते हैं तो कभी कहते हैं कि तुम्हारा नम्बर नहीं आया, कभी कहते हैं कि तुम्हारा कागज नहीं आया, तुम जल्दी क्यों नहीं आये, अभी लेटर नहीं मिला, तुम आते हो और चले जाते हो, एम्प्लायमेन्ट एक्स्चेन्ज का क्लर्क इस तरह से बात किया करता है । मुझे जलगांव का बड़ा खराब एक्स्पीरिएन्स है कि वहां किस तरह से जाति पांत के मामले चलते रहते हैं । हमारे यहां मैट्रिक पास लड़के मौजूद हैं, एम० ए०, बी० एस-सी० और एल एल० बी० लड़के मौजूद हैं लेकिन उन को नौकरी नहीं मिलती । कह दिया जाता है कि तुम्हारा एक्स्पीरिएन्स कुछ नहीं है । हमारे यहां इतने पढ़े लिखे आदमी भी बेकार पड़े रहते हैं । आप कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो रहा है, हरिजनों के लिये सब कुछ किया जा रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं उन के लिये कुछ ठीक दृष्टि से काम नहीं हो रहा है । मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं इन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर) : मैं श्रम मंत्रालय की मांगों के समर्थन में कुछ कहूंगा । औद्योगीकरण में वृद्धि होने के साथ श्रम मंत्रालय का महत्व भी बढ़ गया है । वास्तव में श्रम सम्बन्धी विनियमन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक किये गये और केन्द्रीय सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाये हैं । कुछ अधिनियम राज्यों ने भी बनाये हैं किन्तु हमारा सम्बन्ध यहां केन्द्रीय अधिनियमों से है ।

इन अधिनियमों के अन्तर्गत जो संस्थायें काम कर रही हैं उन का प्रबन्ध बहुत कुछ सन्तोषजनक है । कोयला खान श्रम कल्याण निधि एक प्रमुख निधि है जिस में प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की आमदनी होती है, यह धन कोयले और कोक पर लगाये गये कर से वसूल होता है । यह धन विभिन्न कल्याण-कारी योजनाओं में काम आता है विशेषतः आवास बोर्ड के अन्तर्गत अनेक मकान बना कर मजदूरों को पर्याप्त सुविधायें दी जाती हैं ।

मजदूरों की स्त्रियों तथा बच्चों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा देने की ओर ध्यान दिया जा रहा है । अनेक पाठशालायें, चिकित्सालय तथा प्रसूति गृह बनाये जा चुके हैं और अनेक बनाये जा रहे हैं । खानों का स्वास्थ्य बोर्ड अपना प्रबन्ध ठीक चला रहा है ।

यह सब कुछ होते हुए भी कोयला खान श्रम कल्याण निधि का प्रबन्ध अभी उतना अच्छा नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिये । उस के दोषों के विषय में माननीय सदस्यों द्वारा काफ़ी कहा जा चुका है ।

श्रमिकों के लिये जो बहुप्रयोजनीय संस्थायें बनाई गई हैं उन में अभी श्रमिकों ने उचित रीति से भाग लेना प्रारम्भ नहीं किया है । उन्हें अधिक प्रोत्साहित करने

[श्री पी० सी० बोस]

तथा उन की शिक्षा और स्वास्थ्य का समुचित प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : मिस्टर चेयरमैन, जब हम लेबर के बारे में सोचने लगते हैं तो सब से पहले हिन्दुस्तान में जो गरीब से गरीब लेबरर्स हैं यहां रहते हैं उन की तरफ हमारा ध्यान जाता है । कई भाइयों ने कहा कि हमारे यहां असली लेबर प्राबलेम जो है वह देहातों में है और जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उन में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद ज्यादा से ज्यादा ५० लाख हो सकती है । मुझे तो शक है कि इतनी ज्यादा तादाद है लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा अन्दाज़ा लगायें तो उस से ज्यादा नहीं है । इस तरह से हिन्दुस्तान की कुल आबादी जोकि ३६ करोड़ है इन ५० लाख लोगों के निकालने के बाद जो साड़े ३५ करोड़ रह जाती है वह सचमुच देहातों में और छोटे छोटे कसबों में रहती है । इसलिय असली लेबर प्राबलेम जो है वह देहातों में है । अब जबकि आवडी के कांग्रेस सैशन में समाजवादी समाज के निर्माण का एलान किया गया है हमारा ध्यान ज्यादा तर देहातों की तरफ जाना चाहिये । हाउसिंग प्राबलेम अगर हमें साल्व करना था तो इस को इंडस्ट्रियल लेबर से साल्व करने के बजाय नीचे से साल्व करना चाहिये था । ऊंचे ऊंचे टीलों को गिरा कर हमें छोट छोटे गढ़े भरने की कोशिश करनी चाहिये । इसी प्रकार डिवैलेपमेंट के लिये अब जो इंडस्ट्रियल फाइनैंस कारपोरेशन वगैरह हम बना रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं मेरे विचार में वह रुपया प्राइवेट सैक्टर के लोगों के हाथों में चला जायगा या कम्पनियों के हाथों में चला जायगा जिन सब की तादाद अगर ज्यादा से ज्यादा भी गिनी जाय तो ५०,००० से ज्यादा नहीं होगी । मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारे साढ़े छः लाख गांवों में जो गरीब बस रहे हैं उन गरीबों की क्या हालत है इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है । अगर एक इंडस्ट्रियल कन्सर्न को हम पांच लाख या दस लाख रुपया या पन्दरह लाख रुपया कर्ज के रूप में दे देते हैं और उस के मुकाबले में पांच पांच सौ रुपया देहातियों में बांटें तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इन गरीबों में किस हद तक बेकारी दूर हो सकती है । इसी तरह साढ़े सात करोड़ रुपया जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स में कर्ज़े के रूप में बांटा जायगा अगर उस को देहातों में बांटा जाय तो हज़ारों और लाखों गांवों में बेकारी दूर हो सकती है । हां यह सवाल जरूर गौर करने के काबिल है कि इस प्रकार इंडिविजुअल लेबरर्ज़ के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं । देहातों में इस वक्त जो गरीबी पाई जाती है उस को दूर करने के लिये हमें योजनायें बनानी चाहियें । हमारे यहां हरिजन भी हैं जोकि हिन्दुस्तान की आबादी का पंचांश हैं और यदि उनमें बैकवर्ड क्लासिस और ट्राइबल पीपल को भी मिला दिया जाय तो उन की आबादी चौथाई हो जाती है । हमें उन के भलाई के कामों की तरफ सब से पहले ध्यान देना चाहिये ।

हाउसिंग के बारे में भी यही हिसाब है । शहरों में बसने वालों के लिये हम तीन तीन, चार चार और पांच पांच हज़ार की स्कीमें बना रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वही पांच हज़ार रुपया अगर हम देहातों में बांटें, इन गरीब हरिजनों में बांटें जिन को रहने के लिये झोंपड़ी तक मुश्किल से नसीब होती है तो कितना ज्यादा भला हम उन लोगों का कर सकते हैं । मैं नहीं चाहता कि हज़ारों की तादाद में रुपया इन देहातियों

में बांटा जाय, आप सिर्फ ५०० या ३०० या २०० के हिसाब से जितना रुपया आप ने रखा है अगर इन गरीब लोगों में बांटें तो हमारे कई हज़ारों और लाखों गरीब हरिजनों को रहने के लिये मकान मुहैय्या हो सकते हैं। ऐसा करने से सारे देश में एक नई जागृति दौड़ जायगी और गवर्नमेंट के प्रति उन की श्रद्धा भी बढ़ेगी और वे सचमुच स्वराज्य की गरमायिश को महसूस करने लग जायेंगे। आज तक गरमायिश उन तक नहीं पहुंची। हम जितनी भी भलाई की स्कीमें चला रहे हैं ऊपर वाले लोगों के लिये ही चला रहे हैं। कई दफा मैं बैठ कर सोचता हूं तो सच-मुच मैं हैरान होता हूं कि हम पढ़े लिखे लोगों में इतनी खुदगर्ज़ी आ गई है कि हम गांव वालों को भूलते ही जाते हैं। मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि उन के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। मैं समझता हूं कि श्रमजीवियों की तरफ सब से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये और मेरा विचार है कि इस के लिये सब से ज्यादा जिम्मेवारी श्रम मंत्री की होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि हाउसिंग मिनिस्टरी की जो मकान बनाने की योजना है इस का सारा काम श्रम मंत्री या श्रम विभाग की मारफत ही होना चाहिये। सब से पहली चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता था वह देहाती भाइयों के बारे में ही अर्ज़ करना चाहता था और इस को मैं सब से ज्यादा महत्व देता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह स्वराज्य प्राप्ति के बाद जो श्रमजीवियों के लिये, मज़दूरों के वास्ते जो उपयोगी कानून बनाये गये हैं उन के बारे में कहना चाहता हूं। सब से पहले तो यह उपयोगी कानून बनाने का जो प्रयास किया गया है उस के लिये मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन कानूनों को ठीक तौर से इम्प्लीमट नहीं किया जा रहा है और इस की तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सम्बन्धी जो अवार्ड ट्रिब्यूनल्स द्वारा या एपेलेट ट्रिब्यूनल्स द्वारा दिये गये हैं उन को इम्प्लेमेंट नहीं किया जा रहा है। इसलिये मैं लेबर मिनिस्टर का ध्यान इस चीज़ की ओर भी खींचना चाहता हूं।

इंडस्ट्रियल सेक्टर में सब से ज्यादा मुख्य चीज़ हम टैक्सटाइल को मानते हैं। वैसे स्टील, कैमिकल्ज़, कोल इत्यादि चीज़ें भी हैं जोकि कम महत्व नहीं रखतीं, लेकिन सब से ज्यादा महत्व हम टैक्सटाइल्स को ही देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक टेक्सटाइल वर्कर्स को कितना बोनस मिलना चाहिये, इस का फैसला नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़े अफसोस की बात है और उस के बारे में पूरे तौर पर, डेफिनिट तौर पर, और निश्चित रूप से एक कानून बन जाना चाहिये, या कोई ऐसा फारमुला पेश किया जाना चाहिये कि जिस से चाहे फैक्टरी लेबर हो या कोई दूसरी किसी प्रकार की लेबर हो उस के बोनस के बारे में किसी प्रकार की डिस्प्यूट की गुंजाइश कम से कम रहे। यह ठीक है कि अगर इस तरह की गुंजाइश हो तो हम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को यह मालूम होना चाहिये कि एक गरीब मजदूर को अदालत में जाने से कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।

एक मुख्य चीज़ और है कि हमारे यहां ट्रेड यूनियन्स की तादाद बहुत बढ़नी चाहिये जिस से हर केस में मजदूर अपनी मुश्किलों को यनियन्स के द्वारा हल कर सके। इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

[श्री सी० के० नायर]

दिल्ली शहर में रहते हुए मैं एक चीज़ और कहे बग़ैर नहीं रह सकता । वह है हमारे थर्ड डिवीजन क्लर्क्स के बारे में । जब हमारे यहां पे कमीशन नियुक्त किया गया तो उन्हों ने बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाह जो बढ़ाने की बहुत फिक्र की, लेकिन जो असली मेहनतकश हैं, जो थर्ड डिवीजन क्लर्क्स हैं, जिन के ऊपर यह तमाम सेक्रेटेरियट चल रही है, उन के बारे में पे कमीशन ने बिल्कुल बेपरवाही से फैसला किया । ६० और ६८ तक की तनख्वाह वालों को उन्हों ने ५५ रुपये का कर दिया । यह सही है कि उन्होंने ३५ वालों को भी ५५ का कर दिया और सारे हिन्दुस्तान में इन जूनियर क्लर्कों की एक ही ग्रेड रखने की कोशिश की गई । लेकिन मैं समझता हूं कि इन बड़ी बड़ी तनख्वाहों के मुकाबले यह ५५ रुपये बहुत ही थोड़े हैं । हां अगर पहले के मेयार से नापा जाय तब तो यह भी बहुत ज्यादा है । पहले मुझे मालूम है कि हमारे चपरासी को और टीचर को दस, पन्द्रह या २० रुपये मासिक मिलते थे । लेकिन वह ज़माना गुज़र गया । उस वक्त आई० सी० एस० अफसरों को क्या मिलता था ? उन को भी डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन हजार मिलता था । उन की तनख्वाह तो वहां की वहां है लेकिन और और जो बीच के अफसर हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं । लेकिन इन थर्ड डिवीजन क्लर्कों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई जोकि सुबह से साइकिल पर आते हैं शाम तक काम करते हैं और ओवर टाइम भी करते हैं । और थकान की वजह से उन को घर लौटना मुश्किल होता है । इन के बारे में हम को पूरी तवज्जह देनी चाहिये और मैं कहूंगा कि खास कर के दिल्ली के लिये । देहातों की और बात है । दिल्ली का मेरा अपना अनुभव है । जब मैं दिल्ली की देहातों में रहता था तो मेरा माहवार खर्च दस, पन्द्रह या बीस रुपया पड़ता था । दिल्ली में मैं अकेला रहता हूं लेकिन फिर भी मेरा खर्च कम से कम डेढ़ दो सौ रुपया माहवार हो जाता है । मैं थर्ड डिवीजन क्लर्क से ज्यादा अच्छी जिन्दगी नहीं बसर करता यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं । मैं अकेला हूं और बे शादी शुदा हूं, तब यह हाल है । अब आप ज़रा अनुमान कीजिये कि ये गरीब थर्ड डिवीजन क्लर्क किस प्रकार अपनी गुजर करते होंगे । इन के चार चार पांच पांच बच्चे हैं और आजकल की फैशनदार बीवियां हैं । यह उन के खर्च को किस तरह से पूरा करते होंगे यह सोच कर तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं । लेकिन मैं उन की कार्य-दक्षता पर उन को बधाई देता हूं । इतना अन्याय उन के ऊपर होते हुए भी वह अपने काम को तमाम अफसरों के मुकाबले में ज्यादा दक्षता से, श्रद्धा से,देश भक्ति के साथ और कर्तव्य परायण हो कर करते हैं । उन को हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं । यह बहुत बड़ा अन्याय है और मैं समझता हूं कि इस के बारे में श्रम मंत्रालय को बहुत सीरियसली काम करना चाहिये । मैं खास कर के यह दिल्ली के लिये कहता हूं । बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं कहता । ५५ रुपया सारे हिन्दुस्तान के क्लर्कों को मिल सकता है । पर दिल्ली में इतने से काम कैसे चलेगा । यहां पर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना टैक्सी के जाना मुश्किल है । अगर कोई बाजार में निकल जाय तो रुपया दो रुपया खर्च करना बहुत मामूली बात है । इसलिये आप को इस ५५ रुपये वाले क्लर्क के लिये तो बहुत सीरियसली सोचना चाहिये । खास कर के आवड़ी रिजोल्यूशन के बाद तो आप को इन का स्तर ऊंचा उठाना चाहिये और इन क्लर्कों के ऊपर वालों की तनख्वाह को कुछ कम करना चाहिये । तभी

हम सोशलिस्टिक समाज की आदर्श तक पहुंच सकेंगे ।

अब एक चीज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी कहना चाहता हूं । हम बार बार गवर्नमेंट की मार्फत इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सहूलियतें देने का फैसला करते हैं । हम मजदूरों के प्रति इतना ध्यान नहीं देते जितनी कि हमें प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की पैदावार बढ़ाने की फिक्र है । इन गरीब मजदूरों की ओर भी हम को ध्यान देना चाहिये । आप ने सारे हिन्दुस्तान भर के लिये टैक्सटाइल मजदूरों के लिये मिनिमम वेज ३० रुपया रखा है और उन को तीन तीन चार चार महीने का बोनस मिलता है । यह बोनस आता कहां से है ? यह मुनाफे में से आता है । यदि मालिक लोग अपने मुनाफे का ५० प्रतिशत भी मजदूरों को दें तो वे उन को ६ महीने का बोनस दे सकते हैं । लेबर को ६ महीने की तनख्वाह बोनस की शक्ल में दी जा सकती है । इतना मुनाफा है । लेकिन आप ने मजदूरों की मिनिमम वेज ३० रुपया रखी है और उस के बाद उन की कोई स्केल नहीं और कोई तरक्की नहीं । इस के बारे में भी मैं अपने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं । इस मिनिमम वेज को हम को और बढ़ाना चाहिये । और थर्ड डिवीजन के क्लर्कों को कम से कम दिल्ली में अपने जीवन का मेयार कायम रखने के लिये सौ रुपया तो मिलना ही चाहिये । यह रुपया आप ऊपर के अफसरों की तनख्वाह कम कर के निकाल सकते हैं और अगर वह काफी न हो तो दूसरे सोर्सेज़ से भी आप वह रुपया मुहय्या कर सकते हैं ।

इतना ही मुझे कहना है ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : जब हमारे यहां एक श्रम मंत्रालय है तो श्रमजीवी यह अनुभव करते हैं कि वह उन का कल्याण करेगा ।

पश्चिमी बंगाल के चाय बागान के मज़दूरों को मैं खूब जानती हूं । मुझे प्रसन्नता है कि चाय बोर्ड ने श्रमिकों के हित के लिये पश्चिमी बंगाल को एक लाख रुपये दिये हैं और दार्जिलिंग में चिकित्सालय बनाने के लिये ५७५०० रुपये दिये गये हैं । और भी योजनायें हैं परन्तु यदि श्रमिकों को भर पेट भोजन मिले तो चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ।

जहां तक बागान आवास योजना का सम्बन्ध है तराई क्षेत्र में आवास योजना चल रही है किन्तु वहां पर इस प्रकार के मकान बनाये जाने चाहियें जो वहां की जलवायु के अनुकूल हों । मकानों में सोने के लिये स्थायी शय्यायें बनी हुई होनी चाहियें जिस से कि नमी का प्रभाव न हो सके ।

श्रम कल्याण की काफ़ी आलोचना की गई है । जहां तक मद्य निषेध का प्रश्न है, मैं उस का स्वागत करती हूं किन्तु सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि मद्य निर्धनों का एकमात्र सहारा है । आंधी, मेंह, धूप में यही उन का सहारा है । जब तक उन के मनोरंजन के लिये अन्य साधन नहीं जुटाये जाते हैं तब तक मद्य निषेध एक भयंकर भूल सिद्ध होगी और हो सकता है कि मजदूरों में अनेक प्रकार के अन्य दुर्व्यसन पैदा हो जायें ।

जहां तक कल्याणकारी योजनाओं का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि उन्हें बनाने से पूर्व नियोजकों से अवश्य परामर्श लिया जाना चाहिये क्योंकि इस विषय का उन्हें पर्याप्त अनुभव है और अधिकतर श्रमिक गैर-सरकारी उद्योगपतियों पर ही आश्रित हैं । मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर अवश्य ध्यान देगी ।

श्री आर० एन० एस० देव (काला-हांडी-बोलनगिर) : श्रीमान्, मैं ने कई कटौती

[श्री आर० एन० एस० देव]

प्रस्तावों की सूचना दी है । उन में से प्रथम का सम्बन्ध रूरकेला की स्थिति से है । वहां हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना के लिये अनेक मज़दूर काम पर लगे हुए हैं और वहां के ईंटों के ठेकेदार सस्ते से सस्ते दामों पर मज़दूरों को काम पर लगा कर उन का खून चूस रहे हैं ।

यही दशा लांजीबेर्ना की पत्थर की खानों में है जो उड़ीसा के सुदेरगढ़ क्षेत्र में स्थित हैं । वहां १३ ठेकेदारों ने मजदूरों का बुरा हाल कर रखा है । सरकार यदि इस ठेकेदारी को बन्द कर दे तो उन की दशा सुधर जायगी और उन को मजूरी भी अधिक मिलने लगेगी । इस खान का प्रबन्ध वास्तव में उड़ीसा सीमेंट्स लिमिटेड के हाथ में है जिस में १ करोड़ १३ लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है । उड़ीसा सरकार ने उसे ५० लाख रुपये का बिना सूद का ऋण दे रखा है फिर भी उस की यह दशा है कि एक ओर तो मजदूरों को कम मजूरी दी जाती है और दूसरी ओर प्रति टन सीमेंट पर सात रुपये अधिक बढ़ा दिये गये हैं । मुझे आशा है कि श्रम मंत्रालय इन मज़दूरों की दुर्दशा पर अवश्य ध्यान देगा और उन्हें सुविधायें प्रदान करेगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पिछले वर्ष के बजट में उड़ीसा के प्रादेशिक आयुक्त के लिये १७,००० रुपये का उपबन्ध किया गया था, किन्तु इस वर्ष कुछ भी उपबन्ध नहीं किया गया है । एक ओर तो वहां इतने सारे उद्योग उन्नति कर रहे हैं और दूसरी ओर श्रम सम्बन्धी अफसरों की संख्या और कम की जा रही है । यह तो सर्वथा अनुचित है ।

उड़ीसा में उद्योगों का अधिक विस्तार होने से बहुत सी भूमि किसानों से ले ली जायगी और मजदूरों की संख्या और भी अधिक हो जायगी । ऐसी दशा में सरकार का और भी अधिक कर्तव्य हो जाता है कि वहां के मजदूरों की दशा को सुधारने का पूरा प्रयत्न करे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : श्रीमान्, मैं ने कटौती प्रस्ताव संख्या ४०२ की सूचना दी है और मैं आंध्र, बिहार और राजस्थान के अभ्रक की खानों के मजदूरों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले दो वर्ष से अभ्रक उद्योग में घाटा पड़ रहा है । मज़दूर बेरोज़गार होते जा रहे हैं । विशेष रूप से आंध्र में जो स्थिति है वह मुझे भली भांति विदित है । श्रम कल्याण निधि से कोई सहायता नहीं दी जा रही हैं । नेल्लोर में, जहां अभ्रक की खाने हैं, जिलाधीश ने एक समिति बनाई थी किन्तु उस से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । क्या सरकार यह चाहती है कि मजदूर सदैव आन्दोलन करते रहें और लम्बे लम्बे जुलूस निकालते रहें ?

अभ्रक एक ऐसी वस्तु है जो प्रायः निर्यात की जाती है और सरकार को उस से करोड़ों रुपये की आमदनी होती है । जहां तक श्रम कल्याण निधि का प्रश्न है वह श्रमिकों की ही निधि है । उसे व्यय करने में सरकार को क्यों संकोच होता है ? सरकार के पास इस निधि का एक करोड़ रुपया मौजूद है जिस का सूद भी पिछले दस वर्षों में दस लाख रुपये से अधिक हो सकता था किन्तु सरकार जो कुछ देती है वह मूल पूंजी में से देती है । इसी प्रकार अस्पताल वग़ैरा बनाने की यदि अनुमति भी मिलती है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राज्य के लोक निर्माण विभाग में उस के दायित्व के सम्बन्ध में विवाद चलता रहता

है । यह एक बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि श्रमिकों में तथा श्रम मंत्रालय में और वाणिज्य मंत्रालय में परस्पर सहयोग का अभाव है । वाणिज्य मंत्रालय को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि वह अभ्रक की खपत को विदेशों में अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करे ।

हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जब तक पारस्परिक सहयोग नहीं होगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते है । अभ्रक उद्योग का विवरण पंच वर्षीय योजना में पूरे एक अध्याय में दिया गया है । इस के बाद भी मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । श्रम मंत्रालय तो यह समझता है कि जब तक मजदूर काम पर लगे रहते हैं तब तक ही उस का उन से सम्बन्ध रहता है और जब वे बेरोज़गार हो जाते हैं, तब उन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, चाहे वे भूखे ही क्यों न मरते हों । न उन के लिये मकानों कीं व्यवस्था है न चिकित्सालयों की और न उन की स्त्रियों के लिये प्रसूतिगृहों की व्यवस्था है । अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि सरकार मजदूरों की दशा पर अवश्य ध्यान दे और उन की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करे जिस से कि हमारे उद्योग अधिक उन्नति कर सकें ।

श्री एम० बी० वैश्य (अहमदाबाद–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मजदूर मंत्रालय के बारे में जो ग्रांट आई है उस के विषय में मुझे थोड़ी सी बातें कहनी हैं ।

मजदूरों के सम्बन्ध में जब कहीं बात होती है तो हमारे मन में यह आ जाता है कि मजदूर वह प्रजा है जो दुनिया में सब से नीचे गिनी जाती है । पूज्य महात्मा जी ने हम को यह सिखाया कि मजदूरी हम में से हर एक को करनी चाहिये । जब तक हम अपने आप मजदूरी नहीं करेंगे और स्वयं मजदूरी की इज्जत नहीं करेंगे तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा । प्रश्न यह होता है कि मजदूरों की इज्जत कैसे हो सकती है । जिन मजदूरों की मेहनत से हमारे पूंजीपति आज धनी बने हुए हैं यदि हम उन के रहने की जगह को जा कर देखें तो हम को पता लगेगा कि वे कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं । जिन के खून और पसीने की कमाई से आज पूंजीपति धनी बने हुए हैं वे कैसी गन्दी हालत में रहते हैं । और क्या खाते हैं यह हम को देखना चाहिये । जो मजदूर स्वयं कपड़े बनाते हैं उन के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते । हम तो केवल टैक्सटाइल मजदूरों की बात करते हैं और उन्हीं के लिये काम करते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान तो गांवों में बसा हुआ है । हमारे लाखों गांवों में रहने वाले खेत मजदूर किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं इस की ओर भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये । हम तो आज समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहते हैं । वह तो ऊपर से नहीं बनेगा । वह तो नीचे से बनेगा । जब हम एक मकान बनाते हैं तो उस की नींव अच्छी बनाते हैं । अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो मकान कैसे अच्छा हो सकता है । देश को उठाने के लिये आप को देश के मजदूरों और गरीबों को पहले उठाना होगा जिन को खाने की मुसीबतें हैं । अभी हमारे एक मित्र ने बतलाया कि यू० पी० में कई गांवों में गरीब मजदूरों को ६ पैसा रोज भी नहीं मिलता है । हमारे नायर जी ने कहा कि दिल्ली में क्लर्कों को ५५ रुपया देना ठीक नहीं है, यह बहुत कम है । इस में उन का गुजारा नहीं हो सकता । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि उन ६ पैसा रोज वालों का गुजारा कैसे होता होगा इस ओर हम को ध्यान देना चाहिये । जब तक हमारी दृष्टि उन गरीबों पर नहीं जायगी

[श्री एम० बी० वैश्य]

तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती । हम इन लाखों गांवों के मजदूरों की मदद से ही यहां पर आये हैं । लेकिन आज उन की क्या दशा है ?

हमारे भाई राजभोज चिल्लाते हैं तो हम हंसते हैं कि यह बार बार क्या चिल्लाता है, यह बार बार कैसे हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट की बातें करता है । उन के दिल में कुछ बातें हैं कि हमारी प्रजा दुखी है, इसलिये वे यह बातें कहते हैं । आप ने बता दिया कि हरिजनों को पढ़ना लिखना चाहिये ताकि उन को नौकरियां मिल सकें । लेकिन वह लोग बैरिस्टर हैं, डबल एल० एल० बी० हैं लेकिन उन को नौकरी नहीं मिलती । यह सब बातें हम ने किताबों में तो लिख दी हैं लेकिन वे अमल में नहीं आती हैं । उन को नौकरी देने वाला कौन है ? हमारा अधिकारी वर्ग । भगवान उन को सदबुद्धि दे और वे समझें कि गवर्नमेंट ने हरिजनों को नौकरी देने के बारे में जो तै किया है, इस पर उन को ध्यान देना चाहिये । जब हरिजनों की बात आती है तो वे कहते हैं कि हरिजनों को मामलतदार बना दें कैसे हो सकता है । इसलिये मेरी विनती है कि हमारे लेबर मिनिस्टर साहब, जिन का सारा जीवन मजदूरों के कार्य में गया है, अब देहाती मजदूरों की ओर ध्यान दें और उन का जीवन सुखी बनावें ।

खेत मजदूर के मिनिमम वेज के बारे में भी अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है । उस के बारे में हम को कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना चाहिये । उन का गुजारा हो सके कम से कम इतना तो मजदूरों को मिलना चाहिये ।

टैक्सटाइल्स मजदूरों का जब प्रश्न आता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि वह तो बहुत पैसे वाले हो गये। कहा जाता है कि उन को तो सौ रुपये मिलते हैं । आप देखें कि जो हजारों कमाते हैं वे तो पैसे वाले नहीं हो सके तो यह सौ रुपये वाले कैसे पैसे वाले हो सकते हैं । उन के जो बच्चे होते हैं उन को भी इसी सौ रुपये में उन को पालना होता है । कहा जाता है कि मजदूरों को ज्यादा मिल गया है और यह बहुत आगे बढ़ रहे हैं । वास्तव में मजदूर कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं । जितनी आप मजदूर की देख भाल करेंगे उतना ही देश तगड़ा बनेगा । अगर मजदूर गरीब और कमजोर रहे तो देश थी कमजोर रहेगा । इसलिये देश को ऊपर उठाने के लिये हमें मजदूरों और गरीबों को ऊंचा उठाना होगा । पैसे वाले तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हम को तो इन गरीबों को आगे बढ़ाना होगा । कुछ लोग कहते हैं कि पैसे वालों का पैसा बंट जाय । लेकिन हमारे मजदूर कहते हैं कि हम बिना मेहनत के पैसा नहीं लेना चाहते, हम अपना पसीना बहा कर पैसा पैदा करना चाहते हैं । मजदूर काम करने के लिये तयार हैं लेकिन देश में काम कहां है । हिन्दुस्तान के मजदूर भिखमंगे नहीं हैं । आप ने देखा होगा कि मजदूरों ने सन् १९४२ में क्या कर के दिखा दिया था । उन की ही बदौलत हम आज यहां पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं । मेरा अनुभव है कि इन मजदूरों ने अहमदाबाद में साढ़े तीन महीने तक हड़ताल रखी थी । क्यों हड़ताल रखी ? क्योंकि उन को देश को उन्नत बनाना था । उन्होंने कहा था कि महात्मा जी जेल में बैठे हुए और हम मजदूरी करें । उन्हों ने कहा था कि जब तक देश आजाद नहीं हो जायगा हम मिलों में काम करने नहीं जायेंगे । वे लोग साढ़े तीन महीने तक हड़ताल पर रहे, गांवों में चले गये और उस समय उन को कठिनाई से भरपेट खाना भी नहीं मिलता था । लेकिन उन्होंने यह सब देश को आगे बढ़ाने के लिये किया ।

आप को उन का आदर करना होगा । आप को यह देखना पगड़ेा कि वे कैसे घरों में रहते हैं । आप रुपये की गिनती न कीजिये कि इतना रुपया हम ने उन के हाउसिंग के लिये दे दिया है । ये मजदूर लाखों की तादाद में हैं । जो गांवों में रहने वाले मजदूर हैं आप उन की दशा को भी देखिये ।

बाहर के बड़े बड़े लोग आते हैं और वे दिल्ली के आजू बाजू देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं । वह समझते हैं कि हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है । लेकिन हिन्दुस्तान तो छोटे छोटे गांवों में बसा हुआ है । दिल्ली के इर्द गिर्द के गांवों में हिन्दुस्तान नहीं बसा हुआ है । उस क्षेत्र को तो दिल्ली ही गिना जाता है । तो जो गांवों के लोग हैं उन की दशा सुधारने की हम सब को मिल कर कोशिश करनी होगी ।

आवड़ी का रिजोल्यूशन तो पास हो गया और सारे हिन्दुस्तान में यह बात मालूम हो गई कि हम अपने देश में समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहते हैं । लेकिन उस के लिये काम करना होगा । हम कहते तो बहुत हैं । हमारे यहां एक कहावत है कि कहना तो बड़ा आसान है लेकिन काम तो करने से ही होगा । लेकिन यह काम करे कौन ? केवल सरकार ही इसे नहीं कर सकती । हम सब को मिल कर देश को आगे बढ़ाना होगा । यह कांग्रस की गवर्नमेंट है इसलिये कहा जा सकता है कि कांग्रेस वाले इसे करें । लेकिन अकेले वे भी इसे नहीं कर सकते । जितने लोग इस देश में बसते हैं उन सब को मिल कर यह काम करना चाहिये । हमारे देश के ३६ करोड़ लोग मिल कर यह काम करेंगे तो इस में सफलता मिल सकती है । और खास तौर से जो लोग इस मकान की नींव में हैं उन को आगे बढ़ाने के लिये हम को विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा ।

हरिजनों के बारे में कहा जाता है ...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें । अब माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६९	श्री साधन गुप्त	. वास्तविक विवादों को निबटाने के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित करने से इनकार ।	१००
	श्री साधन गुप्त	. बीमा उद्योग के लिये एक अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित करने से इनकार ।	१००
	श्री साधन गुप्त	. उद्योगों में नवीकरण के प्रति सरकार का बर्ताव ।	१००
	श्री तुषार चटर्जी	. ठीक श्रम नीति अपनाने में असफलता .	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
	श्री तुषार चटर्जी .	श्रमिकों को उपयुक्त आवास सुविधायें देने में असफलता ।	१००
	श्री तुषार चटर्जी .	बागान श्रमिक अधिनियम के पूर्ण परिपालन की आवश्यकता ।	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषि श्रमिकों के प्रति सरकार की नीति .	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हथकर्घा श्रमिकों में बेरोजगारी की समस्या	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सरकार की कर्मचारी राज्य बीमा नीति .	१००
	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति	१००
	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बागान श्रमिक अधिनियम तथा दूसरे किसानों को ठीक प्रकार कार्यान्वित करने में असफलता ।	१००
	श्री आर० आर० शास्त्री .	सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति .	१००
	श्री रामचन्द्र रेड्डी	अभ्रक में काम करने वाले श्रमिकों की हालत ।	१००
	श्री एस० एल० सक्सेना	महाबीर पटसन मिल, सहजनवा, में १३-१-१९५५ से तालाबन्दी, श्रमिकों को निकालना और कच्चे पटसन को बेच डालना ।	१००
	श्री एस० एल० सक्सेना .	उत्तर प्रदेश के हथकर्घा उद्योगों में बुनकरों की हालत ।	१००
	श्री एस० एल० सक्सेना .	समझौता मशीनरी के काम करने में विलम्ब	१००
	श्री एस० एल० सक्सेना .	गोरखपुर में खानों इत्यादि के लिये भर्ती किये गये श्रमिकों का इलाज ।	१००
	श्री एस० एल० सक्सेना .	उन मामलों को, जिनका निबटारा समझौता बोर्ड न करा सकें, उन्हें पक्षों द्वारा न्यायनिर्णयन अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास ले जाये जाने का अधिकार सौंपने की आवश्यकता ।	१००
	श्री एस० एल० सक्सेना .	काम दिलाऊ दफ्तरों में भ्रष्टाचार	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
	श्री एस० एल० सक्सेना .	उद्योग में छटनी और नवीकरण	१००
	श्री टी० बी० विट्ठल राव .	बेरोजगारों को सहायता देने की आवश्यकता	१००
	श्री टी० बी० विटठलराव .	प्रादेशिक श्रम आयुक्त या समझौता पदाधिकारियों द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त को भेजे गये मामलों में विलम्ब ।	१००
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	विभिन्न बीमा समवाय के कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को देखने के लिये एक अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित करने में असफलता ।	१००
	श्री टी० बी० विटठलराव .	बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत नियम बनाने में विलम्ब ।	१००
	श्री आर० एन० एस० देव .	रौड़केला में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण ।	१००
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	दुर्घटनाओं के कारण अपंग हुए खनिकों का पुनर्संस्थापन ।	१००
	श्री आर० एन० एस० देव .	उड़ीसा सीमेंट लिमिटिड के करार के अनुसार लंजीबरन पत्थर की खान (जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा) के श्रमिकों की मजूरी न बढ़ाना ।	१००
	श्री आर० एन० एस० देव .	लंजीबरन पत्थर की खान में श्रम ठेकेदारों की नियुक्ति और उनके उत्सादन की आवश्यकता ।	१००
	श्री आर० एन० एस० देव .	लंजीबरन पत्थर की खान में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण ।	१००
	श्री आर० एन० एस० देव .	लंजीबरन पत्थर की खान में कार्मिक संघ की वैध गतिविधियों में अड़चन डालने के लिये उड़ीसा सीमेंट लिमिटिड का अनुचित ढंग अपनाना ।	१००
	श्री आर० एन० एस० देव .	लंजीबरन पत्थर की खान में जनवरी, १९५५ में हड़ताल के समझौते की शर्तों के प्रतिकूल श्रमिकों को तंग करना ।	१००
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	कर्मचारियों पर आधारित लोगों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्र में लाने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	काम के लिये अस्थायी रूप से लगाये गये कर्मचारियों की शिकायतें न्यायाधिकरण तक ले जाने में असफलता ।	१००
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	फरवरी, १९५४ में बनाये गये के स्थान पर फरवरी १९५५ में बनाये गये अखिल भारतीय उद्योग (कोयला खान विवाद) न्यायाधिकरण रखने का प्रश्न ।	१००
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	सब औद्योगिक श्रमिकों को भविष्य निधि की सुविधायें देने का प्रश्न ।	१००
७०	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	हैदराबाद की हट्टी सोने की खानों और मैसूर की कोलार सोने की खानों के श्रमिकों को आश्रय और पानी की सुविधायें देने का प्रश्न ।	१००
	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	कोयला खानों में काम करने की हालत में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता ।	१००
७१	श्री टी० बी० विट्ठलराव .	कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि में से चालू वर्ष के दौरान खनिकों के लिये कम से कम २००० क्वार्टरों का निर्माण ।	१००
७२	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बेकार लोगों के पंजीयन का मन्द और अपर्याप्त तरीका ।	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	रोजगार योजनायें और उन्हें प्रभावी ढंग में कार्यान्वित करना ।	१००
६९	श्री साधन गुप्त .	देश के विभिन्न भागों में कोयला खानों में दुर्घटनायें ।	१००
	श्री साधन गुप्त .	औद्योगिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति और समझौता प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के संघों के प्रति प्रादेशिक श्रम निदेशालयों और विशेषतः कलकत्ता के प्रादेशिक श्रम निदेशालयों की प्रवृत्ति ।	१००

कोयला खानों में दुर्घटनायें

सभापति महोदय : अब सभा आधे घंटे चर्चा करेगी ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : इस चर्चा का सम्बन्ध श्रम मंत्रालय से है । मैं सुझाव रखता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा हेतु निश्चित आधे घंटे के समय को मांगों के लिये निश्चित किये गये समय के अनुसार रखा जाय । नहीं तो, सभा को देर तक बैठना पड़ेगा । अन्य मांगों के सम्बन्ध में सभा ने एक घंटा अधिक समय लिया है । चर्चा के विषय को विशेष मांग से सम्बन्धित और सामान्य चर्चा से संयुक्त रखा जाना चाहिये ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम्) : अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि इस चर्चा के लिये विशेष कारण था ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं हैं ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है । इस के लिये आधे घंटे का समय नियत किया गया है । मेरा सुझाव यह है कि मांगों के साथ ही चर्चा की जाय ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं निवेदन करता हूं कि इस आधे घंटे की चर्चा का विशेष कारण है । कुछ ऐसे भी विषय हैं जो श्रम मंत्रालय की सीमा के बाहर हैं, उन पर चर्चा करने के लिये ही यह समय रखा गया है ।

सभापति महोदय : मेरा सुझाव है कि यदि अन्य कोई कटौती प्रस्ताव रखा जाता है तो इसे उस कटौती प्रस्ताव के सम्बंध में ही माना जाये और चर्चा जारी रखी जाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : तो क्या यह आधा घंटा चार घंटे में से निकाल दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : जी हां । चूंकि इस समय हम श्रम मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, अतः यदि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव की पूर्वसूचना दें तो मैं उसे एक कटौती प्रस्ताव मान लूंगा और कल चर्चा की अनुमति दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रम मंत्रालय सम्बन्धी इन चार घंटों में कमी नहीं की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : यह सुझाव माननीय मंत्री का था । यदि प्रस्तावक महोदय इस से सहमत नहीं हैं तो वह अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कोयले की खानों में होने वाली दुर्घटनायें आज चिन्ता का विषय हैं । अभी हाल में एक दुर्घटना हुई है जिस के सम्बन्ध में सभी समाचार पत्रों में सम्पादकीय लेख छपे हैं । इस उद्योग पर हमारी पंचवर्षीय योजना निर्भर है अतः इसे बचाना बहुत आवश्यक है । १९५० से अब तक इन कोयले की खानों के उत्पादन और उन में होने वाली दुर्घटनाओं और मरने वालों की संख्या को देखने से पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है । मरने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ती गई है । इस उद्योग में इस समय लगभग ३४०,००० श्रमिक काम कर रहे हैं । हम इन दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम कर सकते हैं ?

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

स्थिति का सुधार दो प्रकार से किया जा सकता है । एक है प्रभावशाली विधान और प्रभावोत्पादक ढंग से उस को कार्यान्वित करना । भारतीय खान अधिनियम, १९५२ में पारित किया गया था पर अभी भी उस के अधीन अधिनियम नहीं बनाये जा सके हैं । अभी भारतीय खान अधिनियम, १९२३ के अधीन बने नियम ही चल रहे हैं ।

दूसरी बात इन खानों का निरीक्षण है । निरीक्षक जब खान अधिनियम के विनियमों का उल्लंघन होते हुए देखता है तो खान के प्रबन्ध पर अभियोग लगाया जाता है । पर अभियोग भी बहुत कम चलाया जाता है । मैं देखता हूं कि लगभग २७० मामलों में केवल १४ मामलों में ही अभियोग चलाया गया । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि या तो सुरक्षा उपाय काफी नहीं हैं या कार्यवाही नहीं की जाती । १९२६ के अधिनियम के अधीन बने नियम पर्याप्त नहीं हैं और दोषपूर्ण हैं । अतः दो बातों में ढिलाई है । या तो सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते या निरीक्षण ठीक प्रकार नहीं किया जाता ।

सभापति महोदय : समय केवल आधे घंटे का है । अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना वक्तव्य शीघ्र समाप्त करें । इसके बाद मैं अन्य दो माननीय सदस्यों को तीन तीन मिनट दूंगा । इस के बाद माननीय मंत्री दस मिनट में उत्तर देंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पिछली बार आसनसोल खान में विस्फोट छुट्टी के दिन हुआ और केवल १० व्यक्ति मरे जबकि अगर वह छुट्टी का दिन न होता तो लगभग ३०० या ४०० व्यक्ति मर जाते । अमलाबाद दुर्घटना में भी उस दिन काम करने वाले ९० व्यक्तियों में से ४० मरे क्योंकि शेष लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्मुख प्रदर्शन कर रहे थे । आसनसोल विस्फोट का कारण यह था कि किसी ने बीड़ी पी और उसे भीतर ही फेंक दिया । अब भी वहां लोग बीड़ी पीते हैं ।

बहुत सी कार्यवाहियां की जा सकती हैं । खान अधिनियम के अधीन अब तक त्रिदलीय खान बोर्ड बन जाने चाहियें थे । और श्रमिकों की शिकायतों पर आवश्यक निरीक्षण किया जाना चाहिये । चाहे शिकायतें कितनी ही छोटी क्यों न हों, उन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

सभी गंभीर दुर्घटनाओं की न्यायिक और गैर-सरकारी जांच कराई जानी चाहिये । यदि मिलों के स्वामी अधिनियम में अनुबन्धित विनियमों, और नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये । खानों के भारतीय ब्यूरो द्वारा भी खानों के निरीक्षण होने चाहियें । सभी जांचें खुली होनी चाहियें । निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । खानों के प्रबन्धकों की नौकरियों की रक्षा की जानी चाहिये, क्योंकि खानों के स्वामी उन्हें मनमाने ढंग पर रखते और निकालते हैं ।

नियमों, उपविधियों और विनियमों की भाषा भारतीय होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : डा० राम सुभग सिंह ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण) : सभापति जी, यह बड़े दुख की बात है कि कोयले की खानों में प्रति वर्ष प्रायः ३०० से ज्यादा मजदूरों की मृत्यु होती है और प्रति वर्ष कोयले की खानों में बहुतेरी दुर्घटनायें होती हैं । सन् १९५५ के पिछले महीनों में परसिया, अमलाबाद और धर्माबान्ध में जो दुर्घटनायें हुईं उस से बहुत

बुरा प्रभाव पड़ा और इन दुर्घटनाओं का कारण मेरी समझ से यह है कि इन्स्पेक्टरों की ओर से जो इन्स्पेक्शन किये जाते हैं वह ठीक नहीं होते हैं । मैं चाहूंगा कि जब प्रति हजार मजदूरों पर प्रायः एक मजदूर हर वर्ष मरता है और १० लाख टन कोयला निकलने में जब करीब करीब ९ व्यक्ति मरते हैं तो सरकार इस पर ध्यान दे कि इस स्थिति में सुधार हो । मरने वाले व्यक्तियों में एक भी खान का मालिक नहीं होता है , जितने भी मरते हैं सब के सब मजदूर होते हैं, इसलिये मालिक की भी जवाबदेही है कि वह ठीक से कोयला खानों की जांच करावें । सरकार भी इस की जवाबदेह है कि वह अपने इन्स्पेक्टरों से इस बात की जांच करवाये कि खानों की अवस्था काम करने लायक है या नहीं । खास कर जो अंडरग्राउन्ड काम करने वाले मजदूर हैं उन की हालत बहुत खतरनाक है पर खान के ऊपर भी आज वहां की अवस्था ऐसी नहीं है कि वहां पर मजदूर रह कर काम करें ।

आज सुबह माननीय श्री सारंगधर दास जी ने सवाल उठाया था कि किनझार की खानों में गोरखपुर के जो काम करने वाले हैं वे वहां के लोगों को मारते हैं और उन को हटाने का बन्दोबस्त किया जाय । इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि रिपोर्ट आने पर इस पर ग़ौर किया जायेगा । हुकूमत जवाबदेह है इस के लिये कि वह खान के मालिकों से कहे कि किस प्रकार से एक जगह के गरीब मजदूरों को, जिन को रोजी नहीं मिलती, न रख कर दूसरे जगहों के मजदूरों को अपने फायदे के लिये रखते हैं । वे वहां पर दूसरे स्थानों के मजदूरों को इसलिये रखते हैं ताकि वहां के लोग उन को शोषण करने से रोक न सकें । ऐसी हालत में सरकार को और खास कर सारंगधर बाबू जैसे नेताओं को चाहिये कि मजदूरों को दुरुस्त करने के कब्ल वह इस को तय करें कि किस तरह से उन खानों के मालिकों को दुरुस्त किया जाय जोकि डिवाइड ऐण्ड रूल की पालिसी अख्त्यार करते हैं ।

साथ ही साथ इस समय करीब १० कोयले की खान सरकार की हैं, बाकी सब प्राइवेट व्यक्तियों अथवा पूंजीपतियों की हैं, सरकार जैसे अपनी खानों पर आदमी भेज कर दिखवाती है, वैसे ही उस को दूसरी खानों पर भी आदमी भेज कर वहां की अवस्था को दिखवाना चाहिये कि कहीं ऐसी अवस्था तो नहीं है, खास कर भीतर की ओर, कि जिस में मजदूर सुरक्षित न हों । आज मजदूरों को मजदूरी की जरूरत होती है, घर बैठे खाना नहीं मिलता तो वह खानों में अपने प्राणों की बाजी लगा कर काम करते हैं, और जो इन्स्पेक्टर लोग हैं वे जब खानों में जाते हैं तो जैसा खानों के मालिक कह देते हैं वैसी रिपोर्ट दे देते हैं । मैं आम तौर से सभी इन्स्पेक्टरों पर चार्ज नहीं लगाता हूं, लेकिन अक्सर यह होता है कि वह यह रिपोर्ट दे देते हैं कि खान की अवस्था अच्छी है और मजदूरों को वहां पर काम करने दो फिर चाहे मजदूर मरे या उस को कुछ भी हो । आज जो स्थिति है कि १९५४ में ३३१ आदमी मर गये और ३०० से ज्यादा आदमी प्रति वर्ष मरते हैं, उस में सरकार को सोचना चाहिये कि इस स्थिति में कैसे सुधार किया जाय । अभी करीब ४० लाख टन कोयला निकलता है और ४० लाख टन पर यदि ४०० आदमियों की आहुति देनी पड़े तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में रूरकेला या दूसरी जगहों में जो कारखाने सरकार खोलेगी उन को चलाने के लिये कोयले का उत्पादन दुगुना करना पड़ेगा । इस हिसाब से जो गरीब मजदूर हैं उन की भी दुगुनी आहुति सरकार को देनी पड़ेगी, अगर कोई हिफाजत की

[डा० राम सुभग सिंह]

कार्रवाई नहीं की गई । इसलिये इस चीज पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

अभी परसिया, धर्माबान्ध और अमलाबाद में जो दुर्घटनायें हुई हैं उन के सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय ने तत्काल हर आहत के लिये २००, २०० रु० भेज दिये, इस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं, और इस के लिये भी कि वहां के लिये उन्हों ने एक जज नियुक्त कर दिया है जांच करने के लिये, लेकिन खानों के मालिक वहां से भाग गये हैं, उन का कुछ पता नहीं है कि वह कहां हैं । लेकिन जब वे देश में हीं हैं तो उन के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि उन को पकड़ लिया जाय । वह तो बड़े मजे में हैं, और मजदूर बेचारे मर रहे हैं, उन के घर बरबाद हो रहे हैं । मालिक जो भाग गये उन की खान के काटे हुए कोयले की बिक्री हुई है । सरकार को पता लगाना चाहिये कि किस ने उस कोयले को बेचा । अमलाबाद में भी यही स्थिति है । जब वहां पर चीफ माइन्स इन्स्पेक्टर गये तो यह पता लगता है कि ५५ आदमी मर गये, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि कुल कितने आदमी काम करने गये थे । हम लोगों को इस बात का भी दुःख है कि आप के सेफ्टी स्टेशनों के आदमियों ने भी इस में कुछ मदद नहीं पहुंचाई । उन को फौरन जा कर इस बात का प्रयत्न करना चाहिये था, दिखलाना चाहिये था कि उन्हों ने इतने आदमियों को बचा लिया । यदि वहां पर ५५ आदमी मर रहे थे और उन को रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी तो उन्हों ने क्यों नहीं अपनी जान को खतरे में डाल कर दो चार आदमियों को वहां से निकाला ? ऐसे प्रयास में आप के कितने सेफ्टी स्टेशन्स के अफसर या कर्मचारी मरे हैं । १९५४ में ३३१ व्यक्ति मरे थे । मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को बचाते समय आप के कितने सेफ्टी अफसर या कर्मचारी मरे हैं । आप के मातहत कोल बोर्ड भी है ...

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : और कितने मालिक मरे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : हां, और कितने मालिक मरे हैं । कोल बोर्ड की स्थापना की गई है । आप ने कोल बोर्ड की हिफाजत के लिये स्थापना की है । स्टोइंग आपरेशन्ज़ भी जरूरी है लेकिन ९० प्रतिशत कोयला खानों में स्टोइंग आपरेशन्ज़ का काम नहीं होता है । यह इसलिये नहीं होता क्योंकि मालिकों को ज्यादा खर्चा पड़ता है । इन्स्पेक्टर अपनी रिपोर्ट दे देता है कि उन खानों में कंडिशन्ज़ अच्छी हैं लेकिन असल में हालत अच्छी नहीं रहती । कोल बोर्ड को यह देखना है कि यह स्टोइंग आपरेशन्ज़ क्यों नहीं हो पाते । अगर कोई ऐसा करने से इन्कार करता है तो उस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिये और कोयला खान को उस से छीन कर सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । हम देखते हैं कि वहां पर पानी का कोई इन्तज़ाम नहीं होता है । क्रेचेज़ पर दूध, खिलौने इत्यादि के अभाव में कोई अपना बच्चा नहीं रखता । जो वहां पर पिट हेड्ज़ बनाये गये हैं उन का भी लार्ड वेवल के ज़माने की तरह कोई प्रयोग नहीं होता है । हो भी कैसे, वे तो बिल्कुल अंग्रेज़ी ढंग के बनाये गये हैं । अतः वे बेकार पड़े रहते हैं । सब से ज्यादा जरूरी जो बात है वह यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम उत्पादन तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उस के साथ ही साथ आप को इन गरीब मज़दूरों की जिन का कोई ठिकाना नहीं है और जिन के मरने के बाद उन के बीवी बच्चों की देख भाल करने वाला कोई

नहीं होगा, हिफ़ाज़त होनी चाहिये । जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़े उस के साथ ही साथ सरकार को उन की रक्षा का भी पूरा पूरा इंतज़ाम करना चाहिये ।

श्रम मंत्री (श्री खण्डू भाई देसाई) : परासिया और अमलाबाद की दुर्घटनाओं के बाद स्वभावत: जनता का ध्यान कोयले की खानों की रक्षा की ओर आकर्षित हुआ । इन दुर्घटनाओं से हमारा भी उतना ही सम्बन्ध है जितना कि सभा के किसी अन्य व्यक्ति का ।

जैसाकि बताया जा चुका है, यह जानने के लिये कि क्या खानों के स्वामी वर्तमान विनियमों का ठीक ठीक पालन करते हैं या नहीं, दो जांच न्यायालयों की नियुक्ति की गई है और हम उन के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसी बीच सरकार ने वर्तमान खान विनियमों के सम्बन्ध में अधिक सावधानी बरतने के लिये विभागों को लिख दिया है । १९५२ के अधिनियम के अनुसार वर्तमान विनियमों का भी संशोधन किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि इन नये और संशोधित विनियमों का अग्रेतर सुधार, जांच न्यायालयों के दोनों प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद होगा ; पर हम उन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे क्योंकि खान विनियमों को जनमत के लिये सार्वजनिक संगठनों और खान-स्वामी संगठनों के पास भेज दिया गया है और उन के विचार भी प्राप्त हो गये हैं । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि उन विनियमों को तुरन्त ही निश्चित किया जायेगा ।

फिर, मैं सभा को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि इस सम्बन्ध में अधिक सावधानी बरती जा रही है । इन दुर्घटनाओं के पूर्व ही निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी । यह बात सच है कि खानों के निरीक्षकों की संख्या कम थी । पर इस में सरकार का दोष नहीं था । हम अपनी आवश्यकता के लिये सदैव लोक सेवा आयोग के पास मांग भेजते रहे । पर दुर्भाग्यवश बहुत थोड़े उम्मेदवार आये और हमें आवश्यकता से कम निरीक्षक मिले । अभी हाल में हम ने अपने खान निरीक्षालय कर्मचारियों में और ७ निरीक्षकों की संख्या बढ़ा दी है और आगे और भी बढ़ाने वाले हैं ।

इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मैं आप को कुछ आंकड़े दूंगा । यद्यपि १९४४ के बाद खान में काम करने वाले श्रमिकों के प्रतिशत के अनुसार मृत्यु संख्या निरन्तर कम होती रही है, पर हम यह नहीं कह सकते कि दशा सन्तोषजनक है । विभिन्न वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	हज़ार पीछे मृत्यु संख्या
१९४४	१.३३
१९४५	०.९५
१९४६	०.९१
१९४७	०.७४
१९४८	०.८२
१९४९	०.७५
१९५०	०.७८
१९५१	०.९०
१९५२	१.००
१९५३	०.९७
१९५४	०.९८

यदि १९५४ में पारसिया दुर्घटना न हुई होती तो इन आंकड़ों में और भी कमी होती । पर मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि यह सन्तोषजनक है । यदि निरीक्षण या अन्य किसी बात में कोई त्रुटि हो तो सरकार को उसे ध्यानपूर्वक देखना चाहिये ।

जहां तक मृत्युओं के आंकड़ों का सम्बन्ध है अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति कुछ अधिक सन्तोषजनक है । पर फिर भी हम इस ओर से असावधान नहीं हैं । हमारे

[श्री खण्डू भाई देसाई]

पास १९५० की भारत तथा अन्य देशों की मृत्यु संख्यायें हैं । आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

देश	हज़ार पीछे मृत्यु संख्या
भारत	०.७२
जापान	१.८३
ब्रिटेन	०.८३
फ्रांस	१.१०
संयुक्त राज्य अमरीका	२.१५
कैनाडा	३.१९
दक्षिण अफ्रीका	१.६६

यद्यपि मेरे देश की खानों में मृत्यु संख्या अन्य देशों की खानों में हुई मृत्यु-संख्याओं की तुलना में बहुत कम है पर मैं इसे और भी कम हुआ देखना चाहता हूं । मुझे कोई सन्देह नहीं है कि गत दो दुर्घटनाओं और समय समय पर की गई रचनात्मक आलोचनाओं के कारण श्रम मंत्रालय अधिक सावधान हो जायेगा और दुर्घटनाओं को यथाशक्ति कम करने का प्रयत्न करेगा ।

इस सम्बन्ध में एक और प्रबन्ध किया गया है कि जिन क्षेत्रों में ऐसी दुर्घटनायें होती हैं उन में यथासंभव एक विशेष दण्डाधीश रखा जाय जो इन मामलों की देखभाल करे और यदि विनियमों का उल्लंघन किया गया हो तो कठोर दण्ड दे ।

श्री रामानन्द दास (बैरकपुर) : उस नियोजक के सम्बन्ध में क्या हुआ जो भाग गया है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है ?

श्री खण्डू भाई देसाई : वह भागा नहीं है । जहां तक मुझे पता है वह यहीं है । जांच के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जायेगा कि वह नियोजक या उस का कोई अधीनस्थ इस पारसिया खान दुर्घटना के लिये उत्तरदायी है ....

डा० राम सुभग सिंह : यह बात धर्माबाद खान के स्वामी के सम्बन्ध में है ।

श्री खण्डू भाई देसाई : क्या वह मामला जिस में खान के खसकने के कारण लगभग ११ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ?

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : नहीं, यह वह मामला है जहां खान धंस गई थी ।

श्री खण्डूभाई देसाई : वह मामला जहां पर गुफा धंस गई थी और बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी । मैं उस मामले को देखूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या वह व्यक्ति भाग गया है । यदि वह खान विनियमों के अनुसार उत्तरदायी है तो सरकार उस पर कोई दया नहीं करेगी ।

अन्त में, मैं सभा को यह विश्वास दिलाऊंगा कि खानों में या अन्य जहां भी कहीं, दुर्घटनायें होंगी चाहे वह नियोजन, कब्जेदार, कारखाने, या खान स्वामी की गलती या असावधानी से होंगी, सभी विनियमों का कठोरता के साथ पालन किया जायेगा और उन के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, २३ मार्च १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—7 LSD 6-10-55—240